रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 462] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 14, 2019/श्रावण 23, 1941
No. 462] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 14, 2019/SHRAVANA 23, 1941

कारपोरेट कार्य मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2019

सा.का.नि. 571(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 125 की उपधारा (1), उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4), उपधारा (8), उपधारा (9), उपधारा (10) और उपधारा (11) और धारा 124 की उपधारा (6) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 का और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) दूसरा संशोधन नियम, 2019 है।

(2) नियम 6(i), नियम 6(iv), नियम 6(v), नियम 6(vi), नियम 6(vii) और नियम 6(viii), को छोड़कर इन नियमों के उपबंध 20 अगस्त, 2019 को प्रवृत्त होंगे।

(3) नियम 6(i), नियम 6(iv), नियम 6(v), नियम 6(vi), नियम 6(vii) और नियम 6(viii), को छोड़कर इस नियम के उपबंध 20 सितंबर, 2019 को प्रवृत्त होंगे।

2. विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 2 में,–

(i) उपनियम (1) के खंड (घ) में "और इसमें ऐसी कोई अन्य इकाई शामिल है जिसके द्वारा किसी अधिनियम या इसका नियंत्रण करने वाले कानून के अनुसार विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में कोई निधि अंतरित करना अपेक्षित हो" शब्दो के पश्चात् "और अंतरक कंपनी की आस्तियों और देयताओं के संबंध में कोई अंतरिती कंपनी" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे:

(ii) उपनियम (1) के खंड (घक) में "अर्थात्" शब्द के स्थान पर "सहित" शब्द रखा जाएगा।

(iii) उपनियम (1) के खंड (छ) का लोप किया जाएगा।

3. मूल नियमों के नियम 3 में, -

(i) उपनियम 4 के खंड (क) में, "खंड (छ) के सिवाय" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों का लोप किया जाएगा;

(ii) उपनियम 4 के खंड (ख) के, उप-खंड (ii) में, "राज्य सरकार" शब्दों के पश्चात् "केंद्रीय सरकार" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

4. मूल नियमों के नियम 5 में,–

(i) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा :-

"(1) अधिनियम की धारा 125 की उपधारा (2) के खंड (क) से (ढ) के अधीन यथाउपबंधित निधि में कंपनियों द्वारा जमा करने के लिए अपेक्षित कोई रकम को प्ररूप संख्या आईपीएफ-1 में ब्यौरे सहित ऑनलाइन भेजा जाए जिसमें निधि में जमा किए जाने के लिए ऐसी रकम के देय होने वाली तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर प्राधिकरण को किए गए ऐसे अंतरण का विवरण समाविष्ट हो।";

(ii) उपनियम (2), उपनियम (3) और उपनियम (4) का लोप किया जाएगा;

(iii) उपनियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"*(4क) ऐसी कंपनियां, जिन्होंने कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 205ग की उपधारा (2) के खंड (क) से खंड (घ) में विनिर्दिष्ट किसी रकम को विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि या केंद्रीय सरकार को अंतरित किया है, परंतु ब्यौरे दायर नहीं किया है या नियम 5 के उप-नियम (1) के अधीन यथा अपेक्षित एक्सेल टेम्पलेट के अलावा किसी अन्य फार्मेट में ब्यौरे दाख़र किया है, इस संशोधित नियम की अधिसूचना के साठ दिनों के भीतर नियम 5 के उप-नियम (1) में उल्लिखित ब्यौरा एक्सेल टेम्पलेट सहित प्ररूप सं. आईईपीएफ-1क में प्रस्तुत करेंगी।";*

(iv) उपनियम (6) के खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(ग) कंपनी द्वारा उपनियम (1) के अधीन दायर अभिलेख सभी समर्थक दस्तावेजों सहित उसी फार्मेट में रखे जाएंगे और प्राधिकरण को ऐसे अभिलेखों की जांच करने की शक्ति होगी।";

(v) उपनियम (8) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(8) प्रत्येक कंपनी द्वारा वार्षिक आम बैठक आयोजित करने के पश्चात् साठ दिनों के भीतर या अधिनियम की धारा 96 के उपबंधों के अनुसार ऐसी बैठक आयोजित करने की तारीख, जो भी पहले हो और उसके पश्चात् सात वर्ष की अवधि की समाप्ति तक प्रत्येक वर्ष, अधिनियम की धारा 125 की उपधारा (2) में यथानिर्दिष्ट, अदावाकृत रकम की पहचान की जाएगी, वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख को अधिनियम की धारा 137 की उप-धारा (1) के अनुसार वार्षिक साधारण बैठक में स्वीकार किया जाने वाला लेखा पृथक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा और उनकी वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा और प्राधिकरण की वेबसाइट या सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा, प्ररूप संख्या आईईपीएफ-2 के माध्यम से पिछले प्रत्येक सात वित्तीय वर्षों के लिए पृथक रूप से अदावाकृत और अदत्त रकम के बारे में अलग-अलग निम्नलिखित सूचना सहित ब्यौरे होगा, अर्थात्:-

(क) रकम प्राप्त करने के हकदार व्यक्तियों का नाम और पिछला ज्ञात पता;

(ख) रकम की प्रकृति;

(ग) ऐसी रकम जिसका प्रत्येक व्यक्ति हकदार है;

(घ) विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित करने की अंतिम तिथि; और

(ङ) आवश्यक समझी जाने वाली अन्य सूचना"।

5. मूल नियमों के नियम 6 में –

(i) उपनियम (1) के प्रथम परंतुक में "किसी प्रकार के लाभांश वारंट" शब्दों के पश्चात् "या ऐसे शेयरों के स्वामी के बैंक खाते में किसी प्रकार की लाभांश रकम जमा की गई है" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) उप-नियम (1) के तीसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"**स्पष्टीकरण.-** सभी संशयों को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि तारीख 07 सितंबर, 2016 को या उसके पूर्व विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि को अंतरित किए गए लाभांशों से संबंधित सभी शेयरों को कंपनी द्वारा विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि के नाम पर अंतरित किया जाएगा";

(iii) उपनियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(5) ऐसा अंतरण करते समय, कंपनी द्वारा नियम 6 के उप-नियम (3) के खंड (ग) के अधीन की गई कारपोरेट कार्रवाई, जिसमें ऐसे अंतरण का विवरण निहित है, के तीस दिनों के भीतर प्ररूप संख्या आईईपीएफ-4 में प्राधिकरण को एक ब्यौरा भेजा जाएगा और कंपनी प्ररूप संख्या आईईपीएफ-4 में नियम 6 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन प्रकाशित सार्वजनिक सूचना की प्रति भी संलग्न करेगी।"।

(iv) उपनियम (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(7) कंपनी द्वारा उपनियम (5) के अधीन दायर ऐसे सभी विवरणों को सभी सहायक दस्तावेजों सहित उसी प्रारूप में रखा जाएगा और प्राधिकरण के पास ऐसे अभिलेखों की जांच करने की शक्ति होगी।"

(v) उपनियम (8) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(8) कंपनी द्वारा अधिकार के मुद्दे के अलावा बोनस शेयर, विभाजित शेयर, समेकित शेयर, अंश शेयर जैसे शेयरों पर अर्जित सभी लाभ को ऐसे डीमेट खाते में जमा किया जाएगा [जो प्राधिकरण को ऐसे अंतरण के ब्यौरे सहित कारपोरेट कार्रवाई के तीस दिनों के भीतर प्ररूप संख्या आईईपीएफ-4 में एक ब्यौरा भेजा जाएगा]"।

6. मूल नियमों के नियम 7 में –

(i) उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(2) प्रस्तुतीकरण के पश्चात्, प्ररूप संख्या आईईपीएफ-5 को कंपनी के नोडल अधिकारी को दावे के सत्यापन के लिए ऑनलाइन प्रसारित किया जाएगा :

परंतु दावेदार द्वारा उपनियम (1) के अधीन प्ररूप संख्या आईईपीएफ-5 में आवेदन करने के पश्चात्, संबंधित कंपनी के नोडल अधिकारी को दावे के सत्यापन के लिए उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में दावेदार द्वारा सम्यक् हस्ताक्षरित प्ररूप संख्या आईईपीएफ-5 में यथाउल्लिखित क्षतिपूर्ति बांड, अग्रिम प्राप्तियां या अन्य कोई दस्तावेज सहित मूल भौतिक शेयर प्रमाणपत्र, मूल बांड, जमा प्रमाणपत्र, डिबेंचर प्रमाणपत्र, जैसा भी मामला हो, भेजे जाएंगे";

(ii) उपनियम (2क) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(2क) प्रत्येक कंपनी, जिसके लिए निधि में रकम या शेयर जमा करना अपेक्षित हो या जिसने निधि में रकम जमा की है या शेयर अंतरित किए हैं, एक नोडल अधिकारी नामित करेगी, जो दावों के सत्यापन के उद्देश्य के लिए और विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण के साथ समन्वय हेतु या तो कंपनी का निदेशक या मुख्य वित्तीय अधिकारी या कंपनी सचिव होगा :

परंतु कंपनी दावों के सत्यापन के लिए और विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि के साथ समन्वय हेतु नोडल अधिकारी की सहायता के लिए एक या अधिक उप नोडल अधिकारी नियुक्त कर सकती है :

परंतु यह भी कि उप नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किसी अधिकारी के सभी कार्यों के लिए नोडल अधिकारी ही उत्तरदायी होंगे :

परंतु यह और कि यदि किसी कंपनी नोडल अधिकारी नियुक्त नहीं कर पाती है, तो उस कंपनी के प्रत्येक निदेशक को नोडल अधिकारी समझा जाएगा, और वे इन नियमों की अपेक्षाओं का पालन करने में किसी प्रकार की विफलता के लिए उत्तरदायी होंगे।";

(iii) उपनियम (2क) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(2ख) नोडल अधिकारी और उप नोडल अधिकारी के ब्यौरे जिसमें उनके पदनाम, डाक पता, दूरभाष और मोबाइल संख्या और कंपनी का प्राधिकृत ई-मेल आईडी दर्शाया गया हो, विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण को इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों के भीतर प्ररूप संख्या आईईपीएफ-2 में सूचित किया जाएगा और कंपनी द्वारा नोडल अधिकारी का नाम और उसका ई-मेल आईडी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा :

परंतु नोडल अधिकारी या उसके ब्यौरे में किसी प्रकार के परिवर्तन की सूचना प्राधिकरण को प्रपत्र संख्या आईईपीएफ-2 के माध्यम से ऐसे परिवर्तन के सात दिनों के भीतर बोर्ड के संकल्प सहित दी जाएगी।";

(iv) उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(3) कंपनी द्वारा प्राधिकरण को दावे की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में प्रपत्र संख्या आईईपीएफ-5 में ब्यौरे के सत्यापन के पश्चात् दावेदार द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेजों सहित ऑनलाइन सत्यापन रिपोर्ट भेजी जाएगी और कंपनी सभी मूल दस्तावेजों की स्कैन प्रति भी संलग्न करेगी जो दावेदार ने उसके नोडल अधिकारी द्वारा वास्तविक रूप से सम्यक् प्रमाणित कर प्रस्तुत की गई है और इसे ई-सत्यापन रिपोर्ट के साथ सम्यक् रद्द किए गए और प्रमाणित किए गए मूल वास्तविक शेयर प्रमाणपत्र या मूल बॉंड या जमा डिबेंचर प्रमाणपत्र के दोनों तरफ की स्कैन प्रति सहित भेजा जाएगा :

परंतु यदि कंपनी द्वारा दावा दायर किए जाने के तीस दिनों के भीतर ऑनलाइन सत्यापित रिपोर्ट नहीं भेजी गई तो कंपनी, प्रतिदिन पचास रुपये के अतिरिक्त शुल्क, जो अधिकतम दो हजार पांच सौ रुपये तक होगा, के भुगतान द्वारा ऐसा कर सकती है :

परंतु यह और कि कंपनी दावेदार द्वारा प्रस्तुत किए गए मूल दस्तावेजों के रखरखाव के लिए उत्तरदायी होगी और जब भी अपेक्षित हो, वह ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करेगी :

परंतु यह भी कि प्रपत्र संख्या आईईपीएफ-5 को फाइल करने की तारीख के साठ दिनों की समाप्ति के पश्चात्, प्राधिकरण द्वारा दस्तावेजों सहित सत्यापन रिपोर्ट की प्राप्ति न होने की स्थिति में, प्राधिकरण दावेदार और कंपनी के ई-मेल पते पर दावेदार और संबंधित कंपनी को पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर उत्तर देने के लिए सूचना भेजने के पश्चात्, प्रपत्र आईईपीएफ-5 को रद्द कर सकता है :

परंतु यह भी कि इन नियमों के अनुसार दावे की सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में, कंपनी और उसके नोडल अधिकारी पर अधिनियम में दिए उपबंधों के अनुसार दंड स्वरूप जुर्माना लगाया जाएगा।

स्पष्टीकरण.- (i) मूल भौतिक शेयर प्रमाणपत्र या मूल बांड या जमा या डिबेंचर प्रमाणपत्र पात्रता के साक्ष्य खो जाने या नष्ट होने जाने की स्थिति में, कंपनी और दावेदार द्वारा कंपनी (शेयरपूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014, समय-समय पर जारी भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूचीगत बाध्यता और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, दिशानिर्देश, प्रक्रिया एवं परिपत्र और इन नियमों की अनुसूची-III में विहित प्रक्रिया का पालन करेंगे और ई-सत्यापन रिपोर्ट के साथ उक्त नियमों या दिशानिर्देशों के अधीन यथाअपेक्षित सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न की जाएगी। (ii) इसके अतिरिक्त कंपनी, ई-सत्यापन रिपोर्ट सहित इन नियमों के नियम 6 के उप-नियम (3) के खंड (घ) के अधीन जारी शेयर प्रमाणपत्र के दोनों तरफ की स्कैन की गई प्रति भी संलग्न करेगी। (iii) दावेदार से मूल भौतिक शेयर प्रमाणपत्र या मूल बांड या जमा या डिबेंचर प्रमाणपत्र या पात्रता का साक्ष्य एकत्रित करने के लिए केवल कंपनी ही जिम्मेदार होगी और इसके किसी प्रकार के दुरूपयोग के लिए उत्तरदायी होगी।";

(v) उपनियम (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(7) यदि प्राधिकरण दावे के किसी आवेदन की जांच के पश्चात् अतिरिक्त सूचना मांगना आवश्यक समझे या ऐसे आवेदन या ई-प्ररूप या दस्तावेज को किसी भी मामले में त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण पाए, तो प्राधिकरण द्वारा दावेदार और कंपनी, जिसने ऐसा आवेदन या ई-प्ररूप या दस्तावेज दायर किया है, के ई-मेल द्वारा ऐसी सूचना मांगने या त्रुटि या अपूर्णता की सूचना दी जाएगी और उसे या उन्हें ऐसी सूचना प्रस्तुत करने या ऐसी त्रुटियों या अपूर्णताओं को संशोधित करने या ऐसे आवेदन या ई-प्रपत्र या दस्तावेज को ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर पुनः प्रस्तुत करने का निदेश दिया जाएगा, और ऐसा न कर पाने की स्थिति में प्राधिकरण ऐसे दावे या ई-प्रपत्र सं आईईपीएफ-5 को रद्द कर सकता है :

परंतु यदि ऐसी सूचना या अपूर्णता के विषय में दावेदार से सूचना मांगी जाती है, तो वह पंद्रह दिनों के भीतर ई-प्रपत्र दायर करेगा और ऐसे मांगे गए दस्तावेजों को सम्यक् हस्ताक्षर कर दावे के सत्यापन के लिए संबंधित कंपनी के नोडल अधिकारी को उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में भेजेगा और कंपनी द्वारा संशोधित सत्यापन रिपोर्ट भेजी जाएगी :

परंतु यह भी कि यदि ऐसी सूचना या अपूर्णता के विषय में कंपनी से सूचना मांगी जाती है, तो कंपनी द्वारा संशोधित सत्यापन रिपोर्ट दायर की जाएगी और तीस दिनों के भीतर ऐसे मांगे गए दस्तावेज भेजे जाएंगे :

परंतु यह भी कि नियम 7के उप-निमय (3) के उपबंध इस उपनियम में आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।"

(vi) उपनियम (8) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:

"(8) यदि दावेदार रजिस्ट्रीकृत शेयरधारक का विधिक वारिस या वारिस या प्रशासक या नामित है, तो दावेदार प्रपत्र सं. आईईपीएफ-5 सहित इन नियमों की अनुसूची-II में दिए गए सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित स्कैन प्रति की ऑनलाइन प्रस्तुति सुनिश्चित करेगा :

परंतु भौतिक रूप से रखी गई प्रतिभूतियों के खो जाने या नष्ट होने जाने की स्थिति में, दावेदार प्ररूप सं. आईईपीएफ-5 सहित इन नियमों की अनुसूची-III में दिए गए अतिरिक्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित स्कैन प्रति की ऑनलाइन प्रस्तुति सुनिश्चित करेगा :

परंतु यह भी कि दावेदार संबंधित कंपनी के नोडल अधिकारी को सभी मूल दस्तावेज अपने सम्यक् हस्ताक्षर सहित उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में दावे के सत्यापन के लिए प्रस्तुत कराएगा";

(vii) उपनियम (9) में "ऐसे दावेदार का दावा" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"इसके ई-सत्यापन रिपोर्ट के माध्यम से"

परंतु प्राधिकरण द्वारा ऐसे अनुरोध के सत्यापन के अध्यधीन कंपनी की ई-सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर हस्तांतरण या अंतरण के ऐसे अनुरोध का निपटान किया जाएगा।";

(viii) उपनियम (10) का लोप किया जाएगा।

(ix) उपनियम (11) में खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ख) दावेदार द्वारा किए गए किसी कपटपूर्ण दावे को अधिनियम की धारा 447 के आशय के भीतर कपट के रूप में समझा जाएगा और तद्नुसार दावेदार इसके लिए उत्तरदायी होगा।

(ग) यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अनुसरण में जारी किसी प्रतिभूति या किसी शेयर वारंट या कूपन का छलपूर्वक स्वामी होने का दावा करता है और विधिक स्वामी को देय किसी ऐसी किसी प्रतिभूति या ब्याज या किसी ऐसे वारंट या कूपन को प्राप्त करने या प्राप्त करने की कोशिश के लिए दावा दायर करता है, तो वह व्यक्ति अधिनियम की धारा 57, धारा 447 और धारा 448 के अधीन दंड का भागी होगा।"।

7. नियम 8 के उपनियम (1) और उपनियम (2) का लोप किया जाएगा।

8. इस अनुसूची की संख्या अनुसूची-I होगी और अनुसूची-I के पश्चात् दी गई संख्या के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूचियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

अनुसूची-II

प्रतिभूतियों के हस्तांतरण को रजिस्टर करने हेतु प्राधिकरण को प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज

क. भौतिक रूप में रखी गई प्रतिभूतियों के लिए दस्तावेजी अपेक्षाएं

1. यदि शेयरों को नामांकन सहित एकल रूप में रखा गया है:

1.1 नामिति द्वारा सम्यक् हस्ताक्षरित हस्तांतरण अनुरोध प्रपत्र;

1.2 सम्यक् प्रमाणित मृत्यु प्रमाणपत्र की मूलप्रति या प्रतिलिपि;

1.3 पेन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति;

1.4 मूल शेयर प्रमाणपत्र;

1.5 नामिति का कोई अन्य सरकारी आईडी साक्ष्य।

2. जहां शेयरों को नामांकन के बिना एकल रूप से रखा गया हो, पैरा 1 में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के अतिरिक्त निम्नलिखित दस्तावेज अपेक्षित हैं:

2.1 सभी विधिक वारिसों से उचित गैर-न्यायिक स्टांप पत्र में प्रतिभूतियों के विधिक स्वामित्व की पहचान और दावे के साथ शपथपत्र :

परंतु यदि विधिक वारिस(सों) या दावेदार(रों) का नाम वारिस प्रमाणपत्र या विल का प्रोबेट या प्रशासन पत्र में हो तो, ऐसे विधिक वारिस(सों) या दावेदार(रों) से केवल शपथपत्र ही पर्याप्त होगा।

2.2 आवेदन की तारीख तक 2,00,000 रुपये (दो लाख रुपये मात्र) प्रति जारीकर्ता कंपनी की प्रतिभूति के मूल्य के लिए, निम्नलिखित एक या एक से अधिक दस्तावेज अपेक्षित होंगे;

(क) भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) के अनुसार यथाप्रयोज्य उत्तराधिकार प्रमाणपत्र या विल का प्रोबेट या प्रशासन पत्र या न्यायालय की डिक्री।

(ख) उपरोक्त यथाउल्लिखित दस्तावेजों के न होने पर,

(i) मृत शेयरधारक के सभी विधिक वारिसों द्वारा मान्य सभी विधिक वारिसों से अनापत्ति प्रमाणपत्र जिसमें ऐसे हस्तांतरण पर आपत्ति न जताई गई हो (या) सम्यक् नोटरीकृत पारिवारिक निपटान विलेख की प्रति।

और

(ii) एसटीए/जारीकर्ता कंपनी की क्षतिपूर्ति की गारंटी हेतु समुचित गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर बनाया गया क्षतिपूर्ति बॉण्ड।

2.3 आवेदन की तारीख को प्रति जारीकर्ता कंपनी 2,00,000 रु. (दो लाख रुपये मात्र) से अधिक प्रतिभूतियों के मूल्य के लिए: वारिस प्रमाण-पत्र या विल का प्रोबेट या प्रशासनिक पत्र या न्यायालय डिग्री, जो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) के संदर्भ में लागू हो।

3. यदि शेयर नामनिर्देशन सहित संयुक्त रूप से धारित है तो:

3.1 नामनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित अंतरण अनुरोध प्ररूप।

3.2 सभी संयुक्त धारकों के सम्यक रूप से अनुप्रमाणित मृत्यु प्रमाण-पत्र (प्रमाण-पत्रों) की मूल प्रति या प्रतिलिपि।

3.3 पैन कार्ड की स्वः अनुप्रमाणित प्रति।

3.4 मूल शेयर प्रमाण-पत्र।

3.5 नामनिर्देशिती का अन्य कोई सरकारी पहचान-पत्र।

4. जहां शेयर नामनिर्देशन के बिना संयुक्त रूप से धारित हैं वहां पैरा 3 में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के अतिरिक्त निम्नलिखित दस्तावेज अपेक्षित हैं:

4.1 प्रतिभूतियों के विधिक स्वामित्व की पहचान और दावे हेतु सभी विधिक वारिसों से समुचित गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर शपथ-पत्र।

परंतु यह कि यदि विधिक वारिस (वारिसों) या दावेदार (दावेदारों) का नाम उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र या विल के प्रोबेट या प्रशासन पत्र में उल्लिखित है तो ऐसे विधिक वारिस (वारिसों) या दावेदार (दावेदारों) से मात्र शपथ-पत्र ही पर्याप्त होगा।

4.2 आवेदन की तारीख को प्रति जारीकर्ता कंपनी 2,00,000 रु. (दो लाख रुपये मात्र) तक के मूल्य की प्रतिभूतियों के लिए, निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक दस्तावेज अपेक्षित हैं:

(क) उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र या विल का प्रोबेट या प्रशासन पत्र या न्यायालय की डिक्री, जो भी भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) के संदर्भ में लागू हो।

(ख) ऊपर (क) में उल्लिखित दस्तावेजों के अभाव में,

(i) मृतक शेयर धारक(धारकों) के सभी विधिक वारिसों द्वारा हस्तांतरित ऐसे पारेषण पर आपत्ति दर्ज नहीं करने संबंधी अनापत्ति प्रमाण- पत्र या सम्यक रूप से नोटरीकृत पारिवारिक बंदोबस्त विलेख की प्रति।

और

(ii) एसटीए या जारीकर्ता कंपनी की क्षतिपूर्ति की गारंटी हेतु समुचित गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर बनाया गया क्षतिपूर्ति बंधपत्र

4.3 आवेदन की तारीख को प्रति जारीकर्ता कंपनी 2,00,000 रु. (दो लाख रुपये मात्र) से अधिक प्रतिभूतियों के मूल्य के लिए: उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र या विल का प्रोबेट या प्रशासन पत्र या न्यायालय की डिक्री, जो भी भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) के संदर्भ में लागू हो।

ख. डीमैट ढंग में धारित प्रतिभूतियों के लिए अपेक्षित दस्तावेज :

1 जहां शेयर नामनिर्देशन के साथ एकल रूप से धारित है :

1.1 नामनिर्देशिती द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित पारेषण अनुरोध प्ररूप।

1.2 सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित मृत्यु प्रमाण पत्र की मूल प्रति या प्रतिलिपि।

1.3 पैन कार्ड की स्व-अनुप्रमाणित प्रति।

1.4 निक्षेपागार सहभागी द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित संव्यवहार विवरण की प्रति।

1.5 नामनिर्देशिती का कोई अन्य सरकारी पहचान पत्र।

2. जहां शेयर नामनिर्देशन के बिना एकल रूप से धारित है वहां पैरा 1 में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के अतिरिक्त निम्नलिखित दस्तावेज अपेक्षित हैं:

2.1 प्रतिभूतियों के विधिक स्वामित्व की पहचान और दावे हेतु सभी विधिक वारिसों से समुचित गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर दिया गया शपथ-पत्र :

परंतु यह कि यदि विधिक वारिस (वारिसों) अथवा दावेदार (दावेदारों) का नाम उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र या विल के प्रोबेट या प्रशासन पत्र में उल्लिखित है तो ऐसे विधिक वारिस (वारिसों) या दावेदार (दावेदारों) से मात्र शपथ-पत्र ही पर्याप्त होगा।

2.2 आवेदन की तारीख को प्रति जारीकर्ता कंपनी 2,00,000 रु. (दो लाख रुपये मात्र) तक के मूल्य की प्रतिभूतियों के लिए, निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक दस्तावेज अपेक्षित है :

(क) उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र या विल का प्रोबेट या प्रशासन पत्र या न्यायालय की डिक्री, जो भी भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) के संदर्भ में लागू हो।

(ख) ऊपर (क) में उल्लिखित दस्तावेजों के अभाव में,

(i) मृतक शेयर धारक(धारकों) के सभी विधिक वारिसों, द्वारा निष्पादित ऐसे पारेषण पर आपत्ति दर्ज नहीं करने संबंधी अनापत्ति प्रमाण-पत्र या सम्यक रूप से नोटरीकृत पारिवारिक बंदोबस्त विलेख की प्रति।

और

(ii) एसटीए या जारीकर्ता कंपनी की क्षतिपूर्ति की गारंटी हेतु समुचित गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर बनाया गया क्षतिपूर्ति बन्धपत्र

2.3 आवेदन की तारीख को प्रति जारीकर्ता कंपनी 2,00,000 रु. (दो लाख रुपये मात्र) से अधिक प्रतिभूतियों के मूल्य के लिए: उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र या विल का प्रोबेट या प्रशासन पत्र या न्यायालय की डिक्री जो भी भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) के संदर्भ में लागू हो।

3. जहां शेयर नाम निर्देशन के साथ संयुक्त रूप से धारति है :

3.1 नामनिर्देशिती द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित पारेषण अनुरोध प्ररूप।

3.2 सभी संयुक्त धारकों के मृत्यु प्रमाण-पत्र (प्रमाण-पत्रों) की सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित मूल प्रति या प्रतिलिपि।

3.3 पैन कार्ड की स्व-अनुप्रमाणित प्रति।

3.4 निक्षेपागार सहभागी द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित संव्यवहार की प्रति।

3.5 नामनिर्देशिती का कोई अन्य सरकारी पहचान पत्र।

4. जहां शेयर नामनिर्देशन के बिना संयुक्त रूप से धारित हैं वहां ऊपर पैरा 3 में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के अतिरिक्त निम्नलिखित दस्तावेज अपेक्षित हैं:

4.1 प्रतिभूतियों के विधिक स्वामित्व की पहचान और दावे हेतु सभी विधिक वारिसों से समुचित गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर दिया गया शपथ-पत्र :

परंतु यह कि यदि विधिक वारिस (वारिसों) अथवा दावेदार (दावेदारों) का नाम उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र या विल के प्रोबेट या प्रशासन पत्र में उल्लिखित है तो ऐसे विधिक वारिस (वारिसों) अथवा दावेदार (दावेदारों) से मात्र शपथ-पत्र ही पर्याप्त होगा।

4.2 आवेदन की तारीख को प्रति जारीकर्ता कंपनी 2,00,000 रु. (दो लाख रुपये मात्र) तक के मूल्य की प्रतिभूतियों के लिए, निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक दस्तावेज अपेक्षित है; अर्थात् :-

(क) उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र या विल का प्रोबेट या प्रशासन पत्र या न्यायालय की डिक्री, जो भी भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) के संदर्भ में लागू हो।

(ख) ऊपर (क) में उल्लिखित दस्तावेजों के अभाव में,

(i) मृतक शेयर धारक(धारकों) के सभी विधिक वारिसों, द्वारा निष्पादित ऐसे पारेषण पर आपत्ति दर्ज नहीं करने संबंधी अनापत्ति प्रमाण-पत्र या सम्यक रूप से नोटरीकृत पारिवारिक बंदोबस्त विलेख की प्रति।

और

(ii) एसटीए या जारीकर्ता कंपनी की क्षतिपूर्ति की गारंटी हेतु समुचित गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर बनाया गया क्षतिपूर्ति बन्धपत्र।

4.3 आवेदन की तारीख को प्रति जारीकर्ता कंपनी 2,00,000 रु. (दो लाख रुपये मात्र) से अधिक प्रतिभूतियों के मूल्य के लिए: उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र या विल का प्रोबेट या प्रशासन पत्र या न्यायालय की डिक्री, जो भी भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) के संदर्भ में लागू हो।

अनुसूची-3

<u>भौतिक रूप में धारित प्रतिभूतियों के खो जाने की दशा में प्राधिकरण में जमा करवाए जाने वाले दस्तावेज</u>।

1. एफआईआर/पुलिस शिकायत की नोटरीकृत प्रति जिसमें प्रतिभूति धारक की सूचना, स्थावर संपदा (घृति) के ब्यौरे, फोलियो संख्या और शेयर प्रमाण-पत्र की सुभिन्न संख्याएं अंतर्विष्ट हों।
2. निष्पादन की तारीख को शेयरों के बाजार मूल्य के समान मूल्य के प्रतिभूति शपथ-पत्र के साथ प्रतिभुओं की पहचान का नोटरी द्वारा सम्यक रूप से अनुप्रमाणित सबूत, जैसे पैन कार्ड।
3. व्यक्ति, जिसके नाम मूल शेयर प्रमाण-पत्र जारी किए जा रहे हैं, द्वारा नोटरी पब्लिक से सम्यक रूप से अनुप्रमाणित अपेक्षित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर प्रतिभूति धारक द्वारा यह क्षतिपूर्ति बंधपत्र कि उसने अंतर्ग्रस्त शेयरों को बेचा नहीं है/निपटान नहीं किया है या इस रीति से ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिससे तीसरे पक्ष का कोई हित सृजित होता है।
4. यदि शेयरों का बाजार मूल्य 10,000 रु. से अधिक है तो राष्ट्र व्यापी परिचालन वाले अंग्रेजी भाषा के कम से कम एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में और कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय वाले स्थान पर वहाँ के एक क्षेत्रीय भाषा के दैनिक समाचार पत्र में जारी विज्ञापन की प्रति।

अनुसूची-4

<u>दावों का निपटान करते समय अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया</u>

कंपनी दावेदार की प्रामाणिकता और हकदारी का सत्यापन आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, कोई अन्य सरकारी पहचान पत्र सबूत, हस्ताक्षर और फोटो का मिलान आदि के माध्यम से करने के लिए उत्तरदायी होगी। कंपनी ऐसे दस्तावेजों का सत्यापन करेगी, जो अपेक्षित हैं और प्ररूप आईईपीएफ-5 में प्रगणित हैं, तथा दावेदार द्वारा जमा कराए गए मूल दस्तावेजों को अपने पास रखेगी। कंपनी, प्राधिकरण को इसके द्वारा की गई ई-फाइलिंग के अनुसार, दावों में अंतर्ग्रस्त रकम और शेयरों का सत्यापन करने के लिए उत्तरदायी होगी। कंपनी ई-सत्यापन की रिपोर्ट प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगी।

2. प्राधिकरण दावों का निपटान करते समय निम्नलिखित निर्देशात्मक प्रक्रियाओं का अनुपालन करेगा:

(i) प्ररूप सं. आईईपीएफ-5 में दी गई समस्त सूचना की संपूर्णता

(ii) ई-प्ररूप में दी गई सूचना का दावे के साथ संलग्न स्कैन किए गए दस्तावेजों से मिलान।

(iii) शपथ-पत्र और अन्य समर्थक दस्तावेजों अर्थात् नाम परिवर्तन के लिए राजपत्र में अधिसूचना, विवाह प्रमाण-पत्र, विभिन्न दस्तावेजों, शेयर प्रमाण-पत्रों आदि में नाम में परिवर्तन या फेर-फार के लिए अन्य पहचान सबूत आदि।

(iv) विभिन्न दस्तावेजों, शेयर प्रमाण-पत्रों में दिए गए पते में परिवर्तन या फेर-फार के लिए शपथ-पत्र और अन्य समर्थक दस्तावेज, शेयर प्रमाण-पत्र या प्ररूप सं. आईईपीएफ-4 अथवा अन्य स्थानों में अभिलिखित पता और वर्तमान पता।

(v) स्टांप अधिनियम के अनुसार दावेदार के नाम पर समुचित मूल्य के स्टांप पेपर पर क्षतिपूर्ति।

(vi) दावेदार के पैन ब्योरे का क्लाइंट मास्टर लिस्ट (सीएमएल) और सरकारी डाटा बेस के साथ सत्यापन।

(vii) भौतिक प्रतिभूति से संबंधित दावे की दशा में, कंपनी द्वारा ई-प्ररूप सं. आईईपीएफ-5 के साथ संलग्न प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति का अधिप्रमाणन।

(viii) डीमैट खाता संख्या, दावेदार का नाम, पैन, पते का सीएमएल से सत्यापन और मिलान।

(ix) यदि कंपनी से अदावाकृत उचंत खाते से शेयरों का अंतरण हुआ है, तो अदावाकृत उचंत खाते से सीएमएल का मिलान। कंपनी के अदावाकृत उचंत खाते के संव्यवहार के ब्यौरे का सत्यापन। ऐसे प्रत्येक निवेशक, जिसके शेयरों का अदावाकृत उचंत खाते से अंतरण किया गया है, का विवरण कभी भी निक्षेपागार से मांगा जा सकता है।

(x) दावाकर्ता की बकाया रकम के ब्यौरों का ई-प्ररूप आईईपीएफ-1 या आईएनवी-1 या आईईपीएफ-1क से सत्यापन किया जाएगा। यदि एमसीए प्रणाली में आंकड़े उपलब्ध नहीं है तो प्रतिदाय में से आनुपातिक कटौती की जा सकती है।"।

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, प्राधिकरण, दावे के निपटान के लिए अपेक्षानुसार दावेदार या कंपनी से कोई अन्य दस्तावेज, स्पष्टीकरण आदि मांग सकता है।

9. मूल नियमों में, आईईपीएफ-1, आईईपीएफ-2, आईईपीएफ-4 और आईईपीएफ-5 प्ररूपों के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे; अर्थात् :-

"प्ररूप सं. आईईपीएफ-1

[विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा परीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 के नियम 5(1) के अनुसरण में]

सत्यमेव जयते

विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में जमा की गई रकम का विवरण

प्ररूप की भाषा 0 अंग्रेजी 0 हिंदी

ब्यौरों के लिए अनुदेश किट देखें

टिप्पण 1 – कृपया इस ई-प्ररूप को अपलोड करने पर सृजन होने वाली पावती में यथाउल्लिखित 'विनिधानकर्ता वार ब्यौरे अपलोड करने की प्रक्रिया' का पालन करें।

1. (क) *कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)/
   बैंक कारपोरेट पहचान संख्या (बीसीआईएन)
   (ख) कंपनी की वैश्विक अवस्थान संख्या (जीएलएन)
2. (क) कंपनी/बैंक का नाम
   (ख) कंपनी/बैंक के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता
   (ग) *कंपनी/बैंक का ई-मेल आईडी
3. * निधि में जमा की जाने वाली रकम (रुपए में)
4. *कंपनी के संदत्त लाभांश खाते में रकम के अंतरण की तारीख
5. *निधि में जमा की गई रकम के ब्यौरे

क्र.सं.	विशिष्टियां	रकम (रुपये में)	तारीख जिस तक निधि में रकम जमा कराई जानी चाहिए
(क)	कंपनियों के असंदत्त लाभांश खातों में रकम		
(ख)	किन्हीं प्रतिभूतियों के आबंटन के लिए कंपनियों द्वारा प्राप्त आवेदन रकम और प्रतिदाय के लिए देय रकम		
(ग)	कंपनियों के पास परिपक्व निक्षेप		
(घ)	कंपनियों के पास परिपक्व डिबेंचर		
(ङ)	उपर्युक्त खंड (ख) से (घ) में निर्दिष्ट रकम पर प्रोद्भूत ब्याज		
	(i) प्रतिदाय के लिए देय आवेदन रकम		
	(ii) कंपनियों के पास परिपक्व निक्षेप		

	(iii) कंपनियों के पास परिपक्व डिबेंचर		
(च)	बोनस शेयर जारी करने, विलयन और समामेलन से उत्पन्न भिन्नात्मक शेयरों की बिक्री से आगम		
(छ)	अधिमानी शेयरों की मोचन रकम		
(ज)	अनुदान और संदान		
(झ)	अन्य		
	कुल		

6.* **वह वित्तीय वर्ष जिससे यह रकम संबंधित है**

संलग्नक

संलग्नकों की सूची

1. ऐच्छिक संलग्नक, यदि कोई हो।

घोषणा

मै, कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा तारीख.....*(दिन/मास/वर्ष) की संकल्प संख्या*..... के माध्यम से इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने और इसे जमा करने के लिए प्राधिकृत किया गया हूं।

मैं अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, यह घोषणा करता हूं कि इस प्ररूप की विषय वस्तु और इससे संबंधित अनुषंगी मामलों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके अधीन बनाए गए नियमों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि इस प्ररूप और इसके संलग्नकों में दी गई सभी सूचना सत्य, सही और पूर्ण है और किसी भी तात्विक सूचना को छिपाया नहीं गया है।

* द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर किए जाएं

* पदनाम.....

* निदेशक का डीआईएन; या प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ का पैन; या कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या; या बैंक के प्राधिकृत व्यक्ति का पैन

टिप्पणः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 और धारा 449 के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें मिथ्या कथन और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का उपाबंध किया गया है।

(उपांतरित करें) **(जांच करें)** **(पूर्व संवीक्षा)** **(प्रस्तुत करें)**

इस ई-प्ररूप को इलेक्ट्रोनिक ढंग से तथा कंपनी द्वारा दिए गए ब्यौरे की सत्यता के आधार पर आईईपीएफ प्राधिकरण द्वारा फाइल में रखा गया है।

प्ररूप सं. आईईपीएफ-1क
[विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा परीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 के नियम 5(4क) के अनुसरण में]

सत्यमेव जयते

विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में जमा की गई रकम का विवरण

प्ररूप की भाषा 0 अंग्रेजी 0 हिंदी
ब्यौरे के लिए अनुदेश किट देखें

टिप्पण 1 – कृपया इस ई-प्ररूप को अपलोड करने पर सृजन होने वाली पावती में यथाउल्लिखित 'विनिधानकर्ता वार ब्यौरे अपलोड करने की प्रक्रिया' का पालन करें।

1. (क) *कंपनी की कॉरपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)/
   बैंक कारपोरेट पहचान संख्या (बीसीआईएन)
   (ख) कंपनी की वैश्विक अवस्थान संख्या (जीएलएन)
2. (क) कंपनी/बैंक का नाम
   (ख) कंपनी/बैंक के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता
   (ग) *कंपनी/बैंक का ई-मेल आईडी
3. प्ररूप जिसके माध्यम से भुगतान किया गया था
   प्ररूप -1 के माध्यम से किया गया भुगतान प्ररूप 1 आईएनवी के माध्यम से किया गया भुगतान अन्य
4. प्ररूप- 1/1 आईएनवी का एसआरएन
   (आज्ञापक यदि भुगतान इलैक्ट्रोनिक माध्यम से किया गया था)
5. निधि में किए गए भुगतान के संबंध में *चालान संख्या/ सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएएन)
6. निधि में रकम के भुगतान की तारीख
7. *निधि में जमा की गई रकम
8. भुगतान का माध्यम चालान भुगतान (नकद, चैक, डिमांड ड्राफ्ट) ऑनलाईन भुगतान
9. निधि में जमा की गई रकम के ब्यौरे

क्र.सं.	विशिष्टियां	रकम (रु. में)	तारीख जिस तक निधि में रकम जमा कराई जानी चाहिए
(क)	कंपनियों के असंदत्त लाभांश खातों में रकम		
(ख)	किन्हीं प्रतिभूतियों के आबंटन के लिए कंपनियों द्वारा प्राप्त आवेदन रकम और प्रतिदाय के लिए देय रकम		
(ग)	कंपनियों के पास परिपक्व निक्षेप		
(घ)	कंपनियों के पास परिपक्व डिबेंचर		
(ङ)	उपर्युक्त खंड (ख) से (घ) में निर्दिष्ट रकम पर प्रोद्भूत ब्याज		
	i. प्रतिदाय के लिए देय आवेदन रकम		
	ii. कंपनियों के पास परिपक्व निक्षेप		
	iii. कंपनियों के पास परिपक्व डिबेंचर		
(च)	बोनस शेयर जारी करने, विलयन और समामेलन से उत्पन्न भिन्नात्मक शेयरों की बिक्री से आगम		

(छ)	अधिमानी शेयरों मोचन रकम		
(ज)	अनुदान और संदान		
(झ)	अन्य		
	कुल		

10.* **वह वित्तीय वर्ष जिससे यह रकम संबंधित है**

संलग्नक

संलग्नकों की सूची

1.* चालान की प्रति

2. ऐच्छिक संलग्नक, यदि कोई हो

घोषणा

मैं, कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा तारीख.....*(दिन/मास/वर्ष) की संकल्प संख्या*..... के माध्यम से इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने और इसे जमा करने के लिए प्राधिकृत किया गया हूं।

मैं अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, यह घोषणा करता हूं कि इस प्ररूप की विषय वस्तु और इससे संबंधित अनुषंगी मामलों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके अधीन बनाए गए नियमों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि इस प्ररूप और इसके संलग्नकों में दी गई सभी सूचना सत्य, सही और पूर्ण है और किसी भी तात्विक सूचना को छिपाया नहीं गया है।

* द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर किए जाएं

* पदनाम.....

* निदेशक का डीआईएन; या प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ का पैन; कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या; या बैंक के प्राधिकृत व्यक्ति का पैन

टिप्पणः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 और धारा 449 के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें मिथ्या कथन और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का उपाबंध किया गया है।

(उपांतरित करें) (जांच करें) (पूर्व संवीक्षा) (प्रस्तुत करें)

इस ई-प्ररूप को इलेक्ट्रोनिक ढंग से तथा कंपनी द्वारा दिए गए ब्यौरे की सत्यता के आधार पर आईईपीएफ प्राधिकरण द्वारा फाइल में रखा गया है।

प्ररूप संख्या आईईपीएफ-2 **[विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा परीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 के नियम 5(8) और 7 (2ख) के अनुसरण में]**	सत्यमेव जयते	**अदावाकृत और असंदत्त रकम का विवरण तथा नोडल अधिकारी के ब्यौरे**

प्ररूप की भाषा 0 अंग्रेजी 0 हिंदी

ब्यौरे के लिए अनुदेश किट देखें

टिप्पण 1- कृपया इस ई-प्ररूप के अपलोड होने पर सृजन होने वाली पावती में यथा-उल्लिखित 'विनिधानकर्ता-वार ब्यौरे अपलोड करने की प्रक्रिया' का पालन करें।

टिप्पण-2 -सभी *चिन्हित खानों को भरा जाना आज्ञापक है।

1. फाइलिंग का प्रयोजन

अदावाकृत और असंदत्त रकम का विवरण
नोडल अधिकारी की नियुक्ति
उप-नोडल अधिकारी की नियुक्ति
केवल नोडल अधिकारी के ब्यौरे अद्यतन करें
केवल उप-नोडल अधिकारी का अद्यतन / समाप्ति ब्यौरा

2. (क) *कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)/
बैंक कारपोरेट पहचान संख्या (बीसीआईएन)
(ख) कंपनी की वैश्विक अवस्थान संख्या (जीएलएन)

3. (क) कंपनी/बैंक का नाम
(ख) कंपनी/ बैंक के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता
(ग) *कंपनी/ बैंक का ई-मेल आईडी

3क.*नोडल अधिकारी के ब्यौरे

(क) प्रथम नाम
(ख) मध्य नाम
(ग) अंतिम नाम
(घ) पिता का प्रथम नाम
(ड) पिता का मध्य नाम
(च) पिता का अंतिम नाम
(छ) जन्म तिथि (दिन/मास/वर्ष)
(ज) पैन
(झ) पदनाम (ञ) लिंग
(ट) आधिकारिक डाक का पता
पंक्ति I .....
पंक्ति II .....
शहर .....
राज्य ..... पिन कोड .....
(ठ) दूरभाष (एसटीडी/आईएसडी कोड सहित)
(ड) मोबाईल सं.
(ढ) ई-मेल आईडी
(ण) बोर्ड के संकल्प तारीख

3ख. उप-नोडल अधिकारियों की संख्या

क्या आप उप-नोडल अधिकारी का पद छोडना चाहते हैं?

***उप-नोडल अधिकारियों के ब्यौरे**

(क) प्रथम नाम
(ख) मध्य नाम

(ग) अंतिम नाम
(घ) पिता का प्रथम नाम
(ड) पिता का मध्य नाम
(च) पिता का अंतिम नाम
(छ) जन्म तिथि (दिन/मास/वर्ष)
(ज) पैन
(झ) पदनाम
(ञ) लिंग
(ट) आधिकारिक डाक का पता
पंक्ति I .....
पंक्ति II .....
शहर .....
राज्य ..... पिन कोड .....
(ठ) दूरभाष (एसटीडी/आईएसडी कोड सहित)
(ड) मोबाईल नं.
(ढ) ई-मेल आईडी
(ण) बोर्ड के संकल्प तारीख
4. (क) *समाप्त वित्तीय वर्ष (वित्तीय वर्ष -7)
(ख) *वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की तारीख अथवा देय तारीख जो पहले हो (दिन/मास/वर्ष)
5. क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ रजिस्ट्रीकृत है हां ..... नहीं .....

6. कंपनी के लघु शेयरधारकों की संख्या.....

7. कंपनी के लघु निक्षेपकर्ताओं की संख्या.....

8. चालू वर्ष सहित पूर्ववर्ती सात वर्ष के लिए अदावाकृत और असंदत्त रकम का ब्यौरा

क्र.सं.	विशिष्टियां	गत सात वित्तीय वर्षों की प्रत्येक के लिए पृथक रूप से कंपनी के पास पड़ी हुई अदावाकृत और संदत्त रकम							
		वि.व.- 1	वि.व.-2	वि.व.-3	वि.व.-4	वि.व.-5	वि.व.-6	वि.व.-7	कुल (योग रकम)
1.	कंपनियों के असंदत्त लाभांश खातों में रकम								
(क)	कंपनियों के असंदत्त लाभांश खातों में रकम के लिए अंतर्निहित शेयरों की संख्या								
(ख)	वर्ष के दौरान असंदत्त लाभांश खातों से कंपनी द्वारा प्रतिदाय की रकम								
2.	धारा 38 की उप								

	धारा (4) के अधीन प्राप्त रकम								
3.	**प्राप्त आवेदन रकम और वापस करने के लिए देय रकम**								
4.	**परिपक्व जमाओं की रकम**								
(क)	**वर्ष के दौरान परिपक्व जमाओं से कंपनी द्वारा प्रतिदाय की रकम**								
5.	**परिपक्व डिबेंचर की रकम**								
(क)	**वर्ष के दौरान परिपक्व डिबेंचर से कंपनी द्वारा प्रतिदाय की रकम**								
6.	**उपरोक्त खंड (3) से (5) में निर्देशित रकम पर उपार्जित ब्याज**								
(i)	**प्रतिदाय के लिए देय आवेदन रकम**								
(ii)	**कंपनियों के पास परिपक्व जमाएं**								
(iii)	**कंपनियों के पास परिपक्व डिबेंचर**								
7.	**बोनस शेयरों के जारी करने, आमेलन और समामेलन से उत्पन्न भिन्नात्मक शयरों की बिक्री से आय**								
8.	**अधिमानी शेयरों की बिमोचन रकम**								
9.	**अन्य**								
	कुल (योग)								

टिप्पण: (1) वित्तीय वर्ष -7 उपरोक्त 4(क) में यथा-विनिर्दिष्ट चालू वित्तीय वर्ष है।

(2) वित्तीय वर्ष-1 में विनिर्दिष्ट रकम आगामी वित्तीय वर्ष में आईईपीएफ में वित्तीय वर्ष में जमा किए जाने के लिए देय रकम निर्दिष्ट करती है।

(3) उस विशिष्ट वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अदावाकृत/असंदत्त रकम इंगित करते हुए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए पृथक रूप से रकम दी जानी है।

9. उपरोक्त 4(क) में यथानिर्दिष्ट वित्तीय वर्ष के दौरान आईईपीएफ के पास शेष रकम कंपनी के शेयरों पर घोषित लांभाश की रकम।

10. उक्त 4(क) में यथानिर्दिष्ट वित्तीय वर्ष के दौरान आईईपीएफ के पास शेष रकम कंपनी के शेयरों पर घोषित (नियम 6 (8) के अनुसार) कोई अन्य लाभ।

संलग्नक **संलग्नक की सूची**

1. नोडल अधिकारी के नियुक्ति के लिए *बोर्ड संकल्प

2. ऐच्छिक संलग्नक, यदि कोई हो।

घोषणा

मैं बोर्ड के निदेशक द्वारा तारीख*..... (दिन/मास/वर्ष) की संकल्प संख्या*..... के माध्यम से इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने और इसे जमा करने के लिए प्राधिकृत किया गया हूं।

मैं अपनी जानकारी के अनुसार यह घोषणा करता हूं कि इस प्ररूप की विषय वस्तु और इससे संबंधित अनुषंगी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके नियमों की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि इस प्ररूप और इसके संलग्नकों मे दिए गए सभी तथ्य सत्य, सही और पूर्ण हैं और किसी भी सूचना को छिपाया नहीं गया है।

* द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर किए जाएं।

* पदनाम

* निदेशक का डीआईएन; या प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ का पैन; सचिव की सदस्यता संख्या; या बैंक के प्राधिकृत व्यक्ति का पैन

टिप्पणः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 और धारा 449 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें मिथ्या कथन और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का उपाबंध किया गया है।

(उपांतरित करें) (जांच करें) (पूर्व संवीक्षा) (प्रस्तुत करें)

इस ई-प्ररूप को इलेक्ट्रोनिक माध्यम से तथा कंपनी द्वारा दिए गए ब्यौरे की सत्यता के आधार पर आईईपीएफ प्राधिकरण द्वारा फाइल में रखा गया है।

प्ररूप संख्या आईईपीएफ-4 **[विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण *(लेखांकन, लेखा परीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 के नियम 6(5) और 6(8) के अनुसरण में]***	सत्यमेव जयते	**विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि को अन्तरित शेयरों का विवरण**

प्ररूप की भाषा 0 अंग्रेजी 0 हिंदी

ब्यौरे के लिए अनुदेश किट देखें

टिप्पण 1- कृपया इस ई-प्ररूप के अपलोड होने पर सृजन होने वाली पावती में निर्दिष्ट अनुसार 'विनिधानकर्ता-वार विशिष्टियां को अपलोड करने का प्रक्रिया' का पालन करें।

1. (क) *कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)

   (ख) कंपनी की वैश्विक अवस्थिति संख्या (जी एल एन)

2. (क) कंपनी/बैंक का नाम

   (ख) कंपनी/बैंक के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता

   (ग) *कंपनी/बैंक का ई-मेल आईडी

3. (क)* आईईपीएफ खाते में अंतरित किए गए शेयरों की कुल सांकेतिक रकम
   (ख)* अंतरित शेयरों की कुल संख्या

4. फाइलिंग का उद्देश्य

   1.*प्ररूप आईआईपीएफ-1/1-आईएनवी/आईईपीएफ-4
   2. आईईपीएफ में अंतरित शेयरों पर उपार्जित लाभों की घोषणा की तारीख
   3. आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमेट खाते पर कारपोरेट कार्रवाई की तारीख

5. *वित्तीय वर्ष जिससे यह रकम संबंधित है

संलग्नक **संलग्नकों की सूची**

1. *समाचार पत्र विज्ञापन की प्रति;
2. ऐच्छिक संलग्नक, यदि कोई हो

घोषणा

मैं बोर्ड के निदेशक द्वारा तारीख* ..... (दिन/मास/वर्ष) की संकल्प संख्या*..... के माध्यम से इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने और इसे जमा करने के लिए प्राधिकृत किया गया हूं।

मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, मैं यह घोषणा करता हूं कि इस प्ररूप की विषय वस्तु और इससे संबंधित अनुषंगी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके नियमों की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि इस प्ररूप और इसके संलग्नकों मे दिए गए सभी तथ्य सत्य, सही और पूर्ण है और किसी भी सूचना को छिपाया नहीं गया है।

* डिजिटल हस्ताक्षर किया जाए

* पदनाम

* निदेशक की डीआईएन; या प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ की स्थायी खाता संख्या; कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या

टिप्पणः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 और धारा 449 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें मिथ्या कथन और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का उपाबंध किया गया है।

(उपांतरित करें) (जांच करें) (पूर्व संवीक्षा) (प्रस्तुत करें)

इस ई-प्ररूप को इलेक्ट्रोनिक माध्यम से तथा कंपनी द्वारा दिए गए ब्यौरे की सत्यता के आधार पर आईईपीएफ प्राधिकरण द्वारा फाइल में रखा गया है।

प्ररूप संख्या आईईपीएफ-5

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 की उप-धारा (3) और विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण *(लेखांकन, लेखा परीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 के नियम 7(1) के अनुसरण में]*

सत्यमेव जयते

विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) से संदत्त रकम और शेयरों के दावे के लिए प्राधिकरण को आवेदन

1. आवेदक का ब्यौरा

(क) *आवेदक की श्रेणी वैयक्तिक अन्य

(ख) *प्रथम नाम

(ग) मध्य नाम

(घ) *अंतिम नाम

(ङ) *पिता का प्रथम नाम

(च) *पिता का मध्य नाम

(छ) *पिता का अंतिम नाम

(ज) *जन्म की तारीख

(झ) *संस्था का नाम

(ञ) *निगमन की तारीख

(ट) *आवेदक का पता

(ठ) दूरभाष संख्या

(ड) *मोबाइल संख्या

(ढ) *ई-मेल आईडी

(ण) मोबाइल नंबर के लिए ओटीपी प्रविष्ट करें

(त) ई-मेल आईडी के लिए ओटीपी प्रविष्ट करें

(थ) *आधार संख्या या पासपोर्ट/ओसीआई/पीआईओ कार्ड नंबर (एनआरआई/विदेशी नागरिकों के मामले में)

(द) *आवेदक का पैन

2. **उस कंपनी का ब्यौरा जिससे रकम देय है**

(क) *कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)

(ख) कंपनी का नाम

(ग) कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता

(घ) कंपनी का ई-मेल आईडी

3. क्या यह मामला आईईपीएफ नियम, 2016 के नियम 7(8) और 7(9) के अंतर्गत कवर किया गया है

o हां o नहीं

(क) मूल प्रतिभूति धारक का नाम

(ख) प्रतिभूति धारक के साथ दावेदार का संबंध

(ग) नामिति संख्या/विधिक वारिस/उत्तराधिकारी / प्रशासक / अन्य धारक

लाभार्थी का नाम

i. _____

ii. _____

iii. _____

4 दावे का प्रकार

Oरकम Oरकम और शेयर

5. दावा किए गए शेयरों का ब्यौरा (एक कंपनी के लिए एक से अधिक पन्ने जोड़े जा सकते हैं)
पन्ने की संख्या

धारक का प्रकार	पन्ना संख्या/ पूर्ण डीमेट खाता संख्या जिससे आईईपीएफ में अंतरण किया गया है	शेयर का प्रकार	शेयरों की संख्या

6. दावा ब्यौरा

*दावों की संख्या

प्रतिभूतियों/जमाओं का वर्षवार ब्यौरा जिनके लिए दावा किया गया है

दावे का प्रकार	धारक का प्रकार	पन्ना संख्या/ पूर्ण डीमेट खाता संख्या जिसमें से आईईपीएफ को हस्तांतरण किया गया	दावे की रकम	वित्तीय वर्ष जिससे दावा संबंधित है	प्राप्ति न किए जाने के कारण

7. प्रतिदाय खाते का ब्यौरा
बैंक खाते का ब्यौरा जिसमें प्रतिदाय रकम जमा की जाएगी

बैंक खाता संख्या बैंक का नाम आईएफएससी कोड बैंक शाखा

डीमेट खाता संख्या जिसमें शेयर जमा किए जाएंगे।

8. (क) *दावेदार के आधार कार्ड की प्रति और

यदि संयुक्त धारक हैं तो सभी संयुक्त धारकों के आधार कार्ड की प्रति _____(ब्राउज़)

(ख) *पासपोर्ट की प्रति, ओसीआई और पीआईओ कार्ड सं. विदेशियों/एनआरआई के मामले में _____(ब्राउज़)

(ग) *दावेदार के डीमेट खाते की ग्राहक मास्टर सूची _____(ब्राउज़)

(घ) *पात्रता का प्रमाण (बांड/डिबेंचर्स/नियत जमा प्राप्तियां/शेयर का प्रमाण-पत्र/ब्याज अधिपत्र/लाभांश अधिपत्र, आवेदन संख्या/लेनदेन का विवरण इत्यादि) _____(ब्राउज़)

(ङ) मृत्यु प्रमाण-पत्र की नोटेरीकृत प्रति _____(ब्राउज़)

(च) नोटेरीकृत उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र/प्रोबेट/विल _____(ब्राउज़)

(छ) अन्य धारक से अनापत्ति प्रमाण-पत्र _____(ब्राउज़)

(ज) क्षतिपूर्ति बंध-पत्र, सम्यक् रूप से नोटेरीकृत _____(ब्राउज़)

(झ) प्रतिभूति के रूप में शपथ-पत्र _____(ब्राउज़)

(ञ) अन्य _____(ब्राउज़)

घोषणा

मैं यह घोषणा करता हूं कि इस प्ररूप की विषय-वस्तु और इससे संबंधित अनुषंगी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके नियमों की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि इस प्ररूप और इसके संलग्नकों में दिए गए सभी तथ्य सत्य, सही और पूर्ण है और किसी भी सूचना को छिपाया नहीं गया है।

मैं घोषणा करता हूं कि शेयर और/अथवा इस पन्ने के अंतर्गत दावा की गई रकम और/अथवा इस कंपनी की ओर से किसी पूर्ववर्ती अवसर पर किसी वित्तीय वर्ष के लिए मैंने कोई दावा नहीं किया है/दावा नहीं करूंगा।

मैं समझता हूं कि मैं, दावेदार हूं और इस प्ररूप ऑनलाइन में प्रतिदाय दावा फाइल करने के बाद, दावे के लिए सत्यापन आरंभ करने हेतु "आईईपीएफ प्राधिकरण से प्रतिदाय के लिए दावा" चिह्नित एक लिफाफे में इसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में कंपनी के नोडल अधिकारी (आईईपीएफ) के लिए नीचे निर्धारित संलग्नक भेजूंगा।

1. पूर्ण रूप से भरा हुआ दावा प्ररूप जिसमें दावेदार के हस्ताक्षर हों, और यदि संयुक्त धारक शामिल हों तो प्ररूप पर, प्ररूप प्रस्तुत करने के संलग्नकों के साथ संयुक्त धारकों के द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिएं
2. दावा प्ररूप आईईपीएफ-5 उद्धारण करने के पश्चात् अभिस्वीकृति की प्रति
3. दावा प्ररूप आईईपीएफ-5 उद्धारण करने के पश्चात् स्वतः उत्पन्न क्षतिपूर्ति बंधन की प्रति उचित स्टांप के शुल्क के भुगतान के साक्ष्य सहित दावेदारों के हस्ताक्षर हों (स्टांप शुल्क के लिए सहायक अनुदेशिका देखें)
4. अवधिपूर्ण जमा या डिबेंचर या बोंड या शेयरों का जिनका (भौतिक रूप में) दावा किय गया है, के मामले में मूल प्रमाण-पत्र/शेयरों के अतिरिक्त शेयरों को प्रस्तुत करना
5. रद्द चैक की प्रति
6. किसी संयुक्त धारक की मृत्यु के मामले में मृत्यु प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना चाहिए।
7. अन्य ऐच्छिक दस्तावेज, (यदि कोई हों)

टिप्पण: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 के उपाबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जो उल्लेख यह उल्लेख करता है कि-

"अधिनियम में यथाउपबंधित के सिवाय यदि कोई विवरणी, रिपोर्ट, प्रमाण पत्र, वित्तीय ब्यौरे, विवरणी, ब्यौरे या अन्य दस्तावेज जो आवश्यक हो या अधिनियम के किसी उपाबंधों के उद्देश्य के लिए या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत कोई व्यक्ति कथन करता है,-

(क) जो कि तात्विक विवरणों में झूठा है जिसे झूठा होने का ज्ञान है; या

(ख) जो कोई तात्विक तथ्य को छुपाता है जिसका तात्विक होने का ज्ञान है, वह धारा 447 के अधीन उत्तरदायी होगा।"

[फा. सं. 05/02/2019-आईईपीएफ]

मनोज पांडेय, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में संख्या सा.का.नि. 854(अ) तारीख 5 सितंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 178(अ) तारीख 28 फरवरी, 2017 तारीख 13 अक्तूबर, 2017 की सा.का.नि. 1267(अ), सा.का.नि. 472(अ) तारीख 22.05.2018 और तारीख 01 मई, 2019 सा.का.नि. 343(अ) द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2019

G.S.R. 571(E).—In exercise of the powers conferred under sub-sections (1), (2), (3), (4), (8), (9), (10) and (11) of section 125 and sub-section (6) of section 124 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, namely:-

1. (1) These rules may be called the Investor Education and Protection FundAuthority (Accounting, Audit, Transfer and Refund)Second Amendment Rules, 2019.

(2)The provisions of these rules, Other than rule 6 (i), 6 (iv), 6 (v), 6(vi), 6(vii) and 6 (viii), shall come into force with effect from the 20th day of August, 2019.

(3) The provisions of rule 6 (i), 6 (iv), 6 (v), 6(vi), 6(vii) and 6 (viii), shall come into force with effect from the 20thday of September, 2019.

2. In the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, (hereinafter referred to as the principle rules), in rule 2,-

(i) in sub-rule (1), in clause (d), after the words "and includes any other entity which is required to transfer any fund to the Investor Education and Protection Fund in accordance with any Act or statute governing it" , the words "and any transferee company in respect of the assets and liabilities of transferor company" shall be inserted ;

(ii) in sub-rule (1), in clause (da), for the word "namely", the word "including" shall be substituted ;

(iii) in sub-rule (1), clause (g) shall be omitted.

3. In the principal rules, in rule 3,-

(i) in sub-rule (4), in clause (a), the words, brackets and letter "except clause (g)" shall be omitted;

(ii) in sub-rule (4), in clause (b), in sub-clause (ii), after the words "State Government", the words " the Central Government" shall be inserted.

4. In the principal rules, in rule 5,-

(i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) Any amount required to be credited by the companies to the Fund as provided under clauses (a) to (n) of sub-section (2) of section 125 of the Act shall be remitted online along with a Statement in Form No. IEPF 1 containing details of such transfer to the Authority within a period of thirty days of such amounts becoming due to be credited to the Fund**." ;**

(ii) sub-rules (2), (3) and (4) shall be omitted ;

(iii) After sub-rule (4),the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(4A) The companies which have transferred any amount referred to in clauses (a) to (d) of sub-section (2) of section 205C of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) to Investor Education and Protection Fund or Central Government, but have not filed the statement or have filed the statement in any format other than in excel template, as required under sub-rule (1) of rule 5, shall submit details mentioned in sub-rule (1) of rule 5 in Form No. IEPF – 1A along with excel template within sixty days of notification of these amended rule.";

(iv) in sub-rule (6), for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:-

"(c) The company shall maintain the record filed under sub – rule (1) in the same format along with all supporting documents and the Authority shall have the powers to inspect such records.";

(v) for sub-rule (8), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(8) Every company shall within a period of sixty days after the holding of Annual General Meeting or the date on which it should have been held as per the provisions of section 96 of the Act, whichever is earlier and every year thereafter till completion of the seven years period, identify the unclaimed amounts, as referred in sub-section (2) of section 125 of the Act, as on the date of closure of financial year the account of which are to be adopted in the Annual General Meeting as per sub-section (1) of section 137 of the Act, separately furnish and upload on its own website and also on website of Authority or any other website as may be specified by the Government, a statement or information of unclaimed and unpaid amounts separately for each of the previous seven financial years through Form No. IEPF-2, containing following information, namely:-

(a) the names and last known addresses of the persons entitled to receive the sum;

(b) the nature of amount;

(c) the amount to which each person is entitled;

(d)the due date for transfer into the Investor Education and Protection Fund; and

(e) such other information as may be considered necessary".

5. In the Principle rules, in rule 6-

(i) in sub-rule (1), in the first proviso, after the worlds "any dividend warrant", the words "or any dividend amount has been credited to bank account of the owner of such shares" shall be inserted;

(ii) in sub-rule (1), after third proviso, the following Explanation shall be inserted, namely:-

"Explanation.- For removal of all doubts, it is hereby clarified that all shares in respect of which dividend has been transferred to Investor Education and Protection Fund on or before the 7th September 2016, shall also be transferred by the company in the name of Investor Education and Protection Fund";

(iii) for sub-rule (5) the following sub-ruleshall be substituted, namely:-

"(5) While effecting such transfer, the company shall send a statement to the Authority in Form No. IEPF-4 within thirty days of the corporate action taken under clause (c) of sub-rule (3) of rule 6 containing details of such transfer and the company shall also attach a copy of the public notice published under clause (a) of sub-rule (3) of rule 6 in Form No IEPF-4.".

(iv) for sub-rule (7), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(7)The company shall maintain all such statements filed under sub – rule (5) in the same format along with all supporting documents and the Authority shall have the powers to inspect such records.";

(v) for sub-rule (8), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(8) All benefits accruing on such shares like bonus shares, split, consolidation, fraction shares and the like except right issue shall also be credited to such DEMAT account [by the company which shall send a statement to the Authority in Form No. IEPF-4 within thirty days of the corporate action containing details of such transfer.]".

6. In the Principle rules, in rule 7,

(i) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
"(2) Upon submission, FormNo. IEPF-5 shall be transmitted online to the Nodal Officer of the company for verification of claim:

Provided that the claimant after making an application in Form No. IEPF-5 under sub rule 1, shall send original physical share certificate, original bond, deposit certificate, debenture certificate, as the case may be, along with Indemnity Bond, Advance Receipts, any other document as enumerated in Form No. IEPF-5, duly signed by him, to the Nodal Officer of the concerned company at its registered office for verification of the claim.";

(ii) for sub-rule (2A), following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(2A) Every company which is required to credit amounts or shares to the fund or has deposited the amount or transferred the shares to the Fund shall nominate a Nodal Officer, who shall either be a Director or Chief financial Officer or Company Secretary of the company, for the purposes of verification of claims and coordination with Investor Education and Protection Fund Authority:

Provided that a company may appoint one or more Officer as Deputy Nodal Officer to assist the Nodal Officer for the purposes of verification of claim and for coordination with Investor Education and Protection Fund Authority:

Provided further that the Nodal Officer shall be solely liable for all actions of any officer appointed as Deputy Nodal Officer:

Provided also that in case a company fails to appoint Nodal Officer, every director of the company shall be deemed to be nodal officer and be liable for any failure to comply with requirement of these rules.";

(iii) after sub-rule (2A), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(2B) The details of the Nodal Officerand Deputy Nodal Officerduly indicating his or her designation, postal address, telephone and mobile number and company authorized e-mail ID shall be communicated to the Investor Education and Protection Fund Authority in Form No. IEPF – 2 within fifteen days from the date of publication of these rules and the company shall display the name of Nodal Officer and his e-mail ID on its website:

Provided that any change in the Nodal Officer or his details shall be communicated to the Authority through Form No. IEPF-2 within seven days of such change along with board resolution thereof.";

(iv) for sub-rule (3), the following sub-ruleshall be substituted, namely:-

"(3) The company shall, within thirty days from the date of receipt of claim, send an online verification report to the Authority after verification of details in Form No. IEPF-5 in the format specified by the Authority along with all the documents submitted by the claimant and shall attach the scanned copy of all the original documents submitted by the claimant in physical form duly certified by its Nodal Officer alongwith the e-verification report along with a scanned copy of both sides of original physical share certificate or original bond or deposit or debenture certificate/s duly cancelled and certified:

Provided that if the online verification report is not sent by the company within thirty days of filing of claim, the company may do so by paying additional feeof fifty rupees for every day subject to maximum of two thousand and five hundred rupees:

Provided further that the company shall be liable to maintain the original documents submitted to it by the claimant and shall produce such documents whenever required:

Provided also that in case of non-receipt of verification report along with documents by the Authority after the expiry of sixty days from the date of filing of Form No. IEPF-5, the Authority may reject Form No. IEPF-5, after sending a communication to the claimant and the concerned company, on the e-mail address of the claimant and the company, to furnish response within a period of fifteen days:

Provided also that for failure to submit verification report of the claim in accordance with these rules, the company and its Nodal Officer shall be punishable as per the provisions of the Act.

Explanation.-In case (i) loss of original physical share certificate or original bond or deposit or debenture certificate or proof of entitlement, the company and the claimant shall follow the procedure as laid down in the Companies (Share Capital and Debenture) Rules, 2014 , theSecurities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, guidelines, procedures and circulars issued from time to time and Schedule IIIof these rules and attach certified copies of all documents as may be required under the said rules or guidelines with the e-verification report; (ii) In addition, the company shall attach a scanned copy of both sides of share certificate generated under clause (d) of sub-rule (3) of rule 6 of these rules along with the e-verification report;(iii) The Company shall be solely responsible for collecting original physical share certificate or original bond or deposit or debenture certificate or proof of entitlement from the claimant and shall be liable for any misuse thereof.**";**

(v) for sub-rule (7), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(7) Where the Authority, on examining any application for claim, finds it necessary to call for further information or finds such application or e-form or document to be defective or incomplete in any respect, the Authority shall give intimation of such information called for or defects or incompleteness, by e-mail on the e-mail address of the claimant and the company, which has filed such application or e-form or document, directing him or it to furnish such information or to rectify such defects or incompleteness or to re-submit such application or e-Form or document within fifteen days from the date of receipt of such communication, failing which the Authority may reject the claim or e-form No. IEPF-5:

Provided that if such information or incompleteness is called from the claimant, he shall file the e-form and shall send such documents as called for within fifteen days, duly signed by him, to the Nodal Officer of the concerned company at its registered office for verification of the claim and company shall send a revised verification report:

Provided further that if any such information or incompleteness is called from the company, the company shall file the revised verification report and shall send such documents as called for within thirty days:

Provided alsothat the provisions of sub-rule (3) of rule 7 shall apply *mutatis mutandis* to this sub-Rule.";

(vi) forsub-rule (8), the following shall be substituted, namely:-

"(8) In case, claimant is a legal heir or successor or administrator or nominee of the registered share holder, the claimant shall ensure to submission of self-attested scanned copy of all documents detailed in Schedule II of these rules online along with the Form No. IEPF-5:

Provided that in case of loss of securities held in physical form, he has to ensure to submission of self-attested scanned copy of additional documents detailed in Schedule III of these rules online along with the Form No. IEPF-5:

Provided further that the claimant shall submit in original all these documents duly signed by him, to the Nodal Officer of the concerned company at its registered office for verification of the claim.";

(vii) in sub-rule (9), after the words "the claim of such claimant", the following shall be inserted, namely:-

"through its e-verification report:

Provided that the authority shall dispose such request of transfer or transmission based on the e-verification report of the company subject to verification of such request.";

(viii) sub-rule (10) shall be omitted.

(ix) in sub-rule (11), after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:-

"(b)Any fraudulent claim by the claimant shall be deemed to be fraud within the meaning of section 447 of the Act and the claimant shall be liable accordingly.

(c) If any person deceitfully personates an owner of any security or of any share warrant or coupon issued in pursuance of this Act and thereby files any claim to obtain or attempts to obtain any such security or interest or any such warrant or coupon due to the lawful owner, he shall be punishable under sections 57, 447 and 448 of the Act.".

7. in rule 8, sub rules (1) and (2) shall be omitted.

8. The SCHEDULE shall be numbered as Schedule I and after Schedule I as so numbered, the following Schedules shall be inserted, namely:-

Schedule II

Documents to be submitted to the Authority to register transmission of securities

A. Documentary requirement for securities held in physical mode

1. Where the shares are held singly with nomination:
   1.1. Duly signed transmission request form by the nominee.
   1.2. Original or copy of death certificate duly attested.
   1.3. Self-attested copy of PAN card.
   1.4. Original share certificate(s).
   1.5. Any other government ID proof of the nominee.

2. Where the shares are held singly without nomination, the following documents in addition to the documents specified at paragraph 1 are required:

   2.1 Affidavit from all the legal heirs made on appropriate non-judicial stamp paper- to the effect of identification and claim of legal ownership to the securities:

   Provided that in case the legal heir(s) or claimant(s) is named in the succession certificate or probate of will or Letter of Administration, an Affidavit from such legal heir(s) or claimant(s) alone would be sufficient.

   2.2 For value of securities up to Rs. 2,00,000 (Rupees Two lakh only) per issuer company as on date of application, one or more of the following documents:

   (a) Succession certificate or probate of will or letter of administration or court decree, as may be applicable in terms of Indian Succession Act, 1925. (39 of 1925)

   (b)In the absence of the documents as mentioned at (a) above,

(i). No objection certificate from all legal heir(s) executed by all the legal heirs of the deceased holder not objecting to such transmission (or) copy of Family Settlement Deed duly notarized

and

(ii). An Indemnity bond made on appropriate non-judicial stamp paper – indemnifying the STA or Issuer Company.

2.3 For value of securities more than Rs. 2,00,000 (Rupees Two lakh only) per issuer company as on date of application: Succession certificate or probate of will or letter of administration or court decree, as may be applicable in terms of Indian Succession Act, 1925. (39 of 1925)

3. Where the shares are held jointly with nomination:

3.1 Duly signed transmission request form by the nominee.

3.2 Original or copy of death certificate(s) of all the joint holders duly attested

3.3 Self-attested copy of PAN card.

3.4 Original share certificate(s).

3.5 Any other government ID proof of the nominee.

4. Where the shares are held jointly without nomination, the following documents in addition to the documents specified at paragraph 3 are required:

4.1 Affidavit from all the legal heirs made on appropriate non-judicial stamp paper- to the effect of identification and claim of legal ownership to the securities.

Provided that in case the legal heir(s) or claimant(s) is named in the succession certificate or probate of will or Letter of Administration, an Affidavit from such legal heir(s) or claimant(s) alone would be sufficient.

4.2 For value of securities uptoRs. 2,00,000 (Rupees Two lakh only) per issuer company as on date of application, one or more of the following documents:

(a) Succession certificate or probate of will or letter of administration or court decree, as may be applicable in terms of Indian Succession Act, 1925.(39 of 1925)

(b) In the absence of the documents as mentioned at (a) above,

(i). No objection certificate from all legal heir(s) executed by all the legal heirs of the deceased holder(s) not objecting to such transmission (or) copy of Family Settlement Deed duly notarized

and

(ii). An Indemnity bond made on appropriate non-judicial stamp paper – indemnifying the STA or Issuer Company.

4.3 For value of securities more than Rs. 2,00,000 (Rupees Two lakh only) per issuer company as on date of application:Succession certificate or probate of will or letter of administration or court decree, as may be applicable in terms of Indian Succession Act, 1925. (39 of 1925)

B. Documentary requirement for securities held in DEMAT mode

1. Where the shares are held singly with nomination:
   1.1. Duly signed transmission request form by the nominee.
   1.2. Original or copy of death certificate duly attested
   1.3. Self-attested copy of PAN card.
   1.4. Copy of transaction statement duly certified by Depository Participant.
   1.5. Any other government ID proof of the nominee.

2. Where the shares are held singly without nomination, the following documents in addition to the documents specified at paragraph 1 are required:

2.1 Affidavit from all the legal heirs made on appropriate non-judicial stamp paper- to the effect of identification and claim of legal ownership to the securities.

Provided that in case the legal heir(s) or claimant(s) is named in the succession certificate or probate of will or Letter of Administration, an Affidavit from such legal heir(s) or claimant(s) alone would be sufficient.

2.2 For value of securities uptoRs. 2,00,000 (Rupees Two lakh only) per issuer company as on date of application, one or more of the following documents:

(a) Succession certificate or probate of will or letter of administration or court decree, as may be applicable in terms of Indian Succession Act, 1925.

(b) In the absence of the documents as mentioned at (a) above,

(i) No objection certificate from all legal heir(s) executed by all the legal heirs of the deceased holder not objecting to such transmission (or) copy of Family Settlement Deed duly notarized

and

(ii) An Indemnity bond made on appropriate non-judicial stamp paper – indemnifying the STA or Issuer Company.

2.3 For value of securities more than Rs. 2,00,000 (Rupees Two lakh only) per issuer company as on date of application:Succession certificate or probate of will or letter of administration or court decree, as may be applicable in terms of Indian Succession Act, 1925. (39 of 1925)

3. Where the shares are held jointly with nomination:

3.1 Duly signed transmission request form by the nominee.

3.2 Original or copy of death certificate(s) of all the joint holders duly attested

3.3 Self-attested copy of PAN card.

3.4 Copy of transaction statementduly certified by Depository Participant.

3.5 Any other government ID proof of the nominee.

4. Where the shares are held jointly without nomination, the following documents in addition to the documents specified at paragraph 3 above are required:

4.1 Affidavit from all the legal heirs made on appropriate non-judicial stamp paper- to the effect of identification and claim of legal ownership to the securities:

Provided that in case the legal heir(s) or claimant(s) is named in the succession certificate or probate of will or Letter of Administration, an Affidavit from such legal heir(s) or claimant(s) alone would be sufficient.

4.2 For value of securities uptoRs. 2,00,000 (Rupees Two lakh only) per issuer company as on date of application, one or more of the following documents, namely:-

(a) Succession certificate or probate of will or letter of administration or court decree, as may be applicable in terms of Indian Succession Act, 1925. (39 of 1925)

(b) In the absence of the documents as mentioned at (a) above,

(i) No objection certificate from all legal heir(s) executed by all the legal heirs of the deceased holder(s) not objecting to such transmission (or) copy of Family Settlement Deed duly notarized

and

(ii) An Indemnity bond made on appropriate non-judicial stamp paper – indemnifying the STA or Issuer Company.

4.3 For value of securities more than Rs. 2,00,000 (Rupees Two lakh only) per issuer company as on date of application:Succession certificate or probate of will or letter of administration or court decree, as may be applicable in terms of Indian Succession Act, 1925. (39 of 1925)

Schedule III

Documents to be submitted to the Authority in case of loss of securities held in physical mode.

1. Notarised copy of FIR/ Police Compliant containing information of security holder, holding details, folio number and distinctive numbers of share certificate.

2. Surety Affidavit of value equal to market value that of shares as on date of execution along with his Proof of identity like Pan Card of sureties duly attested by Notary.

3. Indemnity bond by security holder on a non-judicial stamp paper of requisite value duly attested by Notary Public by the person, in whose name the original share certificate are being issued that he has not sold / disposed off the involved shares or acted in any manner by which any interest of third party would have been created.

4. Copy of advertisement issued in at least one English language national daily newspaper having nationwide circulation and in one regional language daily newspaper published in the place of registered office of company, if the market value of the shares is greater than Rs 10,000.

Schedule IV

Procedure to be followed while disposing the claims

The company shall be responsible for verifying the genuineness and entitlement of the claimant by doing the necessary verification through Aadhar Card, PAN Card, Passport, any other Government ID proof, matching of signature and photo etc. The company shall verify such documents as may be required and enumerated in form IEPF-5 and retain the originals submitted by the claimant. The company shall be responsible to verify the amount and shares involved in the claim according to the e-filings made by it to the Authority. The company shall submit e-verification report to the Authority.

2. "The Authority shall follow following indicative procedures while disposing the claims:

(i) Completeness of all the information provided in Form No. IEPF-5.

(ii) Matching of information in the e-form with the scanned documents attached with the claim.

(iii) Affidavit and other supporting documents viz. Gazette Notification for name change, marriage certificate, other identity proof etc. for change orvariations in name in various documents, share certificates etc.

(iv) Affidavit and other supporting documents for change or variations in address in various documents, share certificates, current address and address recorded in share certificate or Form No. IEPF – 4 or other places.

(v) Indemnity on stamp paper of appropriate value in the name of claimant as per Stamp Act

(vi) Verification of the PAN details of the Claimant with Client Master List (CML) and with the Government data base.

(vii) In case of claim related to physical securities, authentication of scanned copy of the certificate attached with Form No. IEPF-5 e-form by the company.

(viii) Verification and matching of DEMAT Account No., Name of claimant, PAN, Address from the CML.

(ix) Matching of CML of unclaimed suspense account in case the transfer of shares has taken place from the unclaimed suspense account from the company. Verification of transaction statement of the unclaimed suspense account of the company. At any point of time, details of every investor whose shares have been transferred from unclaimed suspense account, may be called from depository

(x) The details of amount due to the claimant are to be verified from e form IEPF-1 or INV-1 or IEPF-1A. In case of non- availability of the data in MCA system, proportionate deductions in the refund amount can be made.".

3. In addition to the above, the authority may seek any other documents, clarification etc. from the claimant or the company as and when required for disposing the claim.

9. In the Principal Rules, for the Forms IEPF-1, IEPF-2, IEPF-4 and IEPF-5, the following Formsshall be substituted, namely:-

FORM NO. IEPF-1

[Pursuant to rule 5(1) of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016]

सत्यमेव जयते

Statement of amounts credited to Investor Education and Protection Fund

Form language o English o Hindi

Refer instruction kit for details.

Note 1 - Please adhere to the 'Process for uploading Investor-wise details' as mentioned on the Acknowledgment, to be generated upon upload of this eForm.

1.(a)*Corporate identity number (CIN) of company/ Bank Corporate Identification number (BCIN)

Pre

(b) Global Location Number (GLN) of company

2. (a) Name of the company/bank

(b) Address of registered office of the company/bank

(c) *Email id of the company/bank

3.*Amount to be credited to the fund (in Rs.)

4.*Date of transfer of amount to unpaid dividend account of the company

5. *Details of the amount credited to the fund

S. No.	Particulars	Amount (in Rupees)	Date by which amount should have been credited to the fund
(a)	Amount in the unpaid dividend accounts of companies		
(b)	The application money received by companies for allotment of any securities and due for refund		
(c)	Matured deposits with companies		
(d)	Matured debentures with companies		
(e)	Interest accrued on the amounts referred to in clause (b) to (d) above		
	(i)Application money due for refund		
	(ii)Matured deposits with companies		
	(iii)Matured debentures with companies		
(f)	Sale proceeds of fractional shares arising out of issuance of bonus shares, merger and amalgamation		
(g)	Redemption amount of preference shares		
(h)	Grants and donation		
(i)	Others		

	Total		

6. *Financial Year to which the amount relates

Attachments

1. Optional attachments, if any. Attach

List of attachments

Remove attachment

Declaration

I have been authorized by the Board of directors' resolution number* Dated * (DD/MM/YYYY)
to sign and submit this form.

To the best of my knowledge and belief, I declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I also declare that all the information given herein above is true, correct and complete including the attachments to this form and nothing material has been suppressed.

*To be digitally signed by DSC Box

*Designation

*DIN of the director; or PAN of the manager or CEO or CFO; or Membership number of the company secretary; or PAN of Authorized person of the bank

Note: Attention is also drawn to provisions of Section 448 and section 449 of Companies Act, 2013 which provide for punishment for false statement and false evidence.

Modify Check Form Prescrutiny Submit

This eform has been taken on file maintained by IEPF Authority through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the company.

FORM NO.IEPF-1A
[Pursuant to rule 5 (4A)of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016]

सत्यमेव जयते

Statement of amounts credited to Investor Education and Protection Fund

Form language o English o Hindi

Refer instruction kit for details.

Note 1 - Please adhere to the 'Process for uploading Investor-wise details' as mentioned on the Acknowledgment, to be generated upon upload of this eForm.

1.(a)*Corporate identity number (CIN) of company/ Bank Corporate Identification number (BCIN) [ ] Pre fill

(b) Global Location Number (GLN) of company [ ]

2. (a) Name of the company/bank [ ]

(b) Address of registered office of the company/bank [ ]

(c) *Email id of the company/bank [ ]

3. Form through which payment was done

o Payment made through Form -1 o Payment made through Form 1INV o Others

4. SRN of Form-1/ 1INV [ ] Pre fill

(Mandatory if the payment was made electronically)

5. *Challan Number/ Service request number (SRN) in respect of payment made to the fund [ ]

6.Date of payment of amount to the fund [ ]

7. Amount credited to the fund [ ]

8. Mode of payment o Challan payment (cash, cheque, Demand draft) o Online payment

9.*Details of the amount credited to the fund

S. No.	Particulars	Amount (in Rupees)	Date by which amount should have been credited to the fund
(a)	Amount in the unpaid dividend accounts of companies		
(b)	The application money received by companies for allotment of any securities and due for refund		
(c)	Matured deposits with companies		
(d)	Matured debentures with companies		
(e)	Interest accrued on the amounts referred to in clause (b) to (d) above		
	(i) Application money due for refund		
	(ii) Matured deposits with companies		
	(iii) Matured debentures with companies		
(f)	Sale proceeds of fractional shares arising out of issuance of bonus shares, merger and amalgamation		
(g)	Redemption amount of preference shares		
(h)	Grants and donation		
(i)	Others		
	Total		

10. *Financial Year to which the amount related

Attachments **List of attachments**

1. *Copy of Challan — Attach
2. Optional attachments, if any. — Attach

Remove attachment

Declaration

I have been authorized by the Board of directors' resolution number* Dated * (DD/MM/YYYY) to sign and submit this form.

To the best of my knowledge and belief, I declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I also declare that all the information given herein above is true, correct and complete including the attachments to this form and nothing material has been suppressed.

*To be digitally signed by

DSC Box

*Designation

*DIN of the director; or PAN of the manager or CEO or CFO; or Membership number of the company secretary; or PAN of Authorized person of the bank

Note: Attention is also drawn to provisions of Section 448 and section 449 of Companies Act, 2013 which provide for punishment for false statement and false evidence.

Modify | Check Form | Prescrutiny | Submit

This eform has been taken on file maintained by IEPF Authority through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the company.

FORM NO. IEPF-2

[Pursuant to rule 5 (8) and 7 (2B) of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016]

सत्यमेव जयते

Statement of unclaimed and unpaid amounts and details of Nodal Officer

Form language o English o Hindi

Refer instruction kit for details.

Note 1 - Please adhere to the 'Process for uploading Investor-wise details' as mentioned on the Acknowledgment, to be generated upon upload of this eForm.

Note 2 - All fields marked in * are to be mandatorily filled.

1. Purpose of filing

- ○ Statement of unclaimed and unpaid amounts
- ○ Appointment of Nodal Officer
- ○ Appointment of Deputy Nodal Officer
- ○ Updation of details of Nodal Officer only
- ○ Updation/Cessation of details of Deputy Nodal Officer only

2.(a)*Corporate identity number (CIN) of company/ Bank Corporate Identification number (BCIN) | Pre fill

(b) Global Location Number (GLN) of company

3. (a) Name of the company/bank

(b) Address of registered office of the company/bank

(c) *email id of the company/bank

3A. ***Details of Nodal Officer**

(a) First Name

(b) Middle Name

(c) Last Name

(d) Father's First Name

(e) Father's Middle Name

(f) Father's Last Name

(g) Date of Birth (DD/MM/YYYY)

(h) PAN Verify PAN Details

(i) Designation (j) Gender

(j) Official Postal address

Line I

Line II

City

State Pin code

(k) Phone (With STD/ISD code) (l) Mobile No.

(m) Email ID

(n) Date of Board Resolution

3B Number of Deputy Nodal Officers

Do you want to cessate the Deputy Nodal Officer?

***Details of Deputy Nodal Officer(s)**

(a) First Name

(b) Middle Name

(c) Last Name

(d) Father's First Name

(e) Father's Middle Name

(f) Father's Last Name Prefill

(g) Date of Birth (DD/MM/YYYY)

(h) PAN Verify PAN Details

(i) Designation

(j) Gender

(j)Official Postal address

Line I

Line II

City

State

Pin code

(k) Phone (With STD/ISD code)

(l)Mobile number

(m) Email ID

(n) Date of Board Resolution

4. (a) *Financial year ended (FY-7)

(b) *Date of annual general meeting (AGM) or (DD/MM/YYYY)
due date whichever is earlier

5. Whether registered with Reserve Bank of India (RBI) Yes ◯ No ◯

6. Number of small shareholders of the company

7. Number of small depositors of the company

8. **Details of unclaimed and unpaid amounts for previous seven years including current year**

S.No.	Particulars	Unclaimed and unpaid amounts lying with the company separately for each of the last seven financial years							
		FY-1	FY-2	FY-3	FY-4	FY-5	FY-6	FY-7	Total (Auto sum)
1.	Amount in the unpaid dividend accounts of companies								
(a)	No. of Underlying Shares for the Amount in the unpaid dividend accounts of companies								
(b)	Amount refunded by the Company from the unpaid dividend account during the								

	year								
2	The amount received under sub-section (4) of section 38								
3	Amount of application moneys received and due for refund								
4	Amount of matured deposits								
(a)	Amount refunded by the Company from the matured deposits during the year								
5	Amount of matured debentures								
(a)	Amount refunded by the Company from the matured debentures during the year								
6	Interest accrued on the amounts referred to in clause (3) to (5) above								
(i)	Application money due for refund								
(ii)	Matured deposits with companies								
(iii)	Matured debentures with companies								
7	Sale proceeds of fractional shares arising out of issuance of bonus shares, merger and amalgamation,								
8	Redemption amount of preference shares								
9	Others								
	Total (Auto sum)								

Note: (1) FY-7 is the current financial year as mentioned in 4(a) above

(2) Amount mentioned in FY-1 indicates amount due to be credited to IEPF in next financial year

(3) Amounts are to be given separately for each financial year indicating the amount unclaimed/unpaid as on end of that particular financial year

9. Amount of Dividend declared on shares of the company lying with IEPF during the Financial yearas mentioned in 4(a) above

10. Any other benefits declared (as per rule 6(8)) on shares of the company lying with IEPF during the Financial yearas mentioned in 4(a) above

Attachments **List of attachments**

1. *Board Resolution for appointment of Nodal Officer — Attach
2. Optional attachments, if any — Attach

Remove attachment

Declaration

I have been authorized by the Board of directors' resolution number* Dated * (DD/MM/YYYY) to sign and submit this form.

To the best of my knowledge and belief, I declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I also declare that all the information given herein above is true, correct and complete including the attachments to this form and nothing material has been suppressed.

***To be digitally signed by** DSC Box

*Designation

*DIN of the director; or PAN of the manager or CEO or CFO; or Membership number of the secretary; or PAN of Authorized person of the bank

Note: Attention is also drawn to provisions of Section 448 and section 449 of Companies Act, 2013 which provide for punishment for false statement and false evidence.

Modify Check Form Prescrutiny Submit

This eForm has been taken on file maintained by the IEPF Authority through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the company

FORM NO. IEPF-4

[Pursuant to rule 6(5) and 6(8) of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016]

सत्यमेव जयते

Statement of shares transferred to the Investor Education and Protection Fund

Form language o English o Hindi

Refer instruction kit for details.

Note 1 - Please adhere to the 'Process for uploading Investor-wise details' as mentioned on the Acknowledgment, to be generated upon upload of this eForm.

Note 2 - For each SRN of IEPF-4 different IEPF-4 forms needs to be filed for benefits accruing on shares.

1.(a) *Corporate identity number (CIN) of company Pre fill

(b) Global Location Number (GLN) of company

2. (a) Name of the company/bank

(b) Address of registered office of the company/bank

(c) *Email id of the company/bank

3. (a) *Total nominal amount of shares transferred to the IEPF account

(b) *Total number of shares transferred Prefill

4. Purpose of filing

1. SRN of form IEPF-1/1-INV/IEPF-4
2. Date of Declaration of benefits accruing on Shares Transferred to IEPF.
3. Date of Corporate Action to Demat account of IEPF Authority.

4. *Financial Year to which the amount relates

Attachments **List of attachments**

1.*Copy of Newspaper advertisement Attach

2. Optional attachments, if any. Attach

Declaration

I have been authorized by the Board of directors' resolution number* Dated * (DD/MM/YYYY)

to sign and submit this form.

To the best of my knowledge and belief, I declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I also declare that all the information given herein above is true, correct and complete including the attachments to this form and nothing material has been suppressed.

*To be digitally signed by DSC Box

*Designation

*DIN of the director; or Income-tax permanent account number of the manager or CEO or CFO; or Membership number of the secretary

Note: Attention is also drawn to provisions of Section 448 and section 449 of Companies Act, 2013 which provide for punishment for false statement and false evidence.

Modify Check Form Prescrutiny Submit

This eform has been taken on file maintained by IEPF Authority through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the company".

FORM NO. IEPF-5

[Pursuant to sub-section (3) of section 125 of the Companies Act, 2013 and rule 7(1)of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016]

सत्यमेव जयते

Application to the Authority for claiming unpaid amounts and shares out of Investor Education and Protection Fund (IEPF)

1. Particulars of the applicant

(a) *Category of the applicant Individual Others

(b) *FirstName

(c) Middle Name

(d) *Last Name

(e) *Father's First Name

(f) Father's Middle Name

(g) *Father's Last Name

(h) *Date of Birth

(i) *Name of Entity

(j) *Date of Incorporation

(k) *Address of the applicant

(l) Phone number -

(m) *Mobile Number **Send OTP**

(n) *Email ID

(o) Enter OTP for Mobile number **Verify OTP**

(p) Enter OTP for Email ID

(q) *Aadhaar Number or Passport/OCI/PIO Card No. (in case of NRI/foreigners)

(r) *PAN of applicant **Verify PAN Detail**

2. Particulars of the Company from which the amount is due

(a) *Corporate identity number (CIN) of company **Pre-fill**

(b) Name of the company

(c) Address of registered office of the company

(d) Email id of the company

3. Is it a case covered under rule 7 (8) & 7(9) of IEPF Rules, 2016 Yes ◯ No ◯

(a) Name of original security holder

(b) Relation of claimant with security holder

(c) Number of Nominee/Legal heirs/Successors/ Administrator/ Others holders.

Name of Beneficiary
i.
ii.
iii.

4. Type of Claim

O Amount O Amount and Shares

5. Details of shares claimed (More than one Folio for one company can be added)

Number of Folio

Type of holding	Folio No./ Complete Demat Account Number from which transfer has been made to IEPF	Type of share	Number of shares
	Folio No. Demat A/c		

6. Claim Details

*Number of claims

Year wise details of securities / deposits for which the amount is claimed

Type of Claim	Type of holding	Folio No./Complete Demat account number from which transfer has been made to IEPF	Amount of the claim	Financial Year to which claim relates	Reason
		Folio Demat A/c	Principle Interest		

7. Refund Account Details

Details of Bank account in which refund shall be credited

Bank account number | Bank Name | IFSC Code | Bank Branch

Demat account number in which shares shall be credited

8 (a) *Copy of Aadhaar Card of the claimant and if joint holders are there, copy of Aadhar card of all joint holders Browse

(b) *Copy of Passport, OCI and PIO card in case of foreigners and NRI Browse

(c) *Client Master List of De-mat A/c of the claimant Browse

(d)*Proof of entitlement (Bonds/Debentures/Fixed Deposit receipts/ Certificate of share/Interest warrant/Dividend warrant, Application No./Statement of transaction etc.) Brows

(e) Notarised Copy of death certificate Browse

(f) Notarised Succession Certificate/Probate/will Browse

(g) No Objection Certificate from Other holder Browse

(h) Indemnity Bond, duly notarised. Browse

(i) Affidavit in form of surety. Browse

(j) Others Browse

Declaration

I declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I further declare that all the information given herein above is true, correct and complete including the attachments to this form and nothing material has been suppressed.

I declare that I have not claimed/ will not claim, the shares and/or amount claimed under the same folio and/or for same financial year on any earlier occasion for this company.

☐I understand that I, am the claimant and after filing the refund claim in this form online, shall send the attachments prescribed below to Nodal Officer (IEPF) of the company at its registered office in an envelope marked "claim for refund from IEPF Authority" for initiating the verification for claim

1. Print out of duly filled claim form with claimant signature and if joint holders are involved than the Form should be signed by all the joint holders along with annexures submitted with form
2. Copy of acknowledgement generated after uploading the claim Form IEPF 5.
3. Copy of Indemnity Bond (original) auto generated after uploading the claim Form IEPF 5 with claimant signature and proof of payment of applicable stamp duty (Refer Help Kit for Stamp Duty Details).
4. In case of refund of matured deposit or debenture or bond or where shares (in physical form) are claimed, original certificate/shares thereto.
5. Original Cancelled Cheque leaf.
6. In case any Joint holder is deceased, Copy of Death certificate to be attached.
7. Other optional documents, (if any)

Note: Attention is also drawn to provisions of Section 448 of Companies Act, 2013 which states that-

"Save as otherwise provided in this Act, if in any return, report, certificate, financial statement, prospectus, statement or other document required by, or for, the purposes of any of the provisions of this Act or the rules made thereunder, any person makes a statement,-

(a) which is false in any material particulars, knowing it to be false; or

(b) which omits any material fact, knowing it to be material, he shall be liable under section 447."

Submit

[F. No. 05/02/2019-IEPF]

MANOJ PANDEY, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 854 (E), dated the 5th September, 2016 and amended vide notification number G.S.R. 178(E) dated 28th February, 2017, G.S.R.1267 (E) dated 13th October, 2017, G.S.R. 472 (E) dated 22.05.2018 and G.S.R. 343(E) dated 1st May, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 286] नई दिल्ली, बुधवार, मई 1, 2019/वैशाख 11, 1941
No. 286] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 1, 2019/VAISAKHA 11, 1941

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मई, 2019

सा.का.नि. 343(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित, धारा 125 की उपधारा (1), उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4), उपधारा (8), उपधारा (9), उपधारा (10) और उपधारा (11) तथा धारा 124 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विनिधानकर्त्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विनिधानकर्त्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) संशोधन नियम, 2019 है।

   (2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विनिधानकर्त्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के, नियम 2 में, उपनियम (1) में, खण्ड (घ) में, "और भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959(1959 का 38) की धारा 2 के खण्ड (ट) में यथा-परिभाषित अनुषंगी बैंक" शब्दों, कोष्ठकों, अक्षर और अंकों के स्थान पर, "भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) की धारा 2 के खण्ड (ट) में यथा परिभाषित 'अनुषगी बैंक', जिसमें कोई अन्य अस्तित्व जिसे विनिधानकर्त्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में इसे शासित करने वाले कानून के किसी अधिनियम के अनुसार किसी निधि का अंतरण करना अपेक्षित हो," शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे।

3. उक्त नियमों के, नियम 3 में, उपनियम 2 के खण्ड (छ) में, "बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 10ख", शब्दों, अंकों, अक्षर और कोष्ठकों के पश्चात् "भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 38क की उपधारा (3)" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. 05/01/2019-आईईपीएफ]

अनुराग अग्रवाल, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में तारीख 5 सितंबर, 2016 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 854(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इसके पश्चात् तारीख 28 फरवरी, 2017 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 178(अ), तारीख 13 अक्टूर, 2017 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1267(अ) और तारीख 22 मई, 2018 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 472(अ) द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st May, 2019

G.S.R. 343(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (2), (3), (4), (8), (9), (10) and (11) of section 125 and sub-section (6) of section 124, read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, namely:-

1. (1) These rules may be called the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Amendment Rules, 2019.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, in sub-rule(1), in clause (d), for the words, brackets, letter and figures "and 'subsidiary bank' as defined in clause (k) of section 2 of State Bank of India (Subsidiary Bank) Act, 1959 (38 of 1959)", the words, figures, brackets and letter ", State Bank of India constituted under section 3 of the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955), ' subsidiary bank' as defined in clause (k) of section 2 of the State Bank of India (Subsidiary Bank) Act, 1959 (38 of 1959) and includes any other entity which is required to transfer any fund to Investor Education and Protection Fund in accordance with any Act or statute governing it" shall be substituted.

3. In the said rules, in rule 3, in sub-rule (2) in clause (g), after the words, figures, letter and brackets "section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1980", the words, figures, letter, and brackets ", sub-section (3) of section 38A of the State Bank of India Act, 1955" shall be inserted.

[F. No. 05/01/2019-IEPF]

ANURAG AGARWAL, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 854(E), dated the 5th September, 2016 and amended *vide* notification number G.S.R 178(E) dated 28th February, 2017, G.S.R. 1267(E) dated 13th October, 2017 and G.S.R. 472(E) dated 22nd May, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.05.01 21:51:53 +05'30'

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2017

G.S.R. 1267(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (2), (3), (4), (8), (9), (10) and (11) of section 125, sub-section (6) of section 124 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, namely:—

1. (1) These rules may be called the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Second Amendment Rules, 2017.

(2) They shall come into force from the 13th October, 2017.

2. In the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, (hereinafter referred to as the principle rules), in rule 6—

(I) in sub-rule (1),—

(a) for the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided further that in cases where the period of seven years provided under sub-section (5) of section 124 has been completed or being completed during the period from 7th September, 2016 to 31st October, 2017, the due date of transfer of such shares shall be deemed to be 31st October, 2017.";

(b) after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that transfer of shares by the companies to the Fund shall be deemed to be transmission of shares and the procedure to be followed for transmission of shares shall be followed by the companies while transferring the shares to the fund.".

(II) in sub-rule(3), for clause (d), the following clause shall be substituted, namely;—

'(d) For the purposes of effecting the transfer shares held in physical form-

(i) the Company Secretary or the person authorised by the Board shall make an application, on behalf of the concerned shareholder, to the company, for issue of a new share certificate;

(ii) on receipt of the application under clause (a), a new share certificate for each such shareholder shall be issued and it shall be stated on the face of the certificate that "Issued in lieu of share certificate No..... for the purpose of transfer to IEPF" and the same be recorded in the register maintained for the purpose;

(iii) particulars of every share certificate shall be in Form No. SH-1 as specified in the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014;

(iv) after issue of a new share certificate, the company shall inform the depository by way of corporate action to convert the share certificates into DEMAT form and transfer in favour of the Authority.';

(III) after sub-rule (12), the following sub-rules shall be inserted, namely:—

"(13) Any amount required to be credited by the companies to the Fund as provided under sub-rules (10), (11) and sub-rule (12) shall be remitted into the specified account of the IEPF Authority maintained in the Punjab National Bank.

(14) Authority shall furnish its report to the Central Government as and when non-compliance of the rules by companies came to its knowledge.".

3. In the principle rules, in rule 7—

(a) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(2A) Every company which has deposited the amount to the Fund shall nominate a Nodal Officer for the purpose of coordination with IEPF Authority and communicate the contact details of the Nodal Officer duly indicating his or her designation, postal address, telephone and mobile number and company authorized e-mail ID to the IEPF Authority, within fifteen days from the date of publication of these rules and the company shall display the name of Nodal Officer and his e-mail ID on its website.";

(b) after sub-rule (3), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that in case of non receipt of documents by the Authority after the expiry of ninety days from the date of filing of Form IEPF-5, the Authority may reject Form IEPF-5, after giving an opportunity to the claimant to furnish response within a period of thirty days.";

(c) after sub-rule (7), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that in case of non receipt of rectified documents by the Authority after the expiry of ninety days from the date of such communication, the Authority may reject Form IEPF-5, after giving an opportunity to the claimant to furnish response within a period of thirty days.".

[F. No. 05/17/2017-IEPF]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number GSR 854(E) dated the 5th September, 2016 and amended vide notification number G.S.R 178(E), dated the 28th February, 2017.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.10.14 16:46:48 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 145] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 28, 2017/फाल्गुन 9, 1938
No. 145] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 28, 2017/PHALGUNA 9, 1938

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2017

सा.का.नि. 178(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित और धारा 124 की उपधारा (6) और धारा 125 की उपधारा (1) उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4), उपधारा (8), उपधारा (9), उपधारा (10) और उपधारा (11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षा कोष प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और वापसी) नियम, 2016 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षा कोष प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और वापसी) संशोधन नियम, 2017 है।

(2) ये नियम तारीख 28 फरवरी, 2017 से प्रवृत्त होंगे।

2. विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षा कोष प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और वापसी) नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 2 के उपनियम (1) में उपनियम (घ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:

(घ) "कंपनी" से अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (20) में परिभाषित ऐसी कंपनी अभिप्रेत है और इसमें बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 2 की उपधारा (घ) और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 2 के खंड (ख) में यथापरिभाषित "सदृश नए बैंक" और भारतीय स्टैट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) की धारा 2 के खंड (ट) में यथापरिभाषित 'अनुषंगी बैंक' शामिल हैं।

(घक) "कारपोरेट कार्रवाई" से कंपनी द्वारा प्राधिकरण को राइट्स इश्यू को छोड़कर बोनस शेयर, विभाजन, समेकन, फ्रैक्शन शेयर आदि के अंतरण के संबंध में की गई कोई कार्रवाई और ऐसे शेयरों पर प्राप्त सभी लाभ अभिप्रेत हैं;

3. मूल नियम के नियम 3 के उपनियम (2) के खंड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:

'(छ) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10ख की उपधारा (3), बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 10ख और भारतीय स्टैट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 40क में यथाउल्लिखित सभी देय राशियां; और'

4. मूल नियमों के नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"6. धारा 124 की उपधारा (6) के अधीन निधि में शेयरों के अंतरण की रीति –

(1) इन शेयरों को प्राधिकरण के डीमैट खाते में, जिसे उक्त प्रयोजन के लिए अधिकरण द्वारा कोष में अंतरण के लिए देय होने के 30 दिनों के भीतर खोला जाएगा जमा किया जाएगा:

परंतु कि, यदि हिताधिकारी स्वामी ने पिछले सात वर्षों के दौरान किसी लाभांश अधिपत्रों को भुनाया है तो ऐसे शेयरों को, कुछ लाभांश अधिपत्रों को भुनाने के लिए शेष होने के बावजूद भी कोष में अंतरित करने की आवश्यकता नहीं होगी:

परंतु यह और कि धारा 124 की उपधारा (5) कें अधीन उल्लिखित सात वर्षों की अवधि पूर्ण हो गई हो या 7 सितंबर, 2016 से 31 मई, 2017 के अवधि के दौरान ये सात वर्ष पूरे हो रहे हों तो तारीख 31 मई, 2017 को इन शेयरों के अंतरण की देय तारीख माना जाएगा।

(2) इन शेयरों के अंतरण के प्रयोजनार्थ बोर्ड कंपनी सचिव या किसी अन्य व्यक्ति को आवश्यक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत करेगा।

(3) शेयरों के अंतरण के समय कंपनी निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन करेगी, अर्थात्:-

(क) कंपनी शेयरों के अंतरण की देय तारीख के तीन मास पूर्व संबंधित शेयरधारक को उनके वर्तमान उपलब्ध पते पर शेयरों के अंतरण के संबंध में सूचित करेगी और साथ ही व्यापक परिचालन वाले अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के मुख्य समाचार पत्र में एक साथ सूचना प्रकाशित करेगी जिसमें उनके वेबसाइट पते का उल्लेख होगा और संबंधित शेयरधारक को यह सूचना दी जाएगी कि शेयरधारकों के नाम और उनके फोलियों संख्या या डीपीआईडी – ग्राहक पहचान पत्र आदि उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

(ख) यदि न्यायालय या अधिकरण या कानूनी प्राधिकरण का ऐसे शेयर का अंतरण रोकने का विनिर्दिष्ट आदेश हो और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 के उपबंधों के अधीन लाभांश या शेयरों के संदाय को गिरवी या बंधक रखा गया हो या उपरोक्त उपनियम (1) के अधीन शेयरों को पहले से ही अंतरित कर दिया गया हो तो, कंपनी इन शेयरों को निधि में अंतरित नहीं करेगी:

परंतु कंपनी वित्तीय वर्ष पूरे होने के 30 दिनों के भीतर प्ररूप सं. आईईपीएफ – 3 में प्राधिकरण को इन शेयरों और संदत्त लाभांशों का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी।

(ग) अंतरण के प्रयोजनार्थ, यदि शेयरों में निक्षेपागार में व्यौहार किया जाता तो है -

(i) प्राधिकरण में अंतरण के लिए शेयरधारकों का खाता हो, तो कंपनी निक्षेपागार को कारपोरेट कार्रवाई के माध्यम से सूचना देगी।

(ii) ऐसी सूचना की प्राप्ति के पश्चात् निक्षेपागार प्राधिकरण के डीमैट खाते में शेयरों का अंतरण करेगा।

(घ) जहां शेयर भौतिक रूप में रखे गए हों तो उनके अंतरण के प्रयोजनार्थ –

(i) कंपनी सचिव या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति संबंधित शेयरधारकों की ओर से कंपनी को अनुलिपि शेयर प्रमाणपत्र जारी करने का आवेदन करेगा;

(ii) खंड (क) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर प्रत्येक शेयरधारक के लिए अनुलिपि प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा और उस पर यह लिखा जाएगा और इस उद्देश्य के लिए रजिस्टर में रिकार्ड किया जाएगा, कि अनुलिपि प्रमाणपत्र को "आईईपीएफ में अंतरण के उद्देश्य से शेयर प्रमाणपत्र सं. ..... के लिए जारी किया गया है" और "अनुलिपि" शब्द पर मुहर लगाई जाएगी या शेयर प्रमाणपत्र के प्रथम पृष्ठ पर बड़े अक्षरों में टंकित किया जाएगा।

(iii) उपरोक्त अनुसार जारी किए गए प्रत्येक शेयर प्रमाणपत्र के ब्यौरे कंपनी (शेयरपूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 में निर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार नए और अनुलिपि शेयर प्रमाणपत्र रजिस्टर में प्ररूप सं. एसएच-2 में रखे जाएंगे।

(iv) अनुलिपि प्रमाणपत्र जारी होने के पश्चात् कंपनी निक्षेपागार को कारपोरेट कार्रवाई के माध्यम से अनुलिपि शेयर प्रमाणपत्र को डीमैट प्रारूप में बदलने और प्राधिकरण में अंतरण के लिए सूचित करेगी।

(4) कंपनी कारपोरेट कार्रवाई कें माध्यम से ऐसे अंतरण करेगी और अपने अभिलेख के लिए उसकी प्रति संरक्षित रखेगी।

(5) इस प्रकार का अंतरण करते समय कंपनी प्ररूप सं. आईईपीएफ – 4 में निधि को विवरण भेजेगी जिसमें अंतरण के ब्यौरे होंगे।

(6) निधि को अंतरित शेयरों पर मतदान का अधिकार तब तक शिथिल रहेगा जब तक इसके सही स्वामी इन शेयरों का दावा न करें:

परंतु भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का महत्वपूर्ण अधिग्रहण और अर्जन) विनियमन, 2011 के उद्देश्य के लिए ऐसे शेयर जिन्हें प्राधिकण को अंतरित नहीं किया गया हैं, को कुल मतदान अधिकार की गणना के समय गणना से बाहर नहीं रखा जाएगा।

(7) कंपनी उस प्रत्येक शेयरधारक के शेयरधारण का विवरण रखेगी जिनके शेयर प्राधिकरण के डीमैट खाते में जमा किए गए हैं।

(8) राइट्स इश्यू को छोड़कर ऐसे शेयरों से प्राप्त लाभ जैसे बोनस शेयर, विभाजन, समेकन, शेयरों का अंश आदि भी ऐसे डीमेट अकाउंट में जमा कर दिए जाएंगे।

(9) ऐसे डीमैट खाते में रखे गए शेयरों का दावेदार को, जब वह प्राधिकरण से आवेदन करे, वापस अंतरण करने या उप नियम (10) और (11) के अनुसरण में विहित को छोड़कर अन्य किसी रीति से अंतरण या निपटान किया जाएगा।

(10) यदि कंपनी को असूचीबद्ध किया है तो प्राधिकरण भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साम्य शेयर का असूचीकरण) विनियम, 2009 के अनुसरण में शेयरधारकों की ओर से शेयर लौटा देगा और प्राप्त आय निधि में जमा की जाएगी तथा ऐसी प्राप्तियों के लिए एक पृथक खाता रखा जाएगा।

(11) यदि ऐसी कंपनी, जिसके शेयर और प्रतिभूतियां प्राधिकरण के द्वारा धृत हैं, का समापन किया जा रहा है तो प्राधिकरण प्रतिभूति धारक की ओर से हकदार राशि प्राप्त करने के लिए प्रतिभूतियों को लौटाएगा और राशि को निधि में जमा करवाएगा तथा ऐसी प्राप्तियों के लिए एक पृथक खाता रखा जाएगा।

(12) ऐसे शेयरों पर प्राप्त कोई अन्य लाभांश निधि में जमा करवाया जाएगा और ऐसी प्राप्तियों के लिए एक पृथक खाता रखा जाएगा।

5. मूल नियमों में, नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“7. निधि से दावाकर्ताओं को प्रतिदाय” :-

(1) कोई व्यक्ति, जिसके शेयर, अदावाकृत लाभांश, परिपक्व जमा, परिपक्व डिबेंचर वापस लौटाने के लिए आवेदन राशि, या उस पर ब्याज, फंक्शनल शेयरों की बिक्री से प्राप्तियां, अधिमानी शेयरों के मोचन से प्राप्तियां आदि निधि में अंतरित कर दी गई हैं तो वहि धारा 124 की उपधारा (6) के परंतुक के अधीन शेयरों का दावा कर सकता है या केन्द्रीय सरकार के परामर्श से समय समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शुल्क सहित वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध प्ररूप आईईपीएफ-5 में ऑनलाइन आवेदन जमा करके प्राधिकरण से यथास्थिति धारा 125 की उपधारा (3) के खंड (क) या धारा 125 की उपधारा (3) के परंतुक, के अधीन राशि लौटाने के लिए आवेदन कर सकता है।

(2) दावेदार नियम (1) के अधीन प्ररूप आईईपीएफ-5 में आवेदन करने के बाद प्ररूप आईईपीएफ-5 में बताए गए अपेक्षित दस्तावेजों सहित स्वयं द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित आवेदन को अपने दावे के सत्यापन के लिए संबंधित कंपनी को उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में भेजेगा।

(3) कंपनी दावा प्ररूप की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन के भीतर दावेदार द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों सहित प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में प्राधिकरण को एक सत्यापन रिपोर्ट भेजेगी।

(4) दावेदार की पात्रता के सत्यापन के पश्चात् –

(क) दावा की गई राशि के लिए, प्राधिकरण और फिर प्राधिकरण का आहरण और वितरण अधिकारी दिशानिर्देशों के अनुसार ई-भुगतान के लिए वेतन एवं लेखा कार्यालय को एक बीजक भेजेंगे।

(ख) दावा किए गए शेयरों के लिए, प्राधिकरण सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से एक प्रतिदाय अनुमोदन आदेश जारी करेगा और दावेदार की पात्रता के अनुसार दावेदार के डीमैट खाते में शेयर जमा करेगा।

(5) प्राधिकरण, अपने अभिलेखों में, उप-नियम (4) के अधीन किए गए सभी भुगतानों पर एक टिप्पणी लिखेगा।

(6) इस नियम के अधीन संबंधित कंपनी द्वारा विधिवत् रूप से सत्यापित किसी दावे के प्रतिदाय के लिए प्राप्त किसी आवेदन का निपटान प्राधिकरण द्वारा कंपनी से सभी प्रकार से पूर्ण सत्यापन रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों के भीतर किया जाएगा और साठ दिन से अधिक की किसी देरी के लिए कारणों का लिखित में उल्लेख करते हुए अभिलिखित किया जाएगा और उसके बारे में लिखित या इलेक्ट्रोनिक साधनों द्वारा दावेदार को सूचित किया जाएगा।

(7) यदि आवेदन अपूर्ण है या अनुमोदित नहीं किया गया है तो प्राधिकारी द्वारा आवेदन की कमियों का विवरण देते हुए दावेदार और संबंधित कंपनी को एक संसूचना भेजी जाएगी।

(8) यदि दावेदार रजिस्ट्रीकृत शेयरधारक का कानूनी वारिस या उत्तराधिकारी या प्रशासक या नामित व्यक्ति है तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि प्राधिकारी के पास कोई दावा फाइल करने से पूर्व कंपनी द्वारा संचरण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।

(9) यदि दावेदार किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत प्रतिभूति का कानूनी वारिस या उत्तराधिकारी या प्रशासक या नामित व्यक्ति है अथवा यदि शेयरों के अंतरण या संचरण का अनुरोध कंपनी द्वारा प्राधिकारी को शेयरों के अंतरण को रजिस्टर करने के लिए अपेक्षित सभी दस्तावेजों का सत्यापन करेगी और उक्त प्रतिभूति के लिए उसकी पात्रता बताते हुए दावेदार को एक पत्र भेजेगा और ऐसे दावेदार के दावे का सत्यापन करते हुए उस पत्र की एक प्रति प्राधिकरण को भेजेगा।

(10) दावेदार एक वित्तीय वर्ष में एक कंपनी के संबंध में केवल एक समेकित दावा ही फाइल कर सकता है।

(11) सभी परिस्थितियों, किसी विवाद या मुकद्दमे, जो सत्यापन रिपोर्ट में किसी विषमता या असंगति या असमानता के कारण या अन्यथा शुरू किया गया है, कंपनी प्राधिकरण को क्षतिपूर्ति देने की जिम्मेदार होगी, और प्राधिकरण जमा की गई सत्यापन रिपोर्ट आदि में किसी प्रकार की विसंगति के कारण किसी मुकद्दमे या शिकायत के लिए किसी देयता के लिए प्रतिभूतिधारक या कंपनी को क्षतिपूर्ति देने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

6. मूल नियमों में –

(i) प्ररूप आईईपीएफ 3 और आईईपीएफ 5 में, "बैंक" और "बैंक कारपोरेट पहचान संख्या (बीसीआईएन)" जहां-जहां भी शब्द आते हैं, का लोप किया जाएगा :

(ii) प्ररूप आईईपीएफ 6 में क्रम संख्या 5 में

"सुसंगत प्ररूप आईईपीएफ 6 का एसआरएन ..... (पहले से भरा हुआ)

सुसंगत प्ररूप आईईपीएफ 1 का एसआरएन ..... (पहले से भरा हुआ)"

के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् –

"सुसंगत प्ररूप आईईपीएफ 6 का एसआरएन ..... (पहले से भरा हुआ)

आईईपीएफ 1 के लिए एसआरएन की कुल संख्या ..... (पहले से भरा हुआ)

सुसंगत प्ररूप आईईपीएफ 1 का एसआरएन ..... (पहले से भरा हुआ)"

[फा. सं. 05/23/2016-आईईपीएफ]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में तारीख 05 सितंबर, 2016 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 854 असाधारण द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2017

G.S.R. 178(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (2), (3), (4), (8), (9), (10) and (11) of section 125 and sub-section (6) of section 124 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules, to amend the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, namely:-

1. (1) These rules may be called the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Amendment Rules, 2017.

(2) They shall come into force from the 28th February, 2017.

2. In the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, (hereinafter referred to as the Principal rules) in rule 2, in sub-rule (1), for sub-rule (d), the following shall be substituted, namely:

(d) "Company" means a company defined in sub-section (20) of section 2 of the Act and includes 'corresponding new bank' as defined in sub-section (d) of section 2 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) and clause (b) of section 2 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980) and 'subsidiary bank' as defined in clause (k) of section 2 of State Bank of India (Subsidiary Bank) Act, 1959 (38 of 1959);

(da) "Corporate action" means any action taken by the company relating to transfer of shares and all the benefits accruing on such shares namely, bonus shares, split, consolidation, fraction shares etc., except right issue to the Authority;

3. In the principal rules, in rule 3, in sub-rule (2) for clause (g), the following clause shall be substituted, namely:-

'(g) all amounts payable as mentioned in sub-section (3) of section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 and section 40A of the State Bank of India (Subsidiary Bank) Act, 1959; and'.

4. In the principal rules, for rule 6, the following rule shall be substituted, namely:-

"6. Manner of transfer of shares under sub-section (6) of section 124 to the Fund.- (1) The shares shall be credited to DEMAT Account of the Authority to be opened by the Authority for the said purpose, within a period of thirty days of such shares becoming due to be transferred to the Fund:

Provided that, in case the beneficial owner has encashed any dividend warrant during the last seven years, such shares shall not be required to be transferred to the Fund even though some dividend warrants may not have been encashed:

Provided further that in cases where the period of seven years provided under sub-section (5) of section 124 has been completed or being completed during the period from 7th September, 2016 to 31st May, 2017, the due date of transfer of such shares shall be deemed to be 31st May, 2017.

(2) For the purposes of effecting transfer of such shares, the Board shall authorise the Company Secretary or any other person to sign the necessary documents.

(3) The company shall follow the following procedure while transferring the shares, namely:-

(a) The company shall inform, at the latest available address, the shareholder concerned regarding transfer of shares three months before the due date of transfer of shares and also simultaneously publish a notice in the leading newspaper in English and regional language having wide circulation informing the concerned that the names of such shareholders and their folio number or DP ID - Client ID are available on their website duly mentioning the website address.

(b) In case, where there is a specific order of Court or Tribunal or statutory Authority restraining any transfer of such shares and payment of dividend or where such shares are pledged or hypothecated under the provisions of the Depositories Act, 1996 or shares already been transferred under sub-rule (1) above, the company shall not transfer such shares to the Fund:

Provided that the company shall furnish details of such shares and unpaid dividend to the Authority in Form No. IEPF 3 within thirty days from the end of financial year.

(c) For the purposes of effecting the transfer, where the shares are dealt with in a depository-

(i) the Company shall inform the depository by way of corporate action, where the shareholders have their accounts for transfer in favour of the Authority.

(ii) on receipt of such intimation, the depository shall effect the transfer of shares in favour of DEMAT account of the Authority.

(d) For the purposes of effecting the transfer where the shares are held in physical form-

(i) the Company Secretary or the person authorised by the Board shall make an application, on behalf of the concerned shareholders, to the company, for issue of duplicate share certificates;

(ii) on receipt of the application under clause (a), a duplicate certificate for each such shareholder shall be issued and it shall be stated on the face of it and be recorded in the register maintained for the purpose, that the duplicate certificate is "Issued in lieu of share certificate No..... for purpose of transfer to IEPF" and the word "duplicate" shall be stamped or punched in bold letters on the first page of the share certificate;

(iii) particulars of every share certificate issued as above shall be entered forthwith in a register of renewed and duplicate share certificates maintained in Form No. SH-2 as specified in the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014;

(iv) after issue of duplicate share certificates, the company shall inform the depository by way of corporate action to convert the duplicate share certificates into DEMAT form and transfer in favour of the Authority.

(4) The company shall make such transfers through corporate action and shall preserve copies for its records.

(5) While effecting such transfer, the company shall send a statement to the Authority in Form No. IEPF 4 containing details of such transfer.

(6) The voting rights on shares transferred to the Fund shall remain frozen until the rightful owner claims the shares:

Provided that for the purpose of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, the shares which have been transferred to the Authority shall not be excluded while calculating the total voting rights.

(7) The company shall maintain the details of shareholding of each individual shareholders whose shares have been credited to the DEMAT account of the Authority.

(8) All benefits accruing on such shares e.g., bonus shares, split, consolidation, fraction shares etc., except right issue shall also be credited to such DEMAT account.

(9) The shares held in such DEMAT account shall not be transferred or dealt with in any manner whatsoever except for the purposes of transferring the shares back to the claimant as and when he approaches the Authority or in accordance with sub-rule (10) and (11).

10) If the company is getting delisted, the Authority shall surrender shares on behalf of the shareholders in accordance with the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009 and the proceeds realised shall be credited to the Fund and a separate ledger account shall be maintained for such proceeds.

(11) In case the company whose shares or securities are held by the Authority is being wound up, the Authority may surrender the securities to receive the amount entitled on behalf of the security holder and credit the amount to the Fund and a separate ledger account shall be maintained for such proceeds.

(12) Any further dividend received on such shares shall be credited to the Fund and a separate ledger account shall be maintained for such proceeds".

5. In the principal rules, for rule 7, the following rule shall be substituted, namely:-

"7. Refund to claimants from Fund.- (1) Any person whose shares, unclaimed dividend, matured deposits, matured debentures, application money due for refund, or interest thereon, sale proceeds of fractional shares, redemption proceeds of preference shares etc., has been transferred to the Fund, may claim the shares under proviso to sub-section (6) of section 124 or apply for refund under clause (a) of sub-section (3) of section 125 or under proviso to sub-section (3) of section 125, as the case may be, to the Authority by submitting an online application in Form IEPF-5 available on the website www.iepf.gov.in along with fee specified by the Authority from time to time in consultation with the Central Government.

(2) The claimant shall after making an application in Form IEPF-5 under rule (1), send the same duly signed by him along with, requisite documents as enumerated in Form IEPF-5 to the concerned company at its registered office for verification of his claim.

(3) The company shall, within fifteen days from the date of receipt of claim, send a verification report to the Authority in the format specified by the Authority along with all the documents submitted by the claimant.

(4) After verification of the entitlement of the claimant-

(a) to the amount claimed, the Authority and then Drawing and Disbursement Officer of the Authority shall present a bill to the Pay and Accounts Office for e- payment as per the guidelines,

(b) to the shares claimed, the Authority shall issue a refund sanction order with the approval of the Competent Authority and shall credit the shares to the DEMAT account of the claimant to the extent of the claimant's entitlement.

(5) The Authority shall, in its records, cause a note to be made of all the payments made under sub-rule (4).

(6) An application received for refund of any claim under this rule duly verified by the concerned company shall be disposed off by the Authority within sixty days from the date of receipt of the verification report from the company, complete in all respects and any delay beyond sixty days shall be recorded in writing specifying the reasons for the delay and the same shall be communicated to the claimant in writing or by electronic means.

(7) In cases, where the application is incomplete or not approved, a communication shall be sent to the claimant and the concerned company by the Authority detailing deficiencies of the application.

(8) In case, claimant is a legal heir or successor or administrator or nominee of the registered share holder, he has to ensure that the transmission process is completed by the company before filing any claim with the Authority.

(9) In case, claimant is a legal heir or successor or administrator or nominee of any other registered security or in cases where request of transfer or transmission of shares is received after the transfer of shares by company to the Authority, the company shall verify all requisite documents required for registering transfer or transmission and shall issue letter to the claimant indicating his entitlement to the said security and furnish a copy of the same to the Authority while verifying the claim of such claimant.

(10) The claimant shall file only one consolidated claim in respect of a company in a financial year.

(11) The company shall be liable under all circumstances whatsoever to indemnify the Authority in case of any dispute or lawsuit that may be initiated due to any incongruity or inconsistency or disparity in the verification report or otherwise and the Authority shall not be liable to indemnify the security holder or Company for any liability arising out of any discrepancy in verification report submitted etc., leading to any litigation or complaint arising thereof.".

6. In the principal rules, -

(i) in forms IEPF-3 and IEPF-5, the word "/bank" and "/Bank Corporate Identification Number (BCIN)" shall be omitted, wherever they are occurring;

(ii) in form IEPF -6, in serial number 5, for-

"SRN of relevant form IEPF-6		Pre fill
SRN of relevant form IEPF-1		Pre fill "

the following shall be substituted, namely:-

"SRN of relevant form IEPF-6		Pre fill
Total Number of SRNs for IEPF-1		Pre fill
SRN of relevant form IEPF-1		Pre fill All ".

[F. No. 05/23/2016-IEPF]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India Extraordinary, Part II Section 3, sub-section (i) vide number GSR 854 (E), dated the 5th September, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 618] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 5, 2016/भाद्र 14, 1938
No. 618] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 5, 2016/BHADRA 14, 1938

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2016

सा.का.नि. 854(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 125 की उपधारा (1), धारा (2), धारा (3), धारा (4), धारा (8), धारा (9), धारा (10) और धारा (11) और धारा 124 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् –

1. **संक्षिप्त नाम, व्याप्ति और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 है।

(2) ये नियम 07 सितम्बर, 2016 को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.-** इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" से कंपनी अधिनियम, 2013 अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 125 की उपधारा (5) के अधीन गठित विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) "अध्यक्ष" से अधिनियम की धारा 125 की उप-धारा (6) के अधीन नियुक्त प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(घ) "कंपनी" से अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (20) में यथापरिभाषित कंपनी अभिप्रेत है और इसमें बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 2 की उपधारा (घ) और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 2 के खंड (घ) में यथापरिभाषित 'तत्स्थानीय नए बैंक' सम्मिलित हैं;

(ङ) "विद्यमान आईईपीएफ" से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205ग के अधीन गठित विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) अभिप्रेत है;

(च) "निधि" से अधिनियम की धारा 125 के अधीन स्थापित विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) अभिप्रेत है;

(छ) "विनिधानकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी कंपनी की किसी स्कीम या योजना के अधीन शेयरों या डिबेंचरों, बंधपत्र या जमा में धन लगाया है;

(ज) "सदस्य" से अधिनियम की धारा 125 की उपधारा (6) के अधीन नियुक्त प्राधिकरण के सदस्य अभिप्रेत है;

(झ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों जिन्हें यहां परिभाषित नहीं किया गया है किंतु अधिनियम में या कंपनी (परिभाषा ब्यौरों का विनिर्देश) नियम, 2014 में परिभाषित किया गया है, के क्रमशः वहीं अर्थ होंगे जो अधिनियम या उक्त नियमों में दिए गए हैं।

3. **निधि.-** (1) प्राधिकरण निधि का प्रशासन करेगा।

(2) निधि में निम्नलिखित राशियां जमा की जाएंगी, अर्थात्:-

(क) अधिनियम की धारा 125 की उपधारा (2) के खंड (क) से (ढ़) में यथाउल्लिखित संदेय सभी रकम;

(ख) अधिनियम की धारा 124 की उपधारा (6) के अनुसार सभी शेयर;

(ग) उपर्युक्त (ख) के अधीन प्राधिकरण द्वारा रखे गए शेयरों से उत्पन्न होने वाले सभी परिणामी फायदा;

(घ) इन नियमों के अधीन प्राधिकरण को प्राप्त सभी अनुदान, फीस और प्रभार;

(ङ) केन्द्रीय सरकार द्वारा यथानिर्णित ऐसे अन्य स्रोतों से प्राधिकरण से प्राप्त होने वाली सभी राशियां;

(च) प्राधिकरण द्वारा किसी वर्ष में अर्जित सभी आय;

(छ) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10ख की उपधारा (3) और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 10ख में यथाउल्लिखित संदेय सभी राशियां;

(ज) अधिनियम में परिकल्पित प्राधिकरण द्वारा संग्रहीत जाने वाली अन्य सभी राशियां;

(3) कंपनियों के सावधिक जमाओं और डिबेंचरों के मामले में ऐसे सावधिक जमा और डिबेंचरों की परिपक्व रकम के अंतरण के साथ देय अप्रदत्त या अदावाकृत ब्याज भी निधि में अंतरित की जाएगी।

(4) (क) अधिनियम की धारा 125 की उपधारा (2) [खंड (छ) के सिवाय] के अधीन प्रोद्भूत सभी रकम भारत की संचित निधि में मुख्य शीर्ष '0075-प्रकीर्ण साधारण सेवाएं- 104 – अदावाकृत और असंदत्त लाभांश, जमा और डिबेंचर आदि' के अधीन जमा की जाएगी। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205ग के अधीन जमा की गई रकम के साथ ऐसी राशियां विनियोग अधिनियम के माध्यम से संसद का विहित अनुमोदन लेकर निधि के ब्याज मुक्त सार्वजनिक खाते में अंतरित की जाएगी। इस ब्याज मुक्त सार्वजनिक खाते को आईईपीएफ निधि कहा जाएगा और इसका उपयोग अधिनियम की धारा 125 की उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।

(ख) (i) कंपनियों द्वारा जमा की गई सभी राशियां प्रारंभिक तौर पर निम्नलिखित लेखा शीर्षों के अधीन रखी जाएंगी –

मुख्य शीर्ष 0075 – प्रकीर्ण साधारण सेवाएं

लघु शीर्ष 104 – कंपनियों का असंदत्त लाभांश

(ii) राज्य सरकारों, कंपनियों और अन्य संस्थानों द्वारा निधि के प्रयोजन के लिए निधि को दिए गए अनुदान और दान तथा निधि से किए गए निवेशों पर प्राप्त ब्याज और अन्य आय एमएच 0075- प्रकीर्ण साधारण सेवाएं के नीचे एक पृथक उप शीर्ष "800 – अन्य प्राप्तियां" के अधीन रखी जाएंगी।

(iii) उपर्युक्त प्राप्ति शीर्ष के अधीन रखी गई रकम वेतन और लेखाधिकारी कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा मुख्य शीर्ष '3451 – सचिवालय आर्थिक सेवाएं – 797-निक्षेप निधि जमा लेखा में अंतरण – विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरण' के अधीन उपयुक्त बजट उपाबंध के पश्चात् निधि लेखा में मुख्य शीर्ष '8235- साधारण और अन्य आरक्षित निधि – 116 - आईईएंडपीएफ' के अधीन अंतरित की जाएगी। यदि किसी वर्ष में प्राप्त रकम निधि में मुख्य शीर्ष 3451 के अधीन बजट उपाबंध अंतरण से अधिक है तो इस अंतर की रकम पश्चातवर्ती वर्ष में आर्थिक कार्य विभाग के बजट प्रभाग से अनुमोदन प्राप्त करके और सुसंगत वर्ष में पर्याप्त बजट उपाबंध करते हुए निधि में अंतरित की जाएगी।

(iv) निधि से वित्तपोषित कार्यकलापों के संबंध में बजट उपाबंध मुख्य शीर्ष 3451- सचिवालय आर्थिक सेवाएं 090 सचिवालय – विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि के अधीन किए जाएँगे। इस शीर्ष के अधीन वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति निधि से की जाएगी और इस प्रकार प्रतिपूर्ति की गई रकम का हिसाब मुख्य शीर्ष '3451' के अधीन लघु शीर्ष '902 - कटौती – विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि से पूरी की गई रकम' के नीचे कटौती प्रविष्टि के रूप में मुख्य शीर्ष – '8235 – साधारण और अन्य निक्षेप निधि – 116 – विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि' में प्रति विकलन के साथ रखी जाएगी।

4. लेखा और लेखापरीक्षा.- (1) प्राधिकरण इन नियमों की अनुसूची में दिए अनुसार समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेखों का अनुरक्षण करेगा और ऐसे प्ररूप में लेखों का वार्षिक विवरण तैयार करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखा-परीक्षक इससे विचार-विमर्श करके विनिर्दिष्ट किए गए हों।

(2) प्राधिकरण के लेखों की लेखापरीक्षा मुख्य लेखा नियंत्रक के कार्यालय के आंतरिक लेखापरीक्षा पक्ष द्वारा वार्षिक रूप से की जाएगी और भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अंतरालों पर की जाएगी तथा ऐसी लेखापरीक्षा में हुए व्यय का संदाय प्राधिकरण द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को किया जाएगा।

(3) भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक या उनके द्वारा प्राधिकरण की लेखों की लेखापरीक्षा के संबंध में नियुक्त किसी व्यक्ति के पास ऐसी लेखापरीक्षा के संबंध में वही अधिकार और विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे जो भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के पास सरकारी लेखों की लेखापरीक्षा के संबंध में होते हैं और विशेष रूप से उसके पास उत्पादन बही, लेखा बही, संबंधित वाऊचर और अन्य दस्तावेज और कागज-पत्र की मांग करने और प्राधिकरण के किसी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक या उनके द्वारा उनकी ओर से नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित प्राधिकरण के लेखे उसकी लेखापरीक्षा के साथ वार्षिक रूप से केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किए जाएंगे तथा केन्द्रीय सरकार उसे संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेगी।

5. निधि को उपलब्ध कराया जाने वाला कथन.- (1) अधिनियम की धारा 125 की उपधारा (2) के खंड (क) से (ढ़) के अधीन यथा उपबंधित निधि में कंपनियों द्वारा जमा करने के लिए अपेक्षित कोई रकम वेतन और लेखा कार्यालय, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के प्रत्यायित बैंक पंजाब नैशनल बैंक के विनिर्दिष्ट शाखाओं और एमसीए21 प्रणाली को सेवाएं देने वाले अन्य प्राधिकृत बैंकों में निधि में जमा करने के लिए ऐसी रकम के देय होने की तारीख से तीस दिन के भीतर जमा की जाएगी।

(2) कंपनियों द्वारा यह रकम चालान (तीन प्रतियों में) के साथ पंजाब नैशनल बैंक की विनिर्दिष्ट शाखाओं और एमसीए21 के अधीन अन्य प्राधिकृत बैंकों में जमा की जाएगी जो चालान की दो प्रतियां रकम प्राप्त करने के टोकन के रूप में विहित रूप से मुहरबंद लगाकर कंपनी को वापस करेगी। प्राप्त करने वाली शाखा द्वारा चालान की तीसरी प्रति दैनिक जमा कथन के साथ बैंक के तत्संबंधी मुख्य शाखा को वेतन और लेखा अधिकारी को भेजने हेतु अग्रेषित की जाएगी।

(3) प्रत्येक कंपनी उपर्युक्त उपनियम (2) में निर्दिष्ट चालान की एक प्रति संबंधित प्राधिकारी को फाइल करेगा जिसमें निधि में रकम जमा किए जाने का कथन होगा और रकम निविदत्त जाने वाले लेखा शीर्ष सहित जमा की गई रकम का पूरा ब्यौरा भरा जाएगा।

(4) कंपनी द्वारा उपनियम (3) में यथाअपेक्षित चालान की प्रति के साथ प्ररूप संख्या आईईपीएफ-1 के कथन में भी उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें चालान प्रस्तुत करने के तीस दिन के भीतर प्राधिकरण को ऐसे अंतरण के ब्यौरे होंगे।

(5) यह रकम इलेक्ट्रोनिक निधि अंतरण द्वारा भी ऐसी रीति से जमा की जा सकती है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट की जाए।

(6) (क) इस कथन के प्राप्त होने पर प्राधिकरण प्रति वर्ष प्रत्येक कंपनी की बाबत वास्तविक या इलेक्ट्रोनिक रूप में रखे गए एक रजिस्टर में ऐसी प्राप्ति के ब्यौरों की प्रविष्टि करेगा और इस प्रकार जमा की गई और वसूली गई रकम का मासिक आधार पर संबंधित पदनामित बैंक के साथ प्रेषण और संग्रहीत करेगा।

(ख) प्रत्येक पदनामित बैंक प्रत्येक महीने के समाप्त होने के पश्चात सात दिन के भीतर प्राधिकरण को महीने के दौरान ऐसी प्राप्तियों का सार उपलब्ध कराएगा।

(ग) कंपनी वैसे व्यक्तियों की बाबात जिनके लिए असंदत्त या अदावाकृत रकम सात वर्ष की अवधि के लिए असंदत्त या अदावाकृत रही हो और निधि में अंतरित कर दी गई हो, एक अभिलेख रखेगी जिसमें नाम, अंतिम ज्ञात पता, रकम, फोलियो संख्या या ग्राहक पहचान संख्या, प्रमाण पत्र संख्या, फायदाग्राही ब्यौरे आदि होंगे और प्राधिकरण को ऐसी अभिलेखों की निरीक्षण का अधिकार होगा।

(7) इस नियम के उपबंध धारा 125 की उपधारा (2) के खंड (ज) से (ड) के अनुसरण में निधि में जमा की गई प्रत्यायित के संबंध में यथाआवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

(8) प्रत्येक कंपनी वार्षिक साधारण अधिवेशन के आयोजन की तारीख या वह तारीख जिस तारीख को उसे अधिनियम की धारा 96 के उपबंधों के अनुसार वार्षिक साधारण अधिवेशन आयोजित करनी चाहिए थी के नब्बे दिन की अवधि के भीतर और उसके पश्चात् प्रत्येक प्रति वर्ष सात वर्ष की अवधि समाप्त होने तक, वार्षिक साधारण अधिवेशन की आयोजन की तारीख को या अधिनियम की धारा 96 के उपबंधों के अनुसार आयोजन के लिए अपेक्षित तारीख को अधिनियम की धारा 125 की उपधारा 2 में यथाउल्लिखित अदावाकृत रकम की पहचान करेगी, उनके ब्यौरे पृथक से तैयार करेगी, और अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगी तथा प्राधिकरण की वेबसाइट या सरकार द्वारा यथाविनिर्दष्ट किसी अन्य वेबसाइट पर कथन या प्ररूप संख्या आईईपीएफ-2 के माध्यम से सूचना प्रत्येक वर्ष के लिए पृथक अपलोड करेगी जिसमें निम्नलिखित सूचना होगी, अर्थात् :-

(क) राशि प्राप्त करने के हकदार व्यक्तियों के नाम और अंतिम ज्ञात पते;

(ख) राशि की प्रकृति;

(ग) राशि जो प्रत्येक व्यक्ति हकदार है;

(घ) विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरण के लिए विहित तारीख; और

(ङ) इस प्रयोजनों के लिए सुसंगत समझी जाने वाली अन्य सूचना।

6. निधि की धारा 124 की उपधारा (6) के अधीन शेयरों के अंतरण की रीति.- (1) यह शेयर निधि में ऐसे शेयरों के अंतरण की तारीख देय होने के तीस दिन की अवधि के भीतर प्राधिकरण द्वारा पहचान किए गए निक्षेपकर्ता भागीदारों में से एक के पास किसी एक आईईपीएफ उचंत खाते में (कंपनी के नाम से) जमा की जाएगी:

परंतु, यदि फायदाग्राही स्वामी द्वारा पिछले सात वर्ष के दौरान कोई लाभांश वारंट भुनाया गया हो तो ऐसे शेयर निधि में अंतरण के लिए अपेक्षित नहीं होंगे यहां तक कि कुछ लाभांश वारंटों का भुनाया गया हो।

(2) ऐसे शेयरों के प्रभावी अंतरण के प्रयोजन के लिए बोर्ड अपेक्षित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए कंपनी सचिव या किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत करेगा।

(3) कंपनी निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करेगी, अर्थात्:-

(क) कंपनी शेयरों के अंतरण से संबंधित शेयरधारक को अंतिम उपलब्ध पते पर शेयरों के अंतरण की देय तारीख से तीन माह पूर्व संसूचित करेगी और इसे अग्रणी अंग्रेजी और व्यापक परिचालन वाले प्रादेशिक भाषा के अखबार में साथ-साथ और अपनी वेबसाइट पर भी ऐसे शेयरधारकों और अंतरण के लिए देय शेयरों से संबंधित सूचना प्रकाशित करेगी:

परंतु उन मामलों में जहां धारा 124 की उपधारा (5) में दिए गए सात वर्ष पूरे हो गए हैं या इन नियमों के लागू होने की तारीख के तीन महीनों में पूरे होने जा रहे है, कंपनी पूर्व उल्लिखित प्रक्रिया तुरंत शुरू करेगी और तीन माह पूरे होने पर शेयरों का हस्तांतरण करेगी;

(ख) यदि मामले में किसी न्यायालय या अधिकरण या कानूनी प्राधिकारी का ऐसे शेयरों के किसी अंतरण और लाभांश के संदाय पर प्रतिधारित करते हुए कोई विनिर्दिष्ट आदेश हो वहां कंपनी निधि में ऐसे शेयरों का अंतरण नहीं करेगी;

परंतु, कंपनी वित्त वर्ष के समाप्त होने के तीस दिन के भीतर प्ररूप संख्या आईईपीएफ-3 में प्राधिकरण को ऐसे शेयरों और असंदत्त लाभांश के ब्यौरे उपलब्ध कराएगी;

(ग) जहां शेयरों संबंधी कार्य हो वहां निक्षेपागार में उन्नका अंतरण करने के प्रयोजन के लिए, -

(i) कंपनी सचिव या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति ऐसे शेयरधारकों की ओर से निक्षेपागार के परिदान अनुदेश पर्ची पर हस्ताक्षर करेगा जहां भागीदार शेयरधारकों के आईईपीएफ उचंत खाते (कंपनी का नाम) के पक्ष में अंतरण के लिए उनके खाते हों;

(ii) परिदान अनुदेश पर्ची की प्राप्ति पर निक्षेपागार अपने अभिलेखों में निधि के पक्ष में शेयरों का अंतरण करवाएगा।

(घ) जहां शेयर वास्तविक रूप में रखे गए हैं वहां अंतरण करवाने के प्रयोजन के लिए,-

(i) कंपनी सचिव या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति संबंधित शेयरधारकों की ओर से द्विप्रति शेयर प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कंपनी को आवेदन करेगा;

(ii) खंड (क) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर प्रत्येक ऐसे शेयरधारक के लिए एक द्विप्रति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा और इस पर यह कहा जाएगा और इस प्रयोजन से रखे गए रजिस्टर में अभिलिखित किया जाएगा कि द्विप्रति प्रमाण पत्र "आईईपीएफ में अंतरण के प्रयोजन के लिए शेयर प्रमाण पत्र संख्या ..... के बदले में जारी किया जाता है" और "द्विप्रति" शब्द शेयर प्रमाण पत्र के ऊपर मुहर द्वारा प्रमाणित तथा स्पष्ट अक्षरों में अंकित किया हुआ होगा।

(iii) उपर्युक्त ढ़ंग से जारी किए जाने वाले प्रत्येक शेयर प्रमाणपत्र के ब्यौरों की आगे से कंपनी (शेयरपूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 में यथानिर्दिष्ट प्ररूप संख्या एसएच-2 में रखे जाने वाले नवीनकृत और द्विप्रति शेयर प्रमाणपत्रों के रजिस्टर में प्रविष्टि की जाएगी।

(iv) द्विप्रति शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के पश्चात, कंपनी सचिव या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति निधि में शेयर अंतरित करने के लिए कंपनी (शेयरपूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 में यथाविनिर्दिष्ट प्ररूप संख्या एसएच-4 अर्थात प्रतिभूति अंतरण प्ररूप पर हस्ताक्षर करेगा।

(v) सम्यक रूप से भरा गया अंतरण प्ररूप और द्विप्रति शेयर प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर बोर्ड या इसकी समिति अंतरण का अनुमोदन करेगी और तत्पश्चात कंपनी के अभिलेखों में शेयरों का अंतरण निधि के पक्ष में प्रभावी किया जाएगा।

(4) यथास्थिति कंपनी या जमाकर्ता, अपने अभिलेखों के लिए जमा निर्देश पर्ची, अंतरण विलेख और द्विप्रति प्रमाण पत्रों की प्रतियां सुरक्षित रखेगा।

(5) इस प्रकार का अंतरण करते समय, कंपनी प्ररूप संख्या आईईपीएफ-4 में निधि को एक कथन भेजेगी जिसमें ऐसे अंतरण के ब्यौरे दिए जाएंगे।

(6) निधि को अंतरित किए गए शेयरों पर मत देने का आधिकार तब तक अवरूद्ध रहेगा जब तक कि उपयुक्त शेयरधारक इसका दावा न करे:

परंतु भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का महत्वपूर्ण अर्जन और अधिग्रहण) नियमन, 2011 के प्रयोजनों के लिए प्राधिकरण को अंतिरत किए गए शेयर कुल मताधिकार की गणना करते समय पृथक नहीं माने जाएंगे।

(7) एक बार प्राधिकरण के नाम में शेयरों का वास्तविक अंतरण होने के बाद प्राधिकरण इन शेयरों की वास्तविक दूर करेगा और यह केवल वही शेयर वास्तविक रूप से रखेगा जिनकी वास्तविकता दूर करना संभव न हो।

(8) प्राधिकरण शेयरों का अधिकार रखने वाले शेयरधारकों की ओर से निक्षेपकर्ता भागीदार के साथ आईईपीएफ उचंत खाता (कंपनी का नाम) हकदार रखेगा, अर्थात आईईपीएफ उचंत खाता (कंपनी का नाम) में राइट इश्यू को छोड़कर अन्य शेयरों जैसे बोनस शेयर, विघटन, समेकन, अंश शेयरों पर प्राप्त होने वाले सभी लाभ भी जोड़े जाएंगे।

(9) ऐसे आईईपीएफ उचंत खाते में रखे गए शेयर अंतरित नहीं किए जाएंगे या किसी रीति से अंतरित नहीं जाएंगे यदि निम्नलिखित उपनियम (10) और उपनियम (11) के अनुसरण में दावेदार प्राधिकरण से शेयरों को वापस अंतरित करने के लिए संपर्क न करे।

(10) यदि किसी कंपनी का बिना सूचीबद्ध किया जा रहा है तो प्राधिकरण भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साम्या शेयर का असूचीकरण) नियमन, 2009 के अनुसरण में शेयरधारकों की ओर से शेयर अभ्यर्पित कर देगा और प्राप्त आय निधि के नामे डाली जाएगी। ऐसी आगमों के लिए एक पृथक खाता रखा जाएगा।

(11) कंपनी के मामले में, जिसके शेयर या प्रतिभूतियां प्राधिकरण की धृति हैं, का समापन किया जा रहा है तो प्राधिकरण शेयरधारक की ओर से रकम प्राप्त करने के लिए प्रतिभूतियां अभ्यर्पित कर सकता है और यह रकम निधि में डाली जाएगी। ऐसी प्राप्तियों के लिए एक अलग खाता पन्ना रखा जाएगा।

(12) इस प्रकार के शेयरों पर प्राप्त होने वाले किसी अन्य लाभांश को निधि में डाला जाएगा। ऐसी प्राप्तियों के लिए एक पृथक खाता रखा जाएगा।

7. दावेदारों को निधि से धनरकम का प्रतिदाय.- (1) कोई भी व्यक्ति, जिसके अदावाकृत लाभांश, परिपक्व जमारकम, परिपक्व डिबेंचर, प्रतिदाय के लिए बकाया आवेदन रकम या उस पर ब्याज, खंड शेयर की विक्रय आय, अधिमान शेयरों की मोचन प्राप्तियां आदि निधि में अंतरित कर दी गई हैं, प्राधिकरण को प्ररूप संख्या आईईपीएफ-5 जो बेवसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध है, में आवेदन करके धारा 125 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन या धारा 124 की उपधारा (6) के परंतुक के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा केंद्रीय सरकार के परामर्श से समय-समय पर यथानिर्धारित फीस के साथ प्राधिकरण को धनरकम प्रतिदाय के लिए अपने हस्ताक्षर से आवेदन कर सकता है।

(2) प्रतिदाय के लिए ऑनलाइन प्ररूप आईईपीएफ-5 में नियम 1 में आवेदन करने के बाद उसे सम्यक रूप से हस्ताक्षरित कर आवश्यक दस्तावेज जो प्ररूप आईईपीएफ-5 में बताए गए हैं के साथ संबंधित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के उनके दावे के सत्यापन के लिए भेजेगा।

(3) कंपनी द्वारा प्ररूप की प्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर अधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में सत्यापन रिपोर्ट, दावेदार के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के साथ भेजेगी।

(4) दावेदार की हकदारी के सत्यापन के बाद –

(क) दावा किए गए राशि प्राधिकरण और उसके बाद अधिकरण के आहरण और वितरण अधिकारी ई-भुगतान के दिशानिर्देशों के अनुसार बिल वेतन और लेखा अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(ख) दावाकृत शेयरों के लिए प्राधिकरण सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से प्रतिदाय स्वीकृति आदेश जारी करेगा और या तो शेयर जो आईईपीएफ के उचंत खाते (कंपनी का नाम) में डिपोजिटरी भागीदार के पास पड़े हैं को दावेदार के डीमेट खाते में दावेदार की हकदारी तक जमा करेंगे या वास्तविक रूप से प्रमाण पत्रों के मामले में यदि कोई हो तो अनुलिपि को निरस्त करेगा और शेयरों को दावेदार के हक में स्थानांतरित करेगा।

(5) प्राधिकरण अपने अभिलेखों में उपरोक्त उपनियम (4) के अधीन किए गए सभी संदायों के लिए एक नोट रखाएगा।

(6) इन नियम के अधीन किसी दावे की प्रतिदाय के लिए प्राप्त आवेदन का पूर्व रूप से निबटान प्रतिदाय आवेदन प्राप्त होने की तारीख से साठ दिनों के अधीन किया जाएगा और साठ दिन से अधिक होने वाले किसी विलंब को प्राधिकरण द्वारा विलंब के कारण निर्दिष्ट करते हुए लिखित में दर्ज किया जाएगा और इसकी संसूचना दावेदार को लिखित रूप से या इलेक्ट्रानिक माध्यम से दी जाएगी।

(7) आवेदन अपूर्ण होने के मामले में प्राधिकरण द्वारा दावेदार को पत्र भेजा जाएगा जिसमें आवेदन की कमियों का ब्यौरा दिया जाएगा।

(8) यदि रजिस्ट्रीकृत प्रतिभूतिधारक के दावेदार के कानूनी वारिस या उतराधिकारी या प्रशासक या नामिती के मामले में उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि कंपनी द्वारा परिक्षण प्रक्रिया प्राधिकरण में कोई दावा फाइल करने से पूर्व पूरी कर ली गई है।

(9) एक वित्त वर्ष में किसी कंपनी के संबंध में केवल एक समेकित दावा दावेदार द्वारा फाइल किया जाएगा।

(10) सभी परिस्थितियों में कंपनी मुख्य रूप से आईईपीएफ प्राधिकरण को क्षतिपूर्ति के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार होगी जो सत्यापन रिपोर्ट या अन्यथा के कारण किसी विवाद या कानूनी दावा के मामले में जो कोई अनुपयुक्ता या असंगति या विषमता हुआ है शुरू किया गया है। आईईपीएफ प्राधिकरण प्रतिभूतिधारक या कंपनी को क्षतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा जो प्रस्तुत की गई सत्यापन रिपोर्ट में विसंगतता के कारण हुई है जिससे विवाद या शिकायत उत्पन्न हुई।

8. निधि में देय रकम के सीधे संदाय की शक्तियां.- (1) कंपनी वित्त वर्ष की समाप्ति के तीस दिन के भीतर प्ररूप संख्या आईईपीएफ-6 में प्राधिकरण को एक कथन प्रस्तुत करेगी जिसमें अगले वित्त वर्ष में निधि को अंतरित किए जाने हेतु देय रकम का कथन दिया जाएगा।

(2) कंपनी वित्त वर्ष के अपने लेखा बंद करने के तीस दन के भीतर प्राधिकरण को एक कथन भी देगा जिसमें उपर्युक्त उपनियम (1) में वर्णित रकम से विचलन, यदि कोई हो, के कारण और निधि में वास्तविक रूप से अंतरित रकम का उल्लेख किया जाएगा।

(3) प्राधिकरण, वित्त वर्ष की समाप्ति के साठ दिन के भीतर केन्द्रीय सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें उन कंपनियों के ब्यौरे दिए जाएंगे जिन्होंने निधि में सम्यक रकम का अंतरण नहीं किया है।

(4) प्राधिकरण, अगले वित्त वर्ष की समाप्ति तक केन्द्रीय सरकार को यह भी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा कि नियम 5 के उपनियम (8) में निर्दिष्ट सूचना किन कंपनियों में फाइल नहीं की है।

9. वर्तमान आईईपीएफ की आस्तियां, देयताएं आदि प्राधिकरण को अंतरित करना.- प्राधिकरण की स्थापना की तारीख से ही –

(क) इन नियमों से भिन्न किसी अन्य विधियों या किसी संविदा या किसी अन्य लिखत में वर्तमान आईईपीएफ का कोई उल्लेख प्राधिकरण का समझा माना जाएगा;

(ख) विद्यमान आईईपीएफ की या उससे संबंधित सभी आस्तियां जंगम या स्थावर, प्राधिकरण में निहित होगीं;

(ग) वर्तमान आईईपीएफ के सभी अधिकार और देयताएं प्राधिकरण को अंतरित होंगे और उसके अधिकार तथा देयताएं होंगी;

(घ) उपर्युक्त उपनियम (ग) के उपाबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वर्तमान आईईपीएफ के प्रयोजनों के लिए या इससे संबंधित उस तारीख से तत्काल पहले वर्तमान आईईपीएफ द्वारा या इसके साथ या इसके लिए किए

जाने वाली सभी संविदाओँ और ऋण, बाध्यता और उदगत दायित्व सभी मामलों तथा बातों को प्राधिकरण द्वारा इसके साथ या इसके लिए किए जाने के लिए देय, हस्ताक्षरित या किया गया समझा माना जाएगा;

(ङ) उस तारीख से तत्काल पहले विद्यमान आईईपीएफ को देय समस्त धनरकम प्राधिकरण को देय समझी मानी जाएगी;

(च) उस तारीख से तत्काल पहले विद्यमान आईईपीएफ द्वारा या इसके विरूद्ध किए गए या संभावित सभी वाद और अन्य विधिक कार्रवाईयों को प्राधिकरण द्वारा या इसके विरूद्ध जारी रखा जाएगा या चलाया जाएगा।

10. विवरणी और रिपोर्टें.- (1) प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार को अपने कार्यकलापों के संबंध में ऐसे समय पर और ऐसे प्ररूप और रीति से ऐसे रिटर्न और विवरण तथा ऐसे ब्यौरे प्रस्तुत करेगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(2) उपनियम (1) के उपाबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद एक सौ अस्सी दिन के भीतर पूर्व वित्त वर्ष के दौरान अपने कार्यकलापों का एक सही और पूरा विवरण केंद्रीय सरकार को ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा जोकि केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

11. सदभावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.- सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार या प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी या प्राधिकरण के किसी सदस्य अधिकारी या किसी कर्मचारी के लिए किसी वाद या विधिक कार्यवाही प्राधिकृत किसी व्यक्ति या अन्य विरूद्ध नहीं होगी।

12. निरसन और व्यावृति.- (1) विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (विनिधानकर्ताओं की जागरूकता और संरक्षण) नियम, 2001 और विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (कंपनियों के पास संदाय और दावा न की गई रकम से संबंधित सूचना अपलोड करना) नियम, 2012 निरस्त किए जाते हैं।

(2) उपर्युक्त निरसन के होते हुए भी उपनियम (1) द्वारा निरस्त किए गए नियमों के अधीन किए गए या किए जाने वाले या किए जाने हेतु प्रस्तावित किसी कार्रवाई, जब तक इन नियमों के उपाबंधों के साथ असंगत न हो, को इन नियमों के सदृश उपाबंधों के अंतर्गत किया गया माना जाएगा।

अनुसूची

प्राधिकरण द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर और लेखाबही

i. धारा 124 की उपधारा (6) के अधीन अंतरित शेयरों का रजिस्टर
ii. केंद्रीय रोकड़ बही
iii. कंपनी-वार लेखा खाता
iv. सधारण लेखा खाता
v. रोकड़िया की रोकड़ बही
vi. बैंक लेखा खाता
vii. आस्तियों का रजिस्टर
viii. निवेश रजिस्टर
ix. दावा रजिस्टर
x. धन प्रतिदाय रजिस्टर
xi. उचंत रजिस्टर
xii. दस्तावेज रजिस्टर
xiii. प्राधिकरण द्वारा निर्णय किया गया अन्य कोई रजिस्टर या बही

प्ररूप सं. आईईपीएफ-1

[विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा परीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 के नियम 5(4) के अनुसरण में]

सत्यमेव जयते

विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में दी गई राशि का विशिष्टियां

प्ररूप की भाषा 0 अंग्रेजी 0 हिंदी

ब्यौरों के लिए अनुदेश किट देखें

टिप्पण 1 – इस ई-प्ररूप को अपलोड करने पर आने वाली पावती में यथाउल्लिखित 'विनिधानकर्ता वार ब्यौरे अपलोड करने की प्रक्रिया' का पालन करें।

टिप्पण 2- कृपया ध्यान रखे कि इस प्ररूप को एक समय में केवल एक वित्तीय वर्ष के लिए भरा जाना है।

टिप्पण- सभी * चिन्हत खानों को भरा जाना अनिवार्य है।

(क) *कंपनी की कॉरपोरेट पहचान संख्या(सीआईएन)/

बैंक कारपोरेट पहचान संख्या (बीसीआईएन) _____ (पूर्व-पूरित)

(ख) कंपनी का वैश्विक अवस्थान संख्या (जी एल एन) _____

2. (क) कंपनी/बैंक का नाम _____

(ख) कंपनी/बैंक के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता .....

.....

(ग) *कंपनी/बैंक का ई-मेल आईडी .....

3. * निधि में किए गए भुगतान के संबंध में सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन) ..... (पूर्व-पूरित)

4. निधि में धनराशि के भुगतान की तारीख ..... (दिन/मास/वर्ष)

5. निधि में दी गई राशि (रुपए में) .....

6. भुगतान का प्रकार 0 चालान भुगतान (नकद, जांच, डिमांड ड्राफ्ट) 0 ऑनलाइन भुगतान

7. *निधि में दी गई राशि के ब्यौरे

क्र.सं.	विशिष्टियां	राशि (रु. में)	धनराशि निधि में जमा करने की तारीख
(क)	कंपनियों के भुगतान न किए गए लाभांश खातों में राशि		
(ख)	किसी प्रतिभूतियों के आबंटन और प्रतिदाय के लिए देय कंपनियों द्वारा प्राप्त आवेदन राशि		
(ग)	कंपनियों के पास परिपक्व जमा राशि		
(घ)	कंपनियों के पास परिपक्व डिबेंचर		

(ङ)	उपर्युक्त खंड (ख) से (घ) तक में निर्दिष्ट राशि पर अर्जित ब्याज i. प्रतिदाय के लिए देय आवेदन राशि ii. कंपनियों के पास परिपक्व जमाराशि iii. कंपनियों के पास परिपक्व डिबेंचर		
(च)	बोनस शेयर जारी करने, विलयन और समामेलन के कारण खंड शेयर की बिक्री से आय		
(छ)	अधिमान शेयरों की विमोचन राशि		
(ज)	अनुदान और संदान		
(झ)	अन्य		
	कुल		

8.* वह वित्तीय वर्ष जिससे संबंधित राशि है.....

अनुलग्नक

1. वैकल्पिक अनुलग्नक, यदि कोई है..... **सलंग्न करें**

अनुलग्नकों की सूची

अनुलग्नक हटाएं

घोषणा

मै, कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा तारीख.....(दिन/मास/वर्ष) की संकल्प संख्या..... के माध्यम से इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने और इसे जमा करने के लिए प्राधिकृत किया गया हूं।

मैं अपनी जानकारी के अनुसार यह घोषणा करता हूं कि इस प्ररूप की विषय वस्तु और इससे संबंधित अनुषंगी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके अधीन बनाए गए नियमों की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि इस प्ररूप और इसके अनुलग्नकों मे दिए गए सभी तथ्य सत्य, सही और पूर्ण है और किसी भी सूचना को छिपाया नहीं गया है।

* अंकीय हस्ताक्षर किया जाए। (डीएससी खाना)

* पदनाम.....

* निदेशक की डीआईएन; या प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ की स्थायी खाता संख्या; कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या; या बैंक के प्राधिकृत व्यक्ति की स्थायी खाता संख्या .....

टिप्पणः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 और धारा 449 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें मिथ्या कथन और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का उपाबंध किया गया है।

(उपांतरित करें) (प्ररूप जांच करें) (पूर्व संवीक्षा) (प्रस्तुत करें)

इस ई-प्ररूप को इलेक्ट्रोनिक माध्यम से तथा कंपनी द्वारा दिए गए विवरण की सत्यता के आधार पर आईईपीएफ प्राधिकरण द्वारा फाइल में रखा गया है।

प्ररूप संख्या आईईपीएफ -2 ***[विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा परीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 के नियम 5(8) के अनुसरण में]***	सत्यमेव जयते	**अदावाकृत और असंदत्त का कथन**

प्ररूप की भाषा 0 अंग्रेजी 0 हिंदी

ब्यौरों के लिए अनुदेश किट देखें

टिप्पण 1- कृपया इस ई-प्ररूप के अपलोड होने पर सृजन होने वाली पावती में निर्दिष्ट अनुसार विनिधानकर्ता-वार विशिष्टियां को अपलोड करने की प्रक्रिया' का पालन करें।

टिप्पणी-2 -सभी * चिन्हत खानों को भरा जाना अनिवार्य है।

1.(क) *कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)/बैंक कारपोरेट पहचान संख्या (बीसीआईएन)_____
(पूर्व-पूरित)

(ख) कंपनी की वैश्विक अवस्थिति संख्या (जी एल एन) _____

2. (क) कंपनी/बैंक का नाम _____

(ख) कंपनी/बैंक के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता.....

(ग) *कंपनी/बैंक की ई मेल पता.....

3. (क) *समाप्त वित्तीय वर्ष ..... (दिन/मास/वर्ष)

(ख) *वार्षिक साधारण अधिवेशन (एजीएम) की तारीख या नियत तारीख, जो भी पहले हो..... (दिन/मास/वर्ष)

4.*क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) में रजिस्ट्रीकृत है 0 हां 0 नहीं

5. कंपनी के लघु शेयरधारकों की संख्या.....

6. कंपनी के लघु निक्षेपकर्ताओं की संख्या.....

7. अदावाकृत और असंदत्त रकम का ब्यौरे

(क) अदावाकृत और असंदत्त लाभांश की रकम .....

(ख) प्राप्त धन आवेदन की रकम .....

(ग) *परिपक्व निक्षेप की रकम .....

(घ) *परिपक्व डिबेंचर की रकम .....

(ड़) उपरोक्त खंड (क) से (घ) में निर्दिष्ट रकम पर उद्भूत ब्याज

(i) *प्रतिदाय के लिए सम्यक धन का आवेदन .....

(ii) *कंपनी के परिपक्व निक्षेप .....

(iii) *कंपनी के परिपक्व डिबेंचर……..

(च) *बोनस शेयर से जारी उद्भूत खंड शेयर आगमों की बिक्री .....

आमेलन या समामेलन .....

(छ) अधिमन शेयर की रकम का मोचन .....

(ज) अन्य

योग .....

घोषणा

मै कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा तारीख ..... (दिन/मास/वर्ष) की संकल्प संख्या ..... के माध्यम से प्ररूप पर हस्ताक्षर करने और जमा करने के लिए प्राधिकृत किया गया हूं।

मैं अपनी जानकारी और विश्वास के अनुसार घोषणा करता हूं कि प्ररूप की विषय वस्तु और उसके मुद्दों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है और यह भी घोषणा करता हूँ कि हम प्ररूप में लाए गए तथ्य सत्य सही और पूर्ण है और कोई सूचना नहीं छिपाई गई है।

*** अंकीय हस्ताक्षर किया जाए। (डीएससी खाना)**

*पदनाम……

*निदेशक की डीआईएन; या प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ की स्थायी खाता संख्या; कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या; या बैंक के प्राधिकृत व्यक्ति की स्थायी खाता संख्या .....

टिप्पणः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 और धारा 449 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें मिथ्या कथन और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का उपाबंध किया गया है।

(उपांतरित करें) **(प्ररूप जांच करें)** **(पूर्व संवीक्षा)** **(प्रस्तुत करें)**

इस ई-प्ररूप को इलेक्ट्रोनिक माध्यम से तथा कंपनी द्वारा दिए गए विवरण की सत्यता के आधार पर आईईपीएफ प्राधिकरण द्वारा फाइल में रखा गया है।

प्ररूप संख्या आईईपीएफ-3 **[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 की उपधारा (6) और विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण *(लेखांकन, लेखा परीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 के नियम 6(3) के अनुसरण में]***	सत्यमेव जयते	**शेयरों और विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि को हस्तांतरित नहीं की गई अदावाकृत या असंदत्त लाभांश और शेयरों का कथन**

प्ररूप की भाषा 0 अंग्रेजी 0 हिंदी

ब्यौरों के लिए अनुदेश किट देखें

टिप्पण- -सभी * चिन्हत खानों को भरा जाना अनिवार्य है।

1. कंपनी का ब्यौरा

(क) *कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)/बैंक कारपोरेट पहचान संख्या (बीसीआईएन)_____
(पूर्व-पूरित)

(ख) कंपनी/बैंक का नाम _____

(ग) कंपनी/बैंक के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता.....

(घ) कंपनी/बैंक का ई-मेल पता.....

2. आईईपीएफ खाते में हस्तांतरित नहीं किए गए शेयरों और लाभांश का विशिष्टियां

*शेयरों की संख्या.....

शेयरों की कुल नामिक कुल राशि.....

ऐसे शेयरों पर संदत्त लाभांश की कुल राशि.....

3. * ..... (दिन/मास/वर्ष) को समाप्त वित्तीय वर्ष

4. शेयरों और लाभांशों के ब्यौरे .....

***प्रविष्टियों /मामलों की संख्या.....**

फोलियों संख्या/ डीपी पहचान-ग्राहक पहचान-खाता संख्या	**प्रवर्ग**	**शेयरों का प्रकार**

शेयरों की नामिक राशि	**अदावाकृत और असंदत्त लाभांश की राशि**	**वह वित्तीय वर्ष जिससे यह संबंधित है**	**न्यायालय/अधिकरण प्राधिकारी का नाम**	**आदेश की तारीख**

अनुलग्नक

1.* न्यायालय/अधिकरण/सांविधिक प्राधिकारी का आदेश (संलग्न करें);

2. वैकल्पिक अनुलग्नक, यदि कोई हो सलंग्न करें

अनुलग्नकों की सूची

अनुलग्नक हटाएं

घोषणा

मै कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा तारीख* ..... (दिन/मास/वर्ष) की संकल्प संख्या*..... के माध्यम से इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने और इसे जमा करने के लिए प्राधिकृत किया गया हूं।

मैं अपनी जानकारी के अनुसार यह घोषणा करता हूं कि इस प्ररूप की विषय वस्तु और इससे संबंधित अनुषंगी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके नियमों की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि इस प्ररूप और इसके अनुलग्नकों मे दिए गए सभी तथ्य सत्य, सही और पूर्ण है और किसी भी सूचना को छिपाया नहीं गया है।

*** अंकीय हस्ताक्षर किया जाए। (डीएससी खाना)**

* पदनाम.....

* निदेशक की डीआईएन; या प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ की स्थायी खाता संख्या; कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या; या बैंक के प्राधिकृत व्यक्ति की स्थायी खाता संख्या.....

टिप्पणः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 और धारा 449 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें मिथ्या कथन और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का उपाबंध किया गया है।

(उपांतरित करें) (प्ररूप जांच करें) (पूर्व संवीक्षा) (प्रस्तुत करें)

केवल शासकीय उपयोग के लिए (फाइलिंग विशिष्टियां लगाए)

ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन).....ई-प्ररूप फाइल करने की तारीख.....(दिन/मास/वर्ष)

यह ई-प्ररूप रजिस्ट्रीकृत किया जाता है

प्राधिकृत करने वाले अधिकारी का अंकीय हस्ताक्षर.....(जमा की पुष्टि करें)

हस्ताक्षर की तारीख.....(दिन/मास/वर्ष)

प्ररूप संख्या आईईपीएफ -4 **[विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण *(लेखांकन, लेखा परीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 के नियम 6(5) के अनुसरण में]***	सत्यमेव जयते	**विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि को हस्तांतरित शेयरों का कथन**

प्ररूप की भाषा 0 अंग्रेजी 0 हिंदी

ब्यौरों के लिए अनुदेश किट देखें

टिप्पण 1- कृपया इस ई-प्ररूप के अपलोड होने पर सृजन होने वाली पावती में निर्दिष्ट अनुसार 'विनिधानकर्ता-वार विशिष्टियां को अपलोड करने का प्रक्रिया' का पालन करें।

टिप्पण-2 -सभी * चिन्हत खानों को भरा जाना अनिवार्य है।

1. (क) *कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)/बैंक कारपोरेट पहचान संख्या (बीसीआईएन)_____ (पूर्व-पूरित)

(ख) कंपनी की वैश्विक अवस्थिति संख्या (जी एल एन) _____

2. (क) कंपनी का नाम _____

(ख) कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता.....

(ग) *कंपनी का ई मेल पता.....

3. (क)* आईईपीएफ खाते में हस्तांतरित किए गए शेयरों की कुल अभिहित राशि.....

(ख)* हस्तांतिरत शेयरों की कुल संख्या.....

4.*प्ररूप आईआईपीएफ-1 का एसआरएन.....

5. *वह वित्तीय वर्ष जिससे यह राशि संबंधित है.....

घोषणा

मै कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा तारीख* ..... (दिन/मास/वर्ष) की संकल्प संख्या*..... के माध्यम से इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने और इसे जमा करने के लिए प्राधिकृत किया गया हूं।

मैं अपनी जानकारी के अनुसार यह घोषणा करता हूं कि इस प्ररूप की विषय वस्तु और इससे संबंधित अनुषंगी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके नियमों की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि इस प्ररूप और इसके अनुलग्नकों मे दिए गए सभी तथ्य सत्य, सही और पूर्ण है और किसी भी सूचना को छिपाया नहीं गया है।

* अंकीय हस्ताक्षर किया जाए। (डीएससी खाना)

* पदनाम.....

* निदेशक की डीआईएन; या प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ की स्थायी खाता संख्या; कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या; या बैंक के प्राधिकृत व्यक्ति की स्थायी खाता संख्या.....

टिप्पणः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 और धारा 449 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें मिथ्या कथन और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का उपाबंध किया गया है।

(उपांतरित करें) (प्ररूप जांच करें) (पूर्व संवीक्षा) (प्रस्तुत करें)

इस ई-प्ररूप को इलेक्ट्रोनिक माध्यम से तथा कंपनी द्वारा दिए गए विवरण की सत्यता के आधार पर आईईपीएफ प्राधिकरण द्वारा फाइल में रखा गया है।

प्ररूप संख्या आईईपीएफ -5

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 की उप-धारा (3) और विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण *(लेखांकन, लेखा परीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 के नियम 7(1) के अनुसरण में]*

सत्यमेव जयते

विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) से असंदत्त राशियों और शेयरों के दावे के लिए प्राधिकरण को आवंटन

प्ररूप की भाषा 0 अंग्रेजी 0 हिंदी

ब्यौरों के लिए अनुदेश किट देखें

टिप्पण- -सभी * चिन्हत खानों को भरा जाना अनिवार्य है।

1. आवेदक की विशिष्टियां

(क) *आवेदक का नाम.....

(ख) *आवेदक का पता.....

(ग) दूरभाष संख्या.....

(घ) मोबाइल संख्या.....

(ड.) ई-मेल पता .....

2. उस कंपनी/बैंक का विशिष्टियां जहां से राशि देय है

(क) *कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)/बैंक कारपोरेट पहचान संख्या (बीसीआईएन)_____ (पूर्व-पूरित)

(ख) कंपनी/बैंक का नाम _____

(ग) कंपनी/बैंक के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता.....

(घ) कंपनी/बैंक का ई मेल पता.....

3. दावाकृत शेयरों का ब्यौरा

फोलियों संख्या/डीपी-आईडी-ग्राहक-आईडी-खाता संख्या	**प्रवर्ग**	**शेयर का प्रकार**	**शेयरों की संख्या**	**शेयर की कुल नामिक राशि**

4. दावाकृत राशि का ब्यौरा

क्रं. सं.	विशिष्टियां	राशि (रूपए में)
(i)	लाभांश रकम	
(ii)	प्रतिदाय के लिए देय आवेदन राशि	
(iii)	कंपनी के परिपक्व निक्षेप	
(iv)	कंपनी के परिपक्व डिबेंचर	
(v)	प्रतिसंदाय के लिए देय आवेदन राशि पर अर्जित ब्याज	
(vi)	कंपनी के पास रखे परिपक्व जमा पर अर्जित ब्याज	
(vii)	कंपनी के पास रखे परिपक्व डिबेंचरों पर अर्जित ब्याज	
(viii)	कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन आईईपीएफ के खाते मे जमा लाभांश पर अर्जित ब्याज	
(ix)	बोनस शेयर, विलयन, समामेलन के जारी होने से उत्पन्न आंशिक शेयरों की बिक्री से प्राप्त आय	
(x)	अधिमान शेयरों की मोचन राशि	
(xi)	अन्य, विनिर्दिष्ट करें	
	कुल	

टिप्पणः यदि आवेदक के पास दावाकृत राशि संबंधी कोई सूचना नहीं है तो उपर्युक्त संबंधित स्तंभ को रिक्त छोड़ा जा सकता है।

*दावों की संख्या.....

उन प्रतिभूतियों/जमाओं का वर्षवार ब्यौरा, जिनके लिए दावा किया जा रहा है।

दावे की प्रकृति	दावाकृत राशि	संबंधित वित्तीय वर्ष जिससे संबंधित है	प्रतिभूति/जमा की प्रकृति	फोलियों संख्या/डीपी-आईडी-ग्राहक आईडी-खाता संख्या	प्रवर्ग	भुगतान के साधन की गैर प्राप्ति/गैर नकदीकरण का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

5. * आधार संख्या या पासपोर्ट/ओसीआई/पीआईओ कार्ड सं. (एनआरआई/विदेशियों के मामले में) .....

6. *आधार संयोजित बैंक खाता संख्या का विवरण जिसमें दावाकृत प्रतिदाय भेजा जाएगा

(क) बैंक खाता संख्या .....

(ख) बैंक का नाम .....

(ग) बैंक की शाखा .....

(घ) खाते का प्रकार 0 बचत खाता 0 चालू खाता

(ड.) आईएफएससी कोड .....

7. डिमैट खाता संख्या.....

घोषणा

मैं अपनी जानकारी के अनुसार यह घोषणा करता हूं कि इस प्ररूप की विषय वस्तु और इससे संबंधित अनुषंगी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके नियमों की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि इस प्ररूप और इसके अनुलग्नकों मे दिए गए सभी तथ्य सत्य, सही और पूर्ण है और किसी भी सूचना को छिपाया नहीं गया है।

■ मैं समझता हूं कि ऑनलाइन पुनर्संदाय दावा फाइल करने के बाद, मुझे पुनर्संदाय प्रक्रिया शुरू करने के लिए दावा प्ररूप की मुद्रित प्रति हस्ताक्षर करके, पावती की प्रति और मेरे द्वारा हस्ताक्षरित मूल क्षतिपूर्ति बंधपत्र केवल डाक द्वारा आईईपीएफ प्राधिकरण दिल्ली में प्रेषित करना अपेक्षित है।

1. पूर्ण रूप से भरा हुआ दावा प्ररूप जिसमें दावेदार के हस्ताक्षर हो की छायाप्रति

2. अभिस्वीकृति की प्रति

3. क्षतिपूर्ति बंधपत्र (मूल) दावेदार के हस्ताक्षर सहित

4. अग्रिम स्टांपित रसीद (मूल)

5. परिपक्व जमा या लाभांश के प्रतिदाय के मामले में उसका मूल प्रमाण पत्र

6. आधार की प्रति

7. हकदारी का प्रमाण (शेयर प्रमाण पत्र)/लाभांश वारंट आवेदन संख्या आदि

8. रद्द चेक प्रति

9. पासपोर्ट की प्रति, ओसीआई और पीआई कार्ड विदेशियों और एनआरआई के मामलों में।

10.अन्य वैकल्पिक दस्तावेज (यदि कोई हो)

टिप्पण: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 के उपाबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जो उल्लेख करता है कि-

"अधिनियम में यथाउपबंधित के सिवाय यदि कोई विवरणी, रिपोर्ट, प्रमाण पत्र, वित्तीय विवरण, विवरणी, विवरण या अन्य दस्तावेज जो आवश्यक हो या अधिनियम के किसी उपाबंधों के उद्देश्य के लिए या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत कोई व्यक्ति कथन करता है,-

(क) जो कि तात्विक विवरणों में झूठा है जिसे झूठा होने का ज्ञान है; या

(ख) जो कोई तात्विक तथ्य को छुपाता है जिसका तात्विक होने का ज्ञान है,

वह धारा 447 के अंतर्गत जिम्मेदार होगा।"

(उपांतरित करें) (प्ररूप जांच करें) (पूर्व संवीक्षा) (प्रस्तुत करें)

केवल शासकीय उपयोग के लिए (फाइलिंग विशिष्टियां लगाए)

ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन).....ई-प्ररूप फाइल करने की तारीख.....(दिन/मास/वर्ष)

प्राधिकृत अधिकारी के अंकीय हस्ताक्षर.....

एतद्वारा यह ई-प्ररूप अनुमोदित किया जाता है

एतद्वारा यह ई-प्ररूप अस्वीकृत किया जाता है (जमा की पुष्टि करें)

हस्ताक्षर की तारीख.....(दिन/मास/वर्ष)

प्ररूप संख्या आईईपीएफ -6

[विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण *(लेखांकन, लेखा परीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 के नियम 8 के अनुसरण में]*

सत्यमेव जयते

विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि को स्थानांतरित की जाने वाली अदावाकृत या असंदत्त राशियों का विशिष्टियां

प्ररूप की भाषा 0 अंग्रेजी 0 हिंदी]

ब्यौरों के लिए अनुदेश किट देखे।

टिप्पण- -सभी * चिन्हित खानों को भरा जाना अनिवार्य है।

1. (क)* कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)/.....(पूर्व पूरित)

   बैंक कारपोरेट पहचान संख्या (बीसीआईएन)

   (ख)* कंपनी की वैश्विक अवस्थिति संख्या (जीएलएन).....

2. (क) कंपनी/बैंक का नाम.....

(ख) कंपनी/बैंक के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता.....

(ग)*कंपनी/ बैंक का ई-मेल पता.....

3. *वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख.....

4. *पश्चातवर्ती वित्तीय वर्ष में आईईपीएफ को जमा की जाने वाली देय राशि का ब्यौरा

क्र. सं.	**विशिष्टियां**	**रूपए (राशि में)**	**वह तारीख, जिसके भीतर राशियों को निधि में जमा किया जाना है।**
(क)	कंपनी के असंदत्त लाभांश खाते मे राशि		
(ख)	किसी प्रतिभूति के आवंटन के लिए कंपनी द्वारा प्राप्त और प्रतिसंदान के लिए देय आवेदन राशि		
(ग)	कंपनी के परिपक्व निक्षेप		
(घ)	कंपनी के परिपक्व डिबेंचर		
(ड़)	उपर्युक्त खंड (ख) से (घ) में निर्दिष्ट राशि पर प्राप्त ब्याज		
	(i) प्रतिसंदाय के लिए देय आवेदन राशि		
	(ii) कंपनी के परिपक्व निक्षेप		
	(iii) कंपनी के परिपक्व डिबेंचर		
(च)	बोनस शेयर, विलयन, और समामेलन के जारी होने से उत्पन्न खंड शेयरों की बिक्री से प्राप्त आय		
(छ)	अधिमान शेयरों की मोचन राशि		
(ज)	अनुदान और संदाय		
(झ)	अन्य, विनिर्दिष्ट करें		
	योग		

5. आईईपीएफ को जमा की गई राशि का ब्यौरा

संगत प्ररूप आईईपीएफ-6 का एसआरएन.....(पूर्व पूरित)

संगत प्ररूप आईईपीएफ-1 का एसआरएन.....(पूर्व पूरित)

क्र. सं.	**विशिष्टियां**	**पूर्व वर्ष में स्थानांतरण के लिए रिपोर्ट की गई राशि (रूपए में)**	**वास्तविक स्थानांतरित राशि (रूपए में)**	**विचलन के कारण**
(क)	कंपनी के असंदत्त लाभांश खाते मे राशि			
(ख)	किसी प्रतिभूति के आवंटन के लिए कंपनी द्वारा प्राप्त और प्रतिदाय के लिए देय आवेदन राशि			
(ग)	कंपनी के परिपक्व निक्षेप			
(घ)	कंपनी के परिपक्व डिबेंचर			
(ड़)	उपर्युक्त खंड (ख) से (घ) में निर्दिष्ट राशि पर प्राप्त ब्याज			

	(i) पुनर्संदाय के लिए देय आवेदन राशि			
	(ii) कंपनी के परिपक्व निक्षेप			
	(iii) कंपनी के परिपक्व डिबेंचर			
(च)	बोनस शेयर, आमेलन और समामेलन के जारी होने से उत्पन्न खंड शेयरों की बिक्री से प्राप्त आय			
(छ)	अधिमान शेयरों की संदाय अधिमान राशि			
(ज)	अनुदान और संदान			
(झ)	अन्य, विनिर्दिष्ट करें			
	योग			

अनुलग्नक

1. वैकल्पिक अनुलग्नक, यदि कोई हो (संलग्न करें) अनुलग्नकों की सूची

अनुलग्नक हटाएं

घोषणा

मै कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा तारीख* ..... (दिन/मास/वर्ष) की संकल्प संख्या*..... के माध्यम से इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने और इसे जमा करने के लिए प्राधिकृत किया गया हूं।

मैं अपनी जानकारी के अनुसार यह घोषणा करता हूं कि इस प्ररूप की विषय वस्तु और इससे संबंधित अनुषंगी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके नियमों की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि इस प्ररूप और इसके अनुलग्नकों मे दिए गए सभी तथ्य सत्य, सही और पूर्ण है और किसी भी सूचना को छिपाया नहीं गया है।

*** अंकीय हस्ताक्षर किया जाए। (डीएससी खाना)**

* पदनाम.....

* निदेशक की डीआईएन; या प्रबंधक या सीईओ या

सीएफओ की स्थायी खाता संख्या; कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या; या

बैंक के प्राधिकृत व्यक्ति की स्थायी खाता संख्या .....

टिप्पणः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 और धारा 449 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें मिथ्या कथन और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का उपाबंध किया गया है।

(उपांतरित करें) (प्ररूप जांच करें) (पूर्व संवीक्षा) (प्रस्तुत करें)

इस ई-प्ररूप को इलेक्ट्रोनिक माध्यम से तथा कंपनी द्वारा दिए गए विवरण की सत्यता के आधार पर आईईपीएफ प्राधिकरण द्वारा फाइल में रखा गया है।

[फा. सं. 05/27/2013-आईईपीएफ]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2016

G.S.R. 854(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (2), (3), (4), (8), (9), (10) and (11) of section 125 and sub-section (6) of section 124 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title, extent and commencement.- (1) These rules may be called the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016.

(2) They shall come into force with effect from the 7th September 2016.

2. **Definitions.-** (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Companies Act 2013;

(b) "Authority" means the Investor Education and Protection Fund Authority constituted under sub-section (5) of section 125 of the Act;

(c) "Chairperson" means the chairperson of the authority appointed under sub-section (6) of section 125 of the Act;

(d) "Company" means company as defined in sub-section (20) of section 2 of the Act and includes 'corresponding new bank' as defined in sub-section (d) of section 2 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) and clause (b) of section 2 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980);

(e) "Existing IEPF" means the Investor Education and Protection Fund (IEPF) constituted under section 205C of the Companies Act, 1956 (1 of 1956);

(f) "Fund" means the Investor Education and Protection Fund (IEPF) constituted under section 125 of the Act;

(g) "Investor" means any person, who has committed money in shares, or debentures, bond or deposits under a scheme or plan of a company registered under the Act;

(h) "Member" means member of the Authority appointed under sub-section (6) of section 125 of the Act; and

(i) "Section" means the section of the Act.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined herein but defined in the Act or in the Companies (Specification of Definitions Details) Rules, 2014, shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act or in the said rules.

3. **Fund.-** (1) The Authority shall administer the Fund.

(2) There shall be credited to the Fund, the following amounts, namely:-

(a) all amounts payable as mentioned in clause (a) to (n) of sub-section (2) of section 125 of the Act;

(b) all shares in accordance with sub-section (6) of section 124 of the Act;

(c) all the resultant benefits arising out of shares held by the Authority under clause (b);

(d) all grants, fees and charges received by the Authority under these rules;

(e) all sums received by the Authority from such other sources as may be decided upon by the Central Government;

(f) all income earned by the Authority in any year;

(g) all amounts payable as mentioned in sub-section (3) of section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and section 10B of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980; and

(h) all other sums of money collected by the Authority as envisaged in the Act.

(3) In case of term deposits and debentures of companies, due unpaid or unclaimed interest shall be transferred to the Fund along with the transfer of the matured amount of such term deposits and debentures.

(4) (a) All the money, which accrue under sub section (2) [except clause (g)] of section 125 of the Act shall be deposited in the Consolidated Fund of India under the Major Head '0075-Miscellaneous General Services – 104 - Unclaimed and Unpaid dividends, deposits and debentures etc.'. Such sums along with amount deposited under section 205C of the Companies Act, 1956 shall be transferred to the Fund in the non-interest bearing Public Account after taking due approval of Parliament through Appropriation Act. This non-interest bearing Public Account shall be termed as IEPF Fund and shall be utilised for the purposes provided under sub-section (3) of section 125 of the Act.

(b) (i) All amounts remitted by the companies shall initially be accounted for under the following heads of Accounts:-

Major Head 0075 – Miscellaneous General Services

Minor Head 104 - Unpaid dividend of Companies.

(ii) Grants and donations given to the Fund by the State Governments, Companies or any other institutions for the purpose of the Fund as also the interest or other income received out of the Investments made from the Fund shall be credited to a separate sub-head under "800 – Other Receipts" below the MH 0075 – Misc. General Services.

(iii) Amount booked under the above receipt head shall be transferred to the Fund account under Major Head '8235 – General and other Reserve Fund – 116 – IE & PF' by the PAO, Ministry of Corporate Affairs after making suitable budget provision under Major Head '3451 – Secretariat Economic Services 797 – Transfer to Reserve Fund Deposit Account – Transfer to Investor's Education and Protection Fund'. In case the amounts of receipts in a year is more than the budget provision made under Major Head 3451 transfer to the Fund, the difference shall be transferred to the Fund in subsequent year, after obtaining approval of the Budget Division of Department of Economic Affairs and after making adequate budget provision in the relevant year.

(iv) Budget provision in connection with the activities to be financed from the Fund shall be made under Major Head 3451 – Secretariat Economic Services 090 Secretariat – Investor's Education and Protection Fund. Actual expenditure under the head shall be recouped from the Fund and the amount so recouped shall be accounted for under the Major Head '3451' as Deduct entry below Minor Head '902 – Deduct – amount met from Investor's Education and Protection Fund' with contra debit to Major Head – '8235 – General and Other Reserve Funds -116 – Investor's Education and Protection Fund'.

4. **Accounts and audit.-** (1) The Authority shall maintain proper accounts and other relevant records as given in Schedule to these rules and prepare an annual statement of accounts in such form as may be specified by the Central Government in consultation with the Comptroller and Auditor-General of India.

(2) The accounts of the Authority shall be audited annually by the Internal Audit Party of the office of Chief Controller of Accounts and Comptroller and Auditor-General of India at such intervals and any expenditure incurred in connection with such audit shall be payable by the Authority to the Comptroller and Auditor-General of India.

(3) The Comptroller and Auditor-General of India or any other person appointed by him in connection with the audit of the accounts of the Authority shall have the same rights and privileges and authority in connection with such audit as the Comptroller and Auditor-General generally has in connection with the audit of the Government accounts and, in particular, shall have the right to demand the production of books, accounts, connected vouchers and other documents and papers and to inspect any of the offices of the Authority.

(4) The accounts of the Authority as certified by the Comptroller and Auditor-General of India or any other person appointed by him in this behalf together with the audit report thereon shall be forwarded annually to the Central Government and that Government shall cause the same to be laid before each House of Parliament.

5. **Statement to be furnished to the Fund.-** (1) Any amount required to be credited by the companies to the Fund as provided under clause (a) to (n) of sub-section (2) of section 125 of the Act shall be remitted into the specified branches of Punjab National Bank, which is the accredited Bank of the Pay and Accounts Office, Ministry of Corporate Affairs and other authorised banks engaged by the MCA-21 system, within a period of thirty days of such amounts becoming due to be credited to the Fund.

(2) The amount shall be tendered by the companies along with challan (in triplicate) to the specified Bank Branches of Punjab National Bank and other authorised banks under MCA-21 system who will return two copies of the challan, duly stamped in token of having received the amount, to the Company. The third copy of the challan will be forwarded along with the daily credit scroll by the receiving branch to its Focal Point Branch of the Bank for onward transmission to the Pay and Accounts Office, Ministry of Corporate Affairs.

(3) Every company shall file with the concerned Authority one copy of the challan referred to in sub-rule (2) indicating the deposit of the amount to the Fund and shall fill in the full particulars of the amount tendered, including the head of account to which it has been credited.

(4) The company shall, along with the copy of the challan as required under sub-rule (3), furnish a Statement in Form No. IEPF 1 containing details of such transfer to the Authority within thirty days of submission of challan.

(5) The amount may also be remitted by Electronic Fund Transfer in such manner, as may be specified by the Central Government.

(6) (a) On receipt of the statement, the Authority shall enter the details of such receipt in a Register maintained physically or electronically by it in respect of each company every year, and reconcile the amount so remitted and collected, with the concerned designated bank on monthly basis.

(b) Each designated bank shall furnish an abstract of such receipts during the month to the Authority within seven days after the close of every month.

(c) The company shall maintain record consisting of name, last known address, amount, folio number or client ID, certificate number, beneficiary details etc. of the persons in respect of whom unpaid or unclaimed amount has remained unpaid or unclaimed for a period of seven years and has been transferred to the Fund and the Authority shall have the powers to inspect such records.

(7) The provisions of this rule shall be applicable *mutatis mutandis* in respect of the amounts to be credited to the Fund in pursuance of clauses (h) to (m) of sub-section (2) of section 125.

(8) Every company shall within a period of ninety days after the holding of Annual General Meeting or the date on which it should have been held as per the provisions of section 96 of the Act and every year thereafter till completion of the seven years period, identify the unclaimed amounts, as referred in sub-section 2 of section 125 of the Act, as on the date of holding of Annual General Meeting or the date on which it should have been held as per the provisions of section 96 of the Act, separately furnish and upload on its own website and also on website of Authority or any other website as may be specified by the Government, a statement or information through Form No. IEPF 2, separately for each year, containing following information, namely:-

(a) the names and last known addresses of the persons entitled to receive the sum;

(b) the nature of amount;

(c) the amount to which each person is entitled;

(d) the due date for transfer into the Investor Education and Protection Fund; and

(e) such other information as may be considered relevant for the purposes.

6. **Manner of transfer of shares under sub-section (6) of section 124 to the Fund.-** (1) The shares shall be credited to an IEPF suspense account (on the name of the company) with one of the depository participants as may be identified by the Authority within a period of thirty days of such shares becoming due to be transferred to the Fund:

Provided that, in case the beneficial owner has encashed any dividend warrant during the last seven years, such shares shall not be required to be transferred to the Fund even though some dividend warrants may not have been encashed.

(2) For the purposes of effecting transfer of such shares, the Board shall authorise the Company Secretary or any other person to sign the necessary documents.

(3) The company shall follow the following procedure, namely:-

(a) The company shall inform at the latest available address, the shareholder concerned regarding transfer of shares three months before the due date of transfer of shares and also simultaneously publish a notice in the leading newspaper in English and regional language having wide circulation, and on their website giving details of such shareholders and shares due for transfer:

Provided that in cases, where the seven years as provided under sub-section (5) of section 124 have been completed or are being completed within three months from the date of coming into force of these rules, the company shall initiate the aforesaid procedure immediately and transfer the shares on completion of three months;

(b) In case, where there is a specific order of Court or Tribunal or statutory Authority restraining any transfer of such shares and payment of dividend, the company shall not transfer such shares to the Fund:

Provided that the company shall furnish details of such shares and unpaid dividend to the Authority in Form No. IEPF 3 within thirty days from the end of financial year;

(c) For the purposes of effecting the transfer where the shares are dealt with in a depository,-

(i) the Company Secretary or the person authorised by the Board shall sign on behalf of such shareholders, the delivery instruction slips of the depository participants where the shareholders had their accounts for transfer in favour of IEPF suspense account (name of the company);

(ii) on receipt of the delivery instruction slips, the depository shall effect the transfer of shares in favour of the Fund in its records.

(d) For the purposes of effecting the transfer where the shares are held in physical form,-

(i) the Company Secretary or the person authorised by the Board shall make an application, on behalf of the concerned shareholders, to the company, for issue of duplicate share certificates;

(ii) on receipt of the application under clause (a), a duplicate certificate for each such shareholder shall be issued and it shall be stated on the face of it and be recorded in the register maintained for the purpose, that the duplicate certificate is "Issued in lieu of share certificate No..... for purpose of transfer to IEPF" and the word "duplicate" shall be stamped or punched in bold letters across the face of the share certificate;

(iii) particulars of every share certificate issued as above shall be entered forthwith in a register of renewed and duplicate share certificates maintained in Form No. SH 2 as specified in the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014;

(iv) after issue of duplicate share certificates, the Company Secretary or the person authorised by the Board, shall sign the necessary Form No. SH 4 i.e., securities transfer Form as specified in the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014, for transferring the shares in favour of the Fund;

(v) on receipt of the duly filled transfer forms along with the duplicate share certificates, the Board or its Committee shall approve the transfer and thereafter the

transfer of shares shall be effected in favour of the Fund in the records of the company.

(4) The company or depository, as the case may be, shall preserve copies of the depository instruction slips, transfer deeds and duplicate certificates for its records.

(5) While effecting such transfer, the company shall send a statement to the Fund in Form No. IEPF 4 containing details of such transfer.

(6) The voting rights on shares transferred to the Fund shall remain frozen until the rightful owner claims the shares:

Provided that for the purpose of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, the shares which have been transferred to the Authority shall not be excluded while calculating the total voting rights.

(7) Once the physical shares are transferred in the name of the Authority, the Authority shall dematerialise these shares and it shall keep only those shares in physical form, where dematerialisation of shares is not possible.

(8) The Authority shall maintain IEPF suspense account (name of the company) with depository participant on behalf of the shareholders who are entitled for the shares and all benefits accruing on such shares e.g. bonus shares, split, consolidation, fraction shares etc. except right issue shall also be credited to such IEPF suspense account (name of the company).

(9) The shares held in such IEPF suspense account shall not be transferred or dealt with in any manner whatsoever except for the purposes of transferring the shares back to the claimant as and when he approaches the Authority or in accordance with sub-rule (10) and (11).

(10) If the company is getting delisted, the Authority shall surrender shares on behalf of the shareholders in accordance with the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009 and the proceeds realised shall be credited to the Fund and a separate ledger account shall be maintained for such proceeds.

(11) In case the company whose shares or securities are held by the Authority is being wound up, the Authority may surrender the securities to receive the amount entitled on behalf of the security holder and credit the amount to the Fund and a separate ledger account shall be maintained for such proceeds.

(12) Any further dividend received on such shares shall be credited to the Fund and a separate ledger account shall be maintained for such proceeds.

7. **Refunds to claimants from Fund. -** (1) Any person, whose shares, unclaimed dividend, matured deposits, matured debentures, application money due for refund, or interest thereon, sale proceeds of fractional shares, redemption proceeds of preference shares, etc. has been transferred to the Fund, may claim the shares under provision to sub-section (6) of section 124 or apply for refund, under clause (a) of sub-section (3) of section 125 or under proviso to sub-section (3) of section 125, as the case may be, to the Authority by making an application in Form IEPF 5 online available on website www.iepf.gov.in along with fee, as decided by the Authority from time to time in consultation with the Central Government, under his own signature.

(2) The claimant shall after making an application online in Form IEPF-5 under rule (1), send the same duly signed by him along with, requisite documents as enumerated in Form IEPF-5 to the concerned company at its registered office for verification of his claim.

(3) The company shall, within fifteen days of receipt of claim form, send a verification report to the Authority in the format specified by the Authority along with all documents submitted by the claimant.

(4) After verification of the entitlement of the claimant-

(a) to the amount claimed, the Authority and then Drawing and Disbursement Officer of the Authority shall present a bill to the Pay and Accounts Office for e- payment as per the guidelines.

(b) to the shares claimed, the Authority shall issue a refund sanction order with the approval of the Competent Authority and shall either credit the shares which are lying with depository participant in IEPF suspense account (name of the company) to the demat account of the claimant to the extent of the claimant's entitlement or in case of the physical certificates, if any, cancel the duplicate certificate and transfer the shares in favour of the claimant.

(5) The Authority shall, in its records, cause a note to be made of all the payments made under sub-rule (4).

(6) An application received for refund of any claim under this rule duly verified by the concerned company shall be disposed of by the Authority within sixty days from the date of receipt of the verification report from the company, complete in all respects and any delay beyond sixty days shall be recorded in writing specifying the reasons for the delay and the same shall be communicated to the claimant in writing or by electronic means.

(7) In cases, where the application is incomplete, a communication shall be sent to the claimant by the Authority detailing deficiencies of the application.

(8) In case, claimant is a legal heir or successor or administrator or nominee of the registered security holder, he has to ensure that the transmission process is completed by the company before filing any claim with the Authority.

(9) The claimant shall file only one consolidated claim in respect of a company in a financial year.

(10) The company shall be solely liable under all circumstances whatsoever to indemnity the IEPF Authority in case of any dispute or lawsuit that may be initiated due to any incongruity or inconsistency or disparity in the verification report or otherwise. The IEPF Authority shall not be liable to indemnity the security holder or Company for any liability arising out of any discrepancy in verification report submitted etc leading to any litigation or complaint arising thereof.

8. Power to direct payment of amount due to the Fund. - (1) The company shall furnish a statement to the Authority in Form No. IEPF 6 within thirty days of end of financial year stating therein the amounts due to be transferred to the Fund in next financial year.

(2) The company shall also furnish a statement to the authority within thirty days of the closure of its accounts for the financial year stating therein the reasons of deviation, if any, of amounts detailed in sub-rule (1) above and actual amounts transferred to the Fund.

(3) Authority shall furnish a report to the Central Government within sixty days of end of financial year giving details of companies who have failed to transfer the due amount to the Fund.

(4) Authority shall also furnish a report to the Central Government by end of next financial year giving details of companies who have failed to file information referred to in sub-rule (8) of rule 5.

9. **Transfer of assets, liabilities, etc., of the existing IEPF to the Authority.-** On and from the date of establishment of the Authority,—

(a) any reference to the existing IEPF in any law other than these rules or in any contract or other instrument shall be deemed as a reference to the Authority;

(b) all properties and assets, movable and immovable, of, or belonging to, the existing IEPF, shall vest in the Authority;

(c) all rights and liabilities of the existing IEPF shall be transferred to, and be the rights and liabilities of the Authority;

(d) without prejudice to the provisions of clause (*c*), all debts, obligations and liabilities incurred, all contracts entered into and all matters and things engaged to be done by, with or for the existing IEPF immediately before that date, for or in connection with the purpose of the said existing IEPF shall be deemed to have been incurred, entered into, or engaged to be done by, with or for, the Authority;

(e) all sums of money due to the existing IEPF immediately before that date shall be deemed to be due to the Authority; and

(f) all suits and other legal proceedings instituted or which could have been instituted by or against the existing IEPF, immediately before that date may be continued or may be instituted by or against the Authority.

10. **Returns and reports.-** (1) The Authority shall furnish to the Central Government at such time and in such form and manner as may be specified or as the Central Government may direct, such returns and statements and such particulars with regard to its activity.

(2) Without prejudice to the provisions of sub-rule (1), the Authority shall, within one hundred and eighty days after the end of each financial year, submit to the Central Government a report in such form, as may be specified, giving a true and full account of its activities during the previous financial year.

11. **Protection of action taken in good faith.-** No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Central Government or Authority or any officer of the Central Government or any member, officer or other employee of the Authority for anything which is in good faith done or intended to be done under these rules.

12. **Repeal and savings. -** (1) The Investor Education and Protection Fund (Awareness and Protection of Investors) Rules, 2001 and Investor Education and Protection Fund (Uploading of information regarding unpaid and unclaimed amounts lying with companies) Rules, 2012 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken or purported to have been done or taken under the rules repealed by sub-rule (1) shall, in so far as it is not inconsistent with the provisions of these rules, be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these rules.

SCHEDULE

REGISTERS AND BOOKS OF ACCOUNT TO BE MAINTAINED BY THE AUTHORITY

(i) Register of Shares transferred under sub-section (6) of section 124

(ii) Central Cash Book

(iii) Company wise Ledger

(iv) General Ledger

(v) Cashier's Cash Book

(vi) Bank Ledger

(vii) Register of Assets

(viii) Investment Register

(ix) Claim Register

(x) Refund Register

(xi) Suspense Register

(xii) Documents Register

(xiii) Any other register or Book as decided by Authority

FORM NO. IEPF-1

[Pursuant to rule 5(4) of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016]

सत्यमेव जयते

Statement of amounts credited to Investor Education and Protection Fund

Form language o English o Hindi

Refer instruction kit for details.

Note 1 - Please adhere to the 'Process for uploading Investor-wise details' as mentioned on the Acknowledgment, to be generated upon upload of this eForm.

Note 2 – Please take a note that this form has to be filled only for one Financial Year at a time.

Note - All fields marked in * are to be mandatorily filled.

1.(a)*Corporate identity number (CIN) of company/ Pre fill

Bank Corporate Identification number (BCIN)

(b) Global Location Number (GLN) of company

2. (a) Name of the company/bank

(b) Address of registered office of the company/bank

(c) *email id of the company/bank

3.*Service request number (SRN) in respect of payment made to the fund Pre-fill

4. Date of payment of amount to the fund (DD/MM/YYYY)

5. Amount credited to the fund (in Rs.)

6. Mode of payment ◯ Challan payment (Cash, Cheque, Demand draft) ◯ Online Payment

7. *Details of the amount credited to the fund

S. No.	Particulars	Amount (in Rupees)	Date by which amount should have been credited to the fund
(a)	Amount in the unpaid dividend accounts of companies		
(b)	The application money received by companies for allotment of any securities and due for refund		
(c)	Matured deposits with companies		
(d)	Matured debentures with companies		
(e)	Interest accrued on the amounts referred to in clause (b) to (d) above		
	(i) Application money due for refund		
	(ii) Matured deposits with companies		
	(iii) Matured debentures with companies		
(f)	Sale proceeds of fractional shares arising out of		

	issuance of bonus shares, merger and amalgamation		
(g)	Redemption amount of preference shares		
(h)	Grants and donation		
(i)	Others		
	Total		

8. * Financial Year to which the amount relates

Attachments **List of attachments**

1. Optional attachments, if any. Attach

Remove attachment

Declaration

I have been authorized by the Board of directors' resolution number* Dated * (DD/MM/YYYY)

to sign and submit this form.

To the best of my knowledge and belief, I declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I also declare that all the information given herein above is true, correct and complete including the attachments to this form and nothing material has been suppressed.

*To be digitally signed by DSC Box

*Designation

*DIN of the director; or PAN of the manager or CEO or CFO; or Membership number of the company secretary; or PAN of Authorized person of the bank

Note: Attention is also drawn to provisions of Section 448 and section 449 of Companies Act, 2013 which provide for punishment for false statement and false evidence.

Modify Check Form Prescrutiny Submit

This eform has been taken on file maintained by IEPF Authority through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the company.

FORM NO. IEPF-2

[Pursuant to rule 5(8) of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016]

सत्यमेव जयते

Statement of unclaimed and unpaid amounts

Form language o English o Hindi

Refer instruction kit for details.

Note 1 - Please adhere to the 'Process for uploading Investor-wise details' as mentioned on the Acknowledgment, to be generated upon upload of this eForm.

Note - All fields marked in * are to be mandatorily filled.

1.(a)*Corporate identity number (CIN) of company/ Pre fill

Bank Corporate Identification number (BCIN)

(b) Global Location Number (GLN) of company

2. (a) Name of the company/bank

(b) Address of registered office of the company/bank

(c) *email id of the company/bank

3. (a) *Financial year ended (DD/MM/YYYY)

(b) *Date of annual general meeting (AGM) or Due date whichever is earlier (DD/MM/YYYY)

4. *Whether registered with Reserve Bank of India (RBI) ◯ Yes ◯ No

5. Number of small shareholders of the company

6. Number of small depositors of the company

7. Details of unclaimed and unpaid amounts

(a) *Amount of Unclaimed and unpaid dividend

(b) *Amount of application moneys received and due for refund

(c) *Amount of matured deposits

(d) *Amount of matured debentures

(e) Interest accrued on the amounts referred to in clause (b) to (d) above

(i) *Application money due for refund

(ii) *Matured deposit with companies

(iii) *Matured debentures with companies

(f) *Sale proceeds of fractional shares arising out of issuance of bonus shares, merger and amalgamation

(g) *Redemption amount of preference shares

(h) Others

Total

Declaration

I have been authorized by the Board of directors' resolution number* Dated * (DD/MM/YYYY)

to sign and submit this form.

To the best of my knowledge and belief, I declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I also declare that all the information given herein above is true, correct and complete including the attachments to this form and nothing material has been suppressed.

***To be digitally signed by** DSC Box

*Designation

*DIN of the director; or PAN of the manager or CEO or CFO; or Membership number of the secretary; or PAN of Authorized person of the bank

Note: Attention is also drawn to provisions of Section 448 and section 449 of Companies Act, 2013 which provide for punishment for false statement and false evidence.

Modify Check Form Prescrutiny Submit

This eform has been taken on file maintained by IEPF Authority through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the company.

FORM NO. IEPF-3

[Pursuant to sub-section (6) of section 124 of the Companies Act, 2013 and rule 6(3) of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016]

सत्यमेव जयते

Statement of shares and unclaimed or unpaid dividend not transferred to the Investor Education and Protection Fund

Form language O English O Hindi

Refer instruction kit for details.

Note - All fields marked in * are to be mandatorily filled.

1. Details of the Company

(a) *Corporate identity number (CIN) of company/ Bank Corporate Identification number (BCIN) Pre fill

(b) Name of the company/bank

(c) Address of registered office of the company/bank

(d) *email id of the company/bank

2. Details of shares and dividend not transferred to IEPF account

*Total number of shares

Total nominal amount of the shares

Total amount of unpaid dividend on such shares

3. *Financial year ended as on (DD/MM/YYYY)

4. Details of shares and dividend

***Number of entries/cases**

Folio No./ DP ID- Client ID- Account number	Category	Kind of shares

Nominal amount of shares	Amount of unclaimed and unpaid dividend	Financial year to which it relates	Name of the court/ tribunal/ authority	Date of order

Attachments

List of attachments

1. *Order of the court/tribunal/statutory authority; Attach
2. Optional attachments, if any Attach

Remove attachment

Declaration

I have been authorized by the Board of directors' resolution number* Dated * (DD/MM/YYYY)

to sign and submit this form.To the best of my knowledge and belief, I declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I also declare that all the information given herein above is true, correct and complete including the attachments to this form and nothing material has been suppressed.

***To be digitally signed by** DSC Box

*Designation

*DIN of the director; or PAN of the manager or CEO or
CFO; or Membership number of the secretary; or
PAN of Authorized person of the bank

Note: Attention is also drawn to provisions of Section 448 and section 449 of Companies Act, 2013 which provide for punishment for false statement and false evidence.

Modify | Check Form | Prescrutiny | Submit

For office use only:

Affix filing details

eForm Service request number (SRN) eForm filing date (DD/MM/YYYY)

This e-Form is hereby registered

Digital signature of the authorising officer Confirm submission

Date of signing (DD/MM/YYYY)

FORM NO. IEPF-4

[Pursuant to rule 6(5) of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016]

सत्यमेव जयते

Statement of shares transferred to the Investor Education and Protection Fund

Form language o English o Hindi

Refer instruction kit for details.

Note 1 - Please adhere to the 'Process for uploading Investor-wise details' as mentioned on the Acknowledgment, to be generated upon upload of this eForm.

Note - All fields marked in * are to be mandatorily filled.

1(a). *Corporate identity number (CIN) of company Pre-fill

(b). Global location number (GLN) of company

2(a). Name of the company

(b). Address of the registered office of the company

(c) *e-mail ID of the company

3. (a) *Total nominal amount of shares transferred to the IEPF account

(b) *Total number of shares transferred

Prefill

4. *SRN of form IEPF-1

5. * Finacial Year to which the amount relates

Declaration

I have been authorized by the Board of directors' resolution number* Dated * (DD/MM/YYYY)

to sign and submit this form.

To the best of my knowledge and belief, I declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I also declare that all the information given herein above is true, correct and complete including the attachments to this form and nothing material has been suppressed.

*To be digitally signed by DSC Box

*Designation

*DIN of the director; or Income-tax permanent account number of the manager or CEO or CFO; or Membership number of the secretary

Note: Attention is also drawn to provisions of Section 448 and section 449 of Companies Act, 2013 which provide for punishment for false statement and false evidence.

Modify Check Form Prescrutiny Submit

This eform has been taken on file maintained by IEPF Authority through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the company.

FORM NO. IEPF-5

[Pursuant to sub-section (3) of section 125 of the Companies Act, 2013 and rule 7(1) of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016]

सत्यमेव जयते

Application to the Authority for claiming unpaid amounts and shares out of Investor Education and Protection Fund (IEPF)

Form language O English O Hindi

Refer instruction kit for details.

Note - All fields marked in * are to be mandatorily filled.

1. Particulars of the applicant

(a) *Name of the applicant

(b) *Address of the applicant

(c) Phone number

(d) Mobile Number

(e) E-mail ID

2. Particulars of the Company/Bank from which the amount is due

(a) *Corporate identity number (CIN) of company/ Bank Corporate Identification Number (BCIN) **Pre-fill**

(b) Name of the company/bank

(c) Address of registered office of the company/bank

(d) email id of the company/bank

3. Details of shares claimed

Folio No./ DP ID -Client ID- Account number	Category	Kind of share	Number of shares	Total nominal amount of the share

4. Details of amount claimed

S No.	Particulars	Amount (in Rupees)
(i)	Dividend amount	
(ii)	Application money due for refund	
(iii)	Matured deposits with company	
(iv)	Matured debentures with company	
(v)	Interest accrued on application money due for refund	
(vi)	Interest accrued on matured deposits with company	
(vii)	Interest accrued on matured debentures with company	
(viii)	Interest accrued on dividend credited to IEPF under the Companies Act, 1956	
(ix)	Sale proceeds of fractional shares arising out of issuance of bonus shares, merger and amalgamation	
(x)	Redemption amount of preference shares	
(xi)	Others, specify	
	Total	

Note: If applicant doesn't have any information on amount claimed then the related column above may be left blank.

*Number of claims

Year wise details of securities / deposits for which the amount is claimed

Nature of claim (1)	Amount of the claim (2)	Financial year to which it relates (3)	Nature of security/ deposit (4)	Folio No./DP ID-Client ID-Account Number (5)	Category (6)	Reason for non-receipt/non-encashment of the instrument of payment (7)

5. *Aadhaar Number or Passport/OCI/PIO Card No. (in case of NRI/foreigners)

6. *Details of bank account (Aadhar linked, in case applicant is not NRI/foreigner) in which refund of claim to be made

(a) Bank account number

(b) Bank name

(c) Bank branch

(d) Type of account O Saving O Current

(e) IFSC code

7. Demat account number

Declaration

I declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I further declare that all the information given herein above is true, correct and complete including the attachments to this form and nothing material has been suppressed.

☐ *I understand that I, am the claimant and after filing the refund claim in this form online, shall to send the attachments prescribed below to Nodal Officer (IEPF) of the company at its registered office in an envelope marked "claim for refund from IEPF Authority" for initiating the verification for claim*

1. Print out of duly filled claim form with claimant signature
2. Copy of acknowledgement
3. Indemnity Bond (original) with claimant signature
4. Advance Stamped receipt (original)
5. In case of refund of matured deposit or debenture, original certificate thereto
6. Copy of Aadhaar Card
7. Proof of entitlement (certificate of share/Interest warrant Application No. etc.)
8. Cancelled Cheque leaf
9. Copy of Passport, OCI and PI card in case of foreigners and NRI
10. Other optional document,(if any)

Note: Attention is also drawn to provisions of Section 448 of Companies Act, 2013 which status that-

"Save as otherwise provided in this Act, if in any return, report, certificate, financial statement, prospectus, statement or other document required by, or for, the purposes of any of the provisions of this Act or the rules made thereunder, any person makes a statement,-

(a) which is false in any material particulars, knowing it to be false; or

(b) which omits any material fact, knowing it to be material,

he shall be liable under section 447."

Modify | Check Form | Prescrutiny | Submit

For office use only :

Affix filing details

eForm Service request number (SRN) eForm filing date (DD/MM/YYYY)

Digital signature of the authorising officer

This e-Form is hereby approved

This e-Form is hereby rejected

Confirm Submission

Date of signing (DD/MM/YYYY)

FORM NO. IEPF-6

[Pursuant to rule 8 of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016]

सत्यमेव जयते

Statement of unclaimed or unpaid amounts to be transferred to the Investor Education and Protection Fund

Form language o English o Hindi

Refer instruction kit for details.

Note - All fields marked in * are to be mandatorily filled.

1.(a)*Corporate identity number (CIN) of company/

Bank Corporate Identification number (BCIN)

(b) Global Location Number(GLN) of company

Pre fill

2. (a) Name of the company/bank

(b) Address of registered office of the company/bank

(c) *email id of the company/bank

3. *Financial year end date

4. *Details of the amount due to be credited to the IEPF in subsequent financial year

S. No.	Particulars	Amount (in Rupees)	Date by which amount should be credited to the fund
(a)	Amount in the unpaid dividend accounts of companies		
(b)	The application money received by companies for allotment of any securities and due for refund		
(c)	Matured deposits with companies		
(d)	Matured debentures with companies		
(e)	Interest accrued on the amounts referred to in clause (b) to (d) above		
	(i) Application money due for refund		
	(ii) Matured deposits with companies		
	(iii) Matured debentures with companies		
(f)	Sale proceeds of fractional shares arising out of issuance of bonus shares, merger and amalgamation		
(g)	Redemption amount of preference shares		
(h)	Grants and donation		
(i)	Others, specify		
	Total		

5. Details of the amount credited to the IEPF

SRN of relevant form IEPF-6 Pre fill

SRN of relevant form IEPF-1 Pre fill

S No	Particulars	Amount reported for transfer in last year (in Rupees)	Amount actually transferred (in Rupees)	Reasons for deviation
(a)	Amount in the unpaid dividend accounts of companies			
(b)	The application money received by companies for allotment of any securities and due for refund			
(c)	Matured deposits with companies			
(d)	Matured debentures with companies			
(e)	Interest accrued on the amounts referred to in clause (b) to (d) above			
	(i) Application money due for refund			
	(ii) Matured deposits with companies			
	(iii) Matured debentures with companies			
(f)	Sale proceeds of fractional shares arising out of issuance of bonus shares, merger and amalgamation			
(g)	Redemption amount of preference shares			
(h)	Grants and donation			
(i)	Others, specify			
	Total			

Attachments **List of Attachment(s)**

2. Optional attachments, if any Attach

Remove

Declaration

I have been authorized by the Board of directors' resolution number* [ ] Dated [ ]

*(DD/MM/YYYY) to sign and submit this form.

To the best of my knowledge and belief, I declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I also declare that all the information given herein above is true, correct and complete including the attachments to this form and nothing material has been suppressed.

*To be digitally signed by **DSC Box**

*Designation [ ]

* DIN of the director; or PAN of the manager or CEO or [ ]
CFO; or Membership number of the secretary; or
PAN of Authorized person of the bank

Note: Attention is also drawn to provisions of Section 448 and section 449 of Companies Act, 2013 which provide for punishment for false statement and false evidence.

Modify | Check Form | Prescrutiny | Submit

This eform has been taken on file maintained by IEPF Authority through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the company.

[F. No. 05/27/2013-IEPF]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.